

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2013—वैशाख 6, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. ई.-5-558-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद कुमार, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 18 फरवरी से 12 मार्च 2013 तक, तेईस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री विनोद कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-762-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. अहिरवार, आयएएस., आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल को दिनांक 23 फरवरी से 8 मार्च 2013 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 एवं 10 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री डी. पी. अहिरवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. अहिरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2013

क्र. एफ 1(ए)393-88-ब-2-दो.—श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे, प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 29 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक, आठ दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 6 जनवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ एवं दिनांक 11 से 15 फरवरी 2013 तक, पांच दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 9, 10, 16 एवं 17 फरवरी 2013 विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ, स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2013

क्र. एफ 1(ए)77-08-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 जनवरी 2013 द्वारा डॉ. आशीष, भापुसे, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय), इन्दौर को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. 17/13 द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2013 से 5 फरवरी 2013 तक, सत्ताईस दिवस स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत अकेले "गोवा" की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान करने संबंधी आदेश निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. 1(ए)26-1992-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री एम. आर. आसुदानी, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर एण्ड डी एवं पुलिस मैनुअल, भोपाल को दिनांक 8 फरवरी से 2 मार्च 2013 तक, कुल तेईस दिवस का लघुकृत अवकाश दिनांक 3 मार्च 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 46 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एम. आर. आसुदानी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2013

क्र. एफ 1(ए)250-1988-ब-2-दो.—श्री पी. आर. माथुर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 3 से 7 जून 2013 तक, पांच दिवस, दिनांक 2, 8 एवं 9 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत आकस्मिक अवकाश अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी राज्यों की यात्रा के तहत सपरिवार "सिक्किम (गंगटोक)" की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

- | | | |
|--------------------------|---|--------|
| 1. श्री पी. आर. माथुर | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती शकुंतला माथुर | — | पत्नी |
| 3. कु. संजना | — | पुत्री |
| 4. कु. हर्षिता | — | पुत्री |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री पी. आर. माथुर, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंद्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2013

क्र. डी-15-1-2013-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, विदिशा जिले की तहसील गुलाबगंज के पटवारी हल्का क्रमांक 10 के ग्राम गूलरखेडी के मानांक 131 के क्षेत्रफल 0.805 हेक्टर भूमि को, कृषि उपज मण्डी समिति गुलाबगंज, जिला विदिशा के "मण्डी प्रांगण क्षेत्र" से वातिल (डी-नोटिफाई) करती है, जिसका आशय पूर्व में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-1-2013-चौदह-3, भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2013 द्वारा संज्ञापित किया जा चुका है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2013

क्र. डी.-15-1-2013-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 12th April 2013

No. D-15-1-2013-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares the area of 0.805 Hactare of survey No. 131 of Village Gularkhedhi in Tehsil Gulabganj from the "Market yard area" of Agricultural Produce Market Committee, Gulabganj of Vidisha District, intention of which has already been specified by this Department Notification No. D-15-1-2013-XIV-3, Bhopal, dated 3rd January 2013.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2013

फा. क्र. 1(बी) 10-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की

उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री प्रफुल्ल यजुर्वेदी पुत्र श्री विश्वनाथ यजुर्वेदी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मन्दसौर सत्र खण्ड के मन्दसौर राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक जिला मन्दसौर नियुक्त करता है तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

टीप.—श्री प्रफुल्ल यजुर्वेदी की जन्मतिथि 29-10-1961 (उन्नीस अक्टूबर उन्नीस सौ इक्कसठ) और उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक 29-10-2023 (उन्तीस अक्टूबर दो हजार तेईस) को पूर्ण होगी।

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2013

फा. क्र. 1(बी) 41-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री उमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राममूर्ति शर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सतना सत्र खण्ड के सतना राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक जिला सतना नियुक्त करता है, यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

टीप.—श्री उमेश कुमार शर्मा के जन्म प्रमाण-पत्र के आधार पर उनकी जन्मतिथि 1-3-1965 (एक मार्च उन्नीस सौ पैंसठ) और उनकी 62 वर्ष की आयु दिनांक 1-3-2027 (एक मार्च दो हजार सत्ताईस) को पूर्ण होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2013

क्र. एफ 11-03-2011-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-14-2012-तीस, दिनांक 7 दिसम्बर 2012 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी।

2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के पत्र क्रमांक 215, दिनांक 23 मार्च 2013 द्वारा सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है। आयुक्त, पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है।

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	भोपाल	हुजूर	नगर निगम कार्यालय, भोपाल.	सदर मंजिल दरबार हॉल भोपाल.	1839/1326	7.72 एकड़	नगर निगम के कब्जे में.	नहीं है.

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरुद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार, मध्यप्रदेश, भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

क्र. एफ 11-04-2013-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-1689-2012-तीस, दिनांक 31 अक्टूबर 2012 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी.

2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के पत्र क्रमांक 215, दिनांक 23 मार्च 2013 द्वारा सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है. आयुक्त, पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	रायसेन	गौहरगंज	ग्राम कीरतनगर.	ऐतिहासिक परमार कालीन बांध एवं शिवलिंग.	खसरा नं. 47	रकबा 10.60 एकड़ (4.290 हे.)	म. प्र. शासन	नहीं है.
					खसरा नं. 65	रकबा 1.49 एकड़ (0.603 हे.)		

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त, पुरातत्व एवं अभिलेखागार, मध्यप्रदेश, भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों।

क्र. एफ 11-5-2013-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-1740-1801-2012-तीस, दिनांक 6 नवम्बर 2012 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी।

2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के पत्र क्रमांक 215, दिनांक 23 मार्च 2013 द्वारा सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है। आयुक्त, पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है।

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	विदिशा	सिरोंज	भूरीटोरी ग्राम कल्याणपुर.	खगौलीय अध्ययन कक्ष भूरीटोरी.	सर्वे नं. 7	रकबा 0.126 हेक्टेयर	आबादी बंगला	नहीं है.

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त, पुरातत्व एवं अभिलेखागार, मध्यप्रदेश, भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों।

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. आर 1714-2012-तीस.— राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्शियेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजिकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	भिण्ड	रौन	इंदुर्खी	बारादरी	खसरा 31	रकबा 0.031	म. प्र. शासन	है.

क्र. आर 2522-2012-तीस.— राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

2. अतएव, मध्यप्रदेश एन्शियेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजिकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	उज्जैन	महिदपुर	महिदपुर	प्राचीन किला	खसरा 63/1	रकबा 9.821 आबादी	म. प्र. शासन	नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कटेला, अपर सचिव.

सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013/ 1 अप्रैल 2013

क्र. एफ 3-3-2013-छब्बीस-2.—मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 8, दिनांक 24 सितम्बर 2012 को लिये गये निर्णय के तहत ऐसे दम्पति जिनकी संतान के रूप में केवल कन्याएं हों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से “मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना” प्रारंभ की जाती है।

यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2013 से 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि तक प्रभावशील रहेगी।

योजना का विस्तृत विवरण संलग्न है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूणा शर्मा, अपर मुख्य सचिव।

क्र. एफ 3-3-2013-छब्बीस-2

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2013/ 1 अप्रैल 2013

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, (भोपाल संभाग)
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
3. समस्त संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय,
4. समस्त आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद्,
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय:—मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना प्रारंभ करने के संबंध में।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ करने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

2. योजना के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:—

1. हितग्राही दम्पति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो,
2. हितग्राही दम्पति की संतान मात्र पुत्री हों,
3. दम्पति सभी गैर आयकरदाता योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे।
4. पेंशन की दर रु. 500/- प्रतिमाह प्रति दम्पति रहेगी।

3. योजना का विस्तृत विवरण एवं आवेदन-पत्र विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है एवं इस पत्र के साथ भी योजना की प्रति संलग्न की जा रही है।

4. इस योजना के अन्तर्गत आन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान रखा गया है। पोर्टल पता इस प्रकार है:—

1. www.socialsecurity.mp.gov.in
2. www.sssm.nic.in

5. **सत्यापन.**—प्राप्त आवेदन-पत्रों का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नगरीय क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद् द्वारा कराया जायेगा. सत्यापन के समय हितग्राही से आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्राप्त किये जाये.

6. **स्वीकृति हेतु सक्षम पदाविहित अधिकारी.**—आवेदन-पत्र पूर्ण होने के उपरान्त पदाविहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नगरीय क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद् सक्षम स्वीकृतियां जारी करेंगे. जिन हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं उनके स्वीकृति आदेश जारी किये जाकर जानकारी पोर्टल पर डाली जायेगी ताकि हितग्राही दम्पति को नियमित रूप से मासिक पेंशन प्राप्त हो सके.

7. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का भव्य शुभारम्भ भोपाल में मई के प्रथम सप्ताह में संभावित है, जिसमें भोपाल एवं भोपाल संभाग के जिलों के हितग्राहियों को आमंत्रित किया जायेगा तथा आयोजित समारोह में ही स्वीकृति पत्र प्रतीक के रूप में वितरित किये जायेंगे.

अतः अनुरोध है कि दी गई समय-सीमा के भीतर आप आपके जिले के हितग्राहियों का चिन्हांकित कर उनके प्रकरण योजना में दी गई, गई प्रक्रिया के तहत अप्रैल माह के अंत तक स्वीकृत कराकर एक प्रति आयुक्त, सामाजिक न्याय को दिनांक 25 अप्रैल 2013 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें.

अरूणा शर्मा, अपर मुख्य सचिव.

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

1. **प्रस्तावना.**—भारत में प्रचलित परम्परा के तहत कन्या के विवाह के उपरान्त कन्या को नई गृहस्थी बसाने पर उसे अपने माता पिता का घर छोड़ना पड़ता है और वह अपनी स्वयं की गृहस्थी स्थापित करती है. ऐसी स्थिति में माता पिता को जिनके केवल कन्या सन्तान ही है उन्हें उनकी कन्या के विवाह के उपरांत वृद्धावस्था में अकेला रहना पड़ता है. इस अवस्था में माता पिता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेषकर वे माता पिता जिनकी देखभाल के लिये उनका पुत्र नहीं है. ऐसे दम्पति जिन्होंने अपनी युवावस्था में पुत्र संतान की चिन्ता किये बिना छोटा परिवार स्थापित करने की दृष्टि से उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम अपना कर बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम के लिये शासन द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम में अपना सहयोग किया. ऐसे दम्पति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का होना चाहिये. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश शासन ने ऐसे दम्पति जिनकी केवल कन्यायें हैं, उनको 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर संयुक्त रूप से (दम्पति अर्थात् पति पत्नी) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये पेंशन योजना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है. यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में 1-4-2013 से लागू की जायेगी.

2. **उद्देश्य.**—ऐसे दम्पति जिनकी केवल कन्यायें हैं और कन्याओं के विवाह उपरान्त उन दम्पतियों को शासन की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है.

3. **योजना का विस्तार.**—सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.

4. **योजना का प्रारम्भ.**—1 अप्रैल 2013 से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रारंभ की जावेगी.

5. **योजना अंतर्गत सहायता राशि.**—दम्पति को रुपये 500 प्रतिमाह.

6. **पात्रता के मापदण्ड.**—6.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो.

6.2 दम्पति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो.

6.3 दम्पति की मात्र संतान के रूप में केवल पुत्री हो.

6.4 दम्पति आयकरदाता न हो.

7. **अपात्रता के मापदण्ड.**—7.1 जो हितग्राही पात्रता के मापदण्ड में नहीं आता वह सब अपात्र कहलायेंगे.

7.2 यदि किसी हितग्राही ने उनके पुत्र की जानकारी छिपाकर शासन योजना का लाभ प्राप्त किया है भले ही उनका पुत्र उनको साथ नहीं रख रहा हो, अपात्र माने जाएंगे.

7.3 केवल जीवित कन्या ही हैं तथा आयकर दाता नहीं हैं, के आशय का शपथ-पत्र नहीं देते, वह अपात्र माने जायेंगे.

8. **पात्रता की पुष्टि हेतु दस्तावेज.**—जिन दम्पति की केवल कन्या ही हुई है और कोई जीवित पुत्र नहीं है की पुष्टि निम्नांकित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर की जाये :—

8.1 राशन कार्ड.

8.2 मतदाता निर्वाचक नामावली जिसमें दम्पति का नाम एवं परिवार के सदस्यों का नाम हो.

8.3 ग्राम पंचायत/वार्ड प्रभारी का प्रमाण-पत्र.

8.4 आंगनबाड़ी/आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट पंजी.

8.5 दम्पति द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र कि वह आयकरदाता नहीं है और न ही उनकी कोई संतान के रूप में पुत्र है, को रुपये 50 के जूडिशियल स्टाम्प पर सत्यापित शपथ-पत्र.

9. **आयु एवं निवास के संबंध में आवश्यक दस्तावेज.**—9.1 स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची

9.2 जन्म प्रमाण-पत्र

9.3 मतदाता परिचय-पत्र

9.4 चिकित्सक प्रमाण-पत्र

(उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.)

10. **अन्य दस्तावेज.**—10.1 युगल दम्पति का संयुक्त फोटो/एकल होने की स्थिति में एक फोटो.

10.2 विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र/परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगी.

11. **स्वीकृति के अधिकार एवं समय-सीमा.**—

सेवाएं	स्वीकृतकर्ता/पदाभिहित अधिकारी	समय सीमा	प्रथम अपील		द्वितीय अपील	
			पदाभिहित अधिकारी	समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	समय सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना	ग्रामीण क्षेत्र— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस
	शहरी क्षेत्र— अ-आयुक्त, नगर निगम	60 कार्य दिवस	मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस
	ब-मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद्.	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस

नोट.—पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण स्वीकृत करने से पूर्व हितग्राही दम्पति का केवल राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खुलवाना अनिवार्य होगा तभी अंतिम स्वीकृति आदेश मान्य किया जायेगा.

12. **निकायों के अन्तर्गत सभी सक्षम समितियों का अवलोकन.**—सक्षम पदाभिहित अधिकारी को स्वीकृत एवं अस्वीकृत किये गये प्रकरण को उनकी निकाय की सक्षम समिति की बैठक में अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना होगा। यदि समिति के किसी सदस्य ने किसी हितग्राही के मामले में किसी तरह की आपत्ति की है, तो उस आपत्ति की जांच पदाभिहित अधिकारी द्वारा कराई जायेगी और जांच में सही पाये जाने पर आवेदक का स्वीकृत प्रकरण निरस्त किया जायेगा। ऐसे अस्वीकृत प्रकरण के सम्बन्ध में हितग्राही अपने प्रकरण के निराकरण के लिये अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

13. **आवेदन करने की प्रक्रिया.**—13.1 हितग्राही दम्पति का समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में पंजीकृत होने की स्थिति में उसे केवल पदाभिहित अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) के कार्यालय योजना अंतर्गत समग्र कोड के साथ एक सामान्य आवेदन करना हो जिसका प्रारूप परिशिष्ट “एक” पर संलग्न है।

13.2 आवेदन-पत्र आनलाईन भी स्वीकार किये जायेंगे जो कि विभाग की समग्र पोर्टल www.socialsecurity.mp.gov.in एवं www.sssm.nic.in तथा सामाजिक न्याय विभाग की वेबसाईट www.socialjustice.mp.gov.in को भी भेज सकते हैं।

13.3 आन लाईन आवेदन-पत्र के आवेदकों को अन्य दस्तावेज जो आवश्यक है पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय द्वारा सत्यापित किये जाने के समय उपलब्ध कराने होंगे अथवा पदाभिहित अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

13.4 आवेदक दम्पति ने केवल कौर बैंकिंग से जुड़े बैंक में ही बचत खाता खुलवाया हो तथा आवेदन-पत्र में बैंक का नाम, आई. एफ.एस.सी. कोड स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।

13.5 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय के अलावा आवेदन-पत्र लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी स्वीकार किये जायेंगे।

14. **स्वीकृति की प्रक्रिया.**—पदाभिहित अधिकारी दी गई समय-सीमा में प्रकरण स्वीकृत करने से पूर्व आवश्यक दस्तावेज दम्पति हितग्राही से प्राप्त करेंगे और इस बात की पुष्टि करायेंगे कि वे दिये गये पते निवास करते हैं, उनकी कोई जीवित पुत्र संतान नहीं है, उनकी कन्याओं का विवाह हो चुका है और वे आयकरदाता नहीं हैं।

15. **रेण्डम जांच.**—15.1 योजना के अन्तर्गत तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय स्तर पर रेण्डम जांच समय-समय पर स्वविवेक से करायेंगे तथा जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उसकी जांच भी यह दल करेगा। दल में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं ग्रामीण क्षेत्र के मामले में जनपद एवं नगरीय क्षेत्र के मामले में नगरीय निकाय के एक-एक कार्यपालक स्तर के अधिकारी को रखा जायेगा।

15.2 यह दल प्रतिमाह स्वीकृत किये गये प्रकरणों का कम से कम 10 प्रतिशत चेकिंग करेंगे और शिकायत के मामले में शतप्रतिशत चेकिंग की जायेगी।

15.3. सत्यापन रिपोर्ट एवं जांच प्रतिवेदन अनुविभागय अधिकारी अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उनके द्वारा प्रकरण में अंतिम निर्णय लिया जायेगा। ऐसे प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम व मान्य होगा। अनुभागीय अधिकारी द्वारा जिन हितग्राहियों को अपात्रता के कारण पेंशन निरस्त की है उन हितग्राहियों ने अब तक जो राशि पेंशन के रूप में प्राप्त की वह भू-राजस्व की वसूली की तरह वसूली योग्य होगी। ऐसे प्रकरण जिनमें पेंशन स्वीकृत हुई है लेकिन हितग्राही विस्थापित हो जाने के कारण अथवा उसकी मृत्यु हो जाने के कारण पेंशन राशि का खाते से आहरण नहीं हुआ है ऐसी राशि पदाभिहित अधिकारी द्वारा वापस प्राप्त की जायेगी।

16. **अपीलीय.**—जनपद पंचायत एवं नगर पालिका, नगर परिषद् के मामलों में अनुविभागीय अधिकारी तथा नगर निगम के मामले में कलेक्टर अतिरिक्त प्राधिकारी रहेंगे जो कि समस्त आवेदन-पत्रों की सुनवाई का निर्णय देंगे। यह आदेश अंतिम व मान्य होगा। इस आदेश के विरुद्ध विशेष परिस्थिति में संभागीय आयुक्त सुनवाई करेंगे। सुनवाई के लिये समय सीमा 30 दिन रहेगी।

17. **बजट आवंटन और पेंशन का भुगतान.**—वित्तीय वर्ष 2013-14 से बजट आवंटन और पेंशन का भुगतान की प्रक्रिया मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1949/आर./1133/चार/ब-1/09 भोपाल, दिनांक 5-11-2012 एवं सामाजिक न्याय संचालनालय के आदेश क्रमांक/लेखा/2013/313 भोपाल, दिनांक 21-3-2013 के अनुसार रहेगी।

18. **अभिलेखों का निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण.**—18.1 अभिलेखों का निरीक्षण जिला उप संचालक, सामाजिक न्याय प्रति त्रैमास तथा संभागीय संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय प्रत्येक छः माह में करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन संचालनालय को भेजेंगे।

18.2 संचालनालय के अधिकारियों द्वारा भी अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण किया जा सकेगा।

18.3 महालेखाकार, मध्यप्रदेश के अधिकारियों द्वारा भी लेखाओं का निरीक्षण/परीक्षण किया जा सकेगा.

18.4 कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा भी अभिलेखों का निरीक्षण किया जा सकेगा.

19. **अनुश्रवण एवं समीक्षा.**—विषयान्तर्गत कार्यक्रम के लिये जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की जाये जिसमें अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे.—

(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	उपाध्यक्ष
(2) कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास	सदस्य
(3) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
(4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय के अधिकारी.	सदस्य
(5) संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय	सदस्य सचिव

उक्त समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार आयोजित की जायेगी. कार्यक्रम के संचालन में किसी तरह की कठिनाई आती है तो उसको दूर किया जायेगा. जिन प्रकरणों में स्वीकृति जारी की गई है उनका समय-समय पर सत्यापन समिति द्वारा कराया जायेगा और समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण आयुक्त, सामाजिक न्याय को प्रति त्रैमास में अनिवार्य रूप से भेजा जाये.

20. **बजट आवंटन और भुगतान की प्रक्रिया.**—20.1 कोषालय में देयक लगाने हेतु मांग संख्या निम्नानुसार रहेंगी.—

1. मांग संख्या-34-शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6693-कन्या अभिभावक पेंशन योजना-#-राज्य सहायता-001-प्रत्यक्ष राज सहायता.
2. मांग संख्या-41-शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-(102)-समाज कल्याण-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6693-कन्या अभिभावक पेंशन योजना-#-42-सहायक अनुदान-007-अन्य.
3. मांग संख्या-64-शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-(102)-समाज कल्याण-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6693-कन्या अभिभावक पेंशन योजना-#-42-सहायक अनुदान-007-अन्य.

21. **प्रचार-प्रसार एवं प्रशासनिक.**—योजना के प्रचार-प्रसार और योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था, स्टेशनरी आदि तथा सत्यापन कार्य के लिये आयुक्त, सामाजिक न्याय द्वारा कुल आवंटन का 3 प्रतिशत तक उपयोग किया जा सकेगा.

22. **डाटाबेस.**—22.1 जनपद पंचायत, नगरीय निकाय तथा जिला स्तर पर स्वीकृत प्रकरणों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा और समय-समय पर इसकी जांच सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की जायेगी.

22.2 डाटाबेस के आधार पर ही प्रत्येक माह पेंशन राशि का भुगतान किया जायेगा.

23. **साधिकार समिति.**—राज्य स्तर पर एक साधिकार समिति गठित होगी. समिति का स्वरूप समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गठित की गई है की तरह होगा. यह समिति नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम होगी.

24. **बेवसाईट.**—आवेदन-पत्र विभाग की बेवसाईट www.socialsecurity.mp.gov.in, www.socialjustice.mp.gov.in एवं www.sssm.nic.in पर उपलब्ध होगा.

25. **अन्य.**—25.1 आवेदन-पत्र पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में सूचना पटल पर चस्पा रहेगा जिसके आधार पर टंकण आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा.

25.2 योजना के अंतर्गत यदि हितग्राही को अन्य कोई पेंशन प्राप्त हो रही है तो वह प्राप्त करता रहेगा.

परिशिष्ट-एक

निःशुल्क
प्रारूप-1
(भाग-एक)
कन्या अभिभावक पेंशन हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,
.....
.....
.....

आवेदक
दम्पति का
संयुक्त
फोटो

विषय :-मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु संयुक्त आवेदन-पत्र.

आवेदक दम्पति का समग्र कोड क्रमांक
आधार कार्ड क्रमांक

आवेदक दम्पति का विवरण.—

दम्पति का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि/उम्र	दूरभाष/मोबाईल नम्बर
पति			
पत्नी			

4. (अ) मूल निवास स्थान का पूर्ण पता.—

पति.—
पत्नी.—

(ब) वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता.—

पति.—
.....
पत्नी.—
.....

5. परिवार का विवरण.—

क्रमांक	परिवार के सदस्य का नाम	उम्र	मुखिया से सम्बन्ध
1			
2			
3			
4			

6. दम्पति के पुत्रियों का विवरण.—

क्रमांक	पुत्री का नाम	उम्र	विवाह होने की तिथि	विवाह किससे व कहां हुआ
1				
2				
3				

आवेदक दम्पति का राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त बचत खाता का विवरण.—

दम्पति पति	बैंक का नाम व पता	आई. एफ. एस. सी. कोड	बैंक खाता क्रमांक
पत्नी			

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है.

हस्ताक्षर पति

हस्ताक्षर पत्नी

अभिकथन

उक्त जानकारी हमारे द्वारा सही भरी गई है

दम्पति के हस्ताक्षर

पति

पत्नी

प्रमाण-पत्र एवं अनुशंसा

यह प्रामाणित किया जाता है कि दम्पति श्री/श्रीमती जिनमें से श्री/श्रीमती ने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और उनके द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है. दम्पति की निम्नांकित कन्यायें थीं जिनका विवाह हो चुका है.

- 1.
- 2.
- 3.

उक्त दम्पति आयकरदाता की श्रेणी में नहीं आता है.

उक्त दम्पति को मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है.

हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत सरपंच/वार्ड प्रभारी

शपथ-पत्र

(रुपये 50/- के जुडेशियली स्टाम्प पर)

हम श्री पिता का नाम
 श्रीमती उम्र
 निवासी
 जिला शपथपूर्वक कथन करते हैं कि,—

1. हम मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं.
2. हमारी उम्र 60 वर्ष से अधिक है.
3. हमारी कोई पुत्र संतान नहीं है.
4. हम आयकरदाता नहीं हैं.
5. हमारी निम्नांकित पुत्रियां थीं जिनका विवाह हो चुका है :—

क्र	पुत्री का नाम	विवाह होने की तिथि
1		
2		
3		

हम इस योजना के अंतर्गत अन्य कोई स्थान से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं.

उपरोक्त जानकारी हमारे ज्ञान के आधार पर सत्य और सही है. इसमें किसी तरह के असत्य जानाकारी और कोई तथ्य छिपाया नहीं है. यदि कोई असत्य जानकारी पाये जाने पर हमारी पेंशन बंद कर दी जाये. हमारे द्वारा योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि शासन को वापस कर दी जायेगी.

गवाह

1. नाम एवं हस्ताक्षर हस्ताक्षर पति
2. नाम एवं हस्ताक्षर हस्ताक्षर पत्नि

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्र. 2358-486-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 जनवरी 2013 को प्रश्न पत्र-प्रथम प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-बी, सी एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
उच्चस्तर		
भोपाल संभाग		
1	कु. अंजली द्विवेदी	डिप्टी कलेक्टर
2	श्री गणेश कुमार जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर
3	श्री नमःशिवाय अरजरिया	डिप्टी कलेक्टर
होशंगाबाद संभाग		
4	श्री हरजिन्दर सिंह	सहायक कलेक्टर
5	कु. नेहा मारव्या	सहायक कलेक्टर
6	श्रीमती षण्मुख प्रिया मिश्रा	सहायक कलेक्टर
उज्जैन संभाग		
7	श्री श्यामेन्द्र जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर
इंदौर संभाग		
8	श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी	सहायक कलेक्टर
9	श्री महेश सिंह सोलंकी	नायब तहसीलदार
सागर संभाग		
10	श्री आलोक जैन	नायब तहसीलदार
11	डॉ. राकेश कुमार अहिरवार	सहा. अधी. भू-अभि.

(1) (2) (3)
जबलपुर संभाग
12 कु. गुंजा परस्ते नायब तहसीलदार

रीवा संभाग

13 कु. श्रद्धा तिवारी नायब तहसीलदार
14 श्री राजीव कुमार पाण्डेय नायब तहसीलदार
15 श्री आशीष अग्रवाल नायब तहसीलदार
16 श्री कृष्णा नायक राजस्व निरीक्षक

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1 श्रीमती अंजली सिंह ठाकुर डिप्टी कलेक्टर
2 कु. दिव्या अवस्थी डिप्टी कलेक्टर
3 श्री मुकेश कुमार शर्मा डिप्टी कलेक्टर
4 श्री नीलमणि अग्निहोत्री डिप्टी कलेक्टर
5 श्री नीलाम्बर मिश्र डिप्टी कलेक्टर
6 श्री ऋषि पंवार डिप्टी कलेक्टर
7 श्री शाश्वत सिंह मीना डिप्टी कलेक्टर
8 श्री अरविन्द चौहान डिप्टी कलेक्टर
9 श्री अनूकूल जैन डिप्टी कलेक्टर
10 श्री चन्द्र प्रताप गोहल डिप्टी कलेक्टर
11 श्री चन्द्र प्रकाश पटेल डिप्टी कलेक्टर
12 श्री रोशन राय डिप्टी कलेक्टर
13 सुश्री सुलखा ठाकुर डिप्टी कलेक्टर
14 कु. साधना देवी सिंगराम डिप्टी कलेक्टर
15 श्री विकास चंद जैन नायब तहसीलदार
16 कु. नेहा जैन नायब तहसीलदार
17 सुश्री माला अहिरवार नायब तहसीलदार
18 श्री मनीष कुमार शुक्ला नायब तहसीलदार
19 श्री विनीत गोयल नायब तहसीलदार
20 श्री शेखर चौधरी नायब तहसीलदार
21 कु. संगीता मेहतो नायब तहसीलदार
22 कु. माला शर्मा नायब तहसीलदार
23 श्री राजीव गोयल नायब तहसीलदार
24 श्री प्रवीण पाटीदार नायब तहसीलदार
25 श्री लक्ष्मण सिंह डिण्डोर नायब तहसीलदार
26 श्रीमती प्रेमलता पाल नायब तहसीलदार
27 श्री गौरीशंकर जाटव नायब तहसीलदार
28 श्री प्रमेश जैन नायब तहसीलदार
29 कु. प्रीति नागेन्द्र नायब तहसीलदार
30 सुश्री सुनीता साहनी नायब तहसीलदार

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
31	श्री मुकेश कुमार राज	नायब तहसीलदार			इंदौर संभाग
32	डॉ. अम्बर पंथी	नायब तहसीलदार	66	श्रीमती मधु नायक	नायब तहसीलदार
33	श्री कुलदीपक कुमार दुबे	नायब तहसीलदार	67	श्री उपेन्द्र सिंह	नायब तहसीलदार
34	सुश्री सविता यादव	नायब तहसीलदार	68	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार
35	श्री अजय राज कुशवाह	नायब तहसीलदार	69	श्री दिवाकर सुल्या	नायब तहसीलदार
36	श्री मनीष श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार	70	कु. वंदना चौहान	नायब तहसीलदार
37	श्री नारायण नन्देड़ा	नायब तहसीलदार	71	श्री रंजिता बावरे	नायब तहसीलदार
38	श्री भरत सिंह नायक	नायब तहसीलदार	72	श्री विजय कुमार सेनानी	नायब तहसीलदार
39	श्री शिव शंकर सिंह गुर्जर	नायब तहसीलदार	73	श्री विवेक कुमार शर्मा	सहा. अधी.
40	श्री प्रशान्त सिंह सुमन	नायब तहसीलदार			भू-अभिलेख
41	श्री कमल सिंह मण्डेलिया	नायब तहसीलदार	74	श्री दीपक कुमार अवस्थी	सहा. अधी.
42	श्री गजेन्द्र सिंह लोधी	नायब तहसीलदार			भू-अभिलेख
43	श्री सुनील वर्मा	नायब तहसीलदार	75	श्री निरंजन सिंह राजपूत	सहा. अधी.
44	श्री मनीष कुमार जैन	नायब तहसीलदार			भू-अभिलेख
45	श्री सुनील शर्मा दौनेरिया	नायब तहसीलदार	76	श्री ललित कुमार ग्वालवंशी	सहा. अधी.
46	श्री सुनील कुमार प्रभास	नायब तहसीलदार			भू-अभिलेख
47	श्री शत्रुघ्न चतुर्वेदी	नायब तहसीलदार	77	कु. प्रियंका जैन	सहा. अधी.
48	श्रीमती मीना दशरिये	नायब तहसीलदार			भू-अभिलेख
49	सुश्री अर्चना गुप्ता	नायब तहसीलदार	78	श्री दिवेश डोंगरे	राजस्व निरीक्षक
50	श्री सुधाकर प्रसाद तिवारी	नायब तहसीलदार	79	श्री ठाकुर प्रसाद दोहरे	राजस्व निरीक्षक
51	श्रीमती रितु भार्गव	नायब तहसीलदार	80	श्री अमर चंद यादव	राजस्व निरीक्षक
52	श्री एन. एस. सिद्दीकी	सहायक, अधीक्षक भू-अभिलेख	81	श्री सुनिल कुमार बागुल	राजस्व निरीक्षक
53	श्री संजय चौरसिया	सहायक, अधीक्षक भू-अभिलेख	82	श्री विजेन्द्र राठौर	राजस्व निरीक्षक
54	श्रीमती नीलम जैन	सहायक, अधीक्षक भू-अभिलेख			ग्वालियर संभाग
55	श्री शनिपाल शाह परतेती	राजस्व निरीक्षक	83	श्री राम प्रसाद बरेलिया	राजस्व निरीक्षक
56	श्री राजेश कुमार धाड़से	राजस्व निरीक्षक	84	श्री रमा शंकर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
57	सुश्री रेवती रमण पाण्डे	राजस्व निरीक्षक	85	श्री मोतीलाल जाटव	राजस्व निरीक्षक
			86	श्री मुन्नासिंह गुर्जर	राजस्व निरीक्षक
	होशंगाबाद संभाग				सागर संभाग
58	श्री विजय सिंह बेलवंशी	राजस्व निरीक्षक	87	श्री जे. विजय कुमार	सहायक कलेक्टर
59	श्री दिलीप सिंह परते	राजस्व निरीक्षक	88	श्रीमती सपना स्मृति खेमरिया	डिप्टी कलेक्टर
60	श्री तीरथ प्रसाद इरपाची	राजस्व निरीक्षक	89	श्री संदीप कुमार तिवारी	नायब तहसीलदार
	श्री राम सिपाही सिंह मरावी		90	श्री अभिनव शर्मा	नायब तहसीलदार
61	श्री संतोष पथोरिया	राजस्व निरीक्षक	91	श्री चन्द्र कुमार ताम्रकर	नायब तहसीलदार
62	श्री धनजी मालवीय	राजस्व निरीक्षक	92	श्री भूपेन्द्र मसराम	नायब तहसीलदार
63	श्री हंसकुमार ओनकर	राजस्व निरीक्षक	93	श्री दिलीप कुमार चौरसिया	नायब तहसीलदार
			94	श्री शैवाल सिंह	नायब तहसीलदार
	उज्जैन संभाग		95	कु. मीनाक्षी जायसवाल	नायब तहसीलदार
64	श्री अनुग्रह पी	सहायक कलेक्टर	96	श्री नितिन गौड़	नायब तहसीलदार
65	श्रीमती शिखा पोरस	डिप्टी कलेक्टर	97	श्री आदित्य कुमार सौनकिया	सहा. अधी.
					भू-अभिलेख

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
98	श्री परमाल सिंह कैन	सहा. अधी. भू-अभिलेख	137	श्री अनुराग खरे	राजस्व निरीक्षक
99	श्री प्रभूदयाल गुप्ता	सहा. अधी. भू-अभिलेख	138	श्री योगेश कुमार शुक्ला	राजस्व निरीक्षक
100	श्री बहादुर सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक	139	श्री सुन्दरलाल दुबे	राजस्व निरीक्षक
101	श्री कोमल सिंह चढ़ार	राजस्व निरीक्षक	140	श्री विनोद कुमार कुरीम	राजस्व निरीक्षक
102	श्री अखिलेख कुमार बबेले	राजस्व निरीक्षक	141	श्री गोपीचंद पंवार	राजस्व निरीक्षक
103	श्री आशीष कुमार रूसिया	राजस्व निरीक्षक	142	श्री रविशंकर धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
104	श्रीमती इन्दु गौड़	राजस्व निरीक्षक	143	श्री प्रहलाद सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
105	श्री राजेश मेहरा	राजस्व निरीक्षक	144	श्री रामलोचन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
106	श्री जयहिन्द सिंह गोंड	राजस्व निरीक्षक	145	श्री दिनेश तिवारी	राजस्व निरीक्षक
107	श्री चन्द्र शेखर शिल्पी	राजस्व निरीक्षक	146	श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
108	श्री नीरज कुमार कलशिया	राजस्व निरीक्षक	147	श्री राजकुमार खरे	राजस्व निरीक्षक
109	श्री सावधान अहिरवार	राजस्व निरीक्षक	148	श्री चेताराम पन्था	राजस्व निरीक्षक
110	श्री शिव प्रसाद नामदेव	राजस्व निरीक्षक	149	श्री सुन्दरलाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
			150	श्री राकेश कुमार कटारया	राजस्व निरीक्षक
			151	श्री रमेश प्रसाद साहू	राजस्व निरीक्षक
जबलपुर संभाग			रीवा संभाग		
111	श्री सौरभ कुमार सुमन	सहायक कलेक्टर	152	श्री बी. विजय दत्ता	सहायक कलेक्टर
112	श्री ओम प्रकाश सनोडिया	डिप्टी कलेक्टर	153	श्री कैलाश प्रसाद कुर्मी	नायब तहसीलदार
113	कु. ज्योति ठोके	नायब तहसीलदार	154	श्री अरविन्द कुमार यादव	नायब तहसीलदार
114	श्री दिनेश कुमार उईके	नायब तहसीलदार	155	श्री नीलेश कुमार सिंह	नायब तहसीलदार
115	कु. वर्षा झारिया	नायब तहसीलदार	156	श्री संदीप कुमार जायसवाल	नायब तहसीलदार
116	श्री श्याम नन्दन चन्देले	नायब तहसीलदार	157	श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल	नायब तहसीलदार
117	सुश्री जानकी उईके	नायब तहसीलदार	158	श्री नागेश्वर प्रसाद पनिका	नायब तहसीलदार
118	सुश्री रीति सोनवे नाग	सहा. अधी. भू-अभिलेख	159	श्री घनश्याम प्रसाद चौधरी	नायब तहसीलदार
119	श्रीमती मंजूषा शर्मा	सहा. अधी. भू-अभिलेख	160	श्री मधुकर प्रसाद पाण्डेय	नायब तहसीलदार
120	श्री धमेन्द्र साहू	राजस्व निरीक्षक	161	श्रीमती स्मिता कुमारी	सहा. अधी. भू-अभिलेख
121	श्री प्रकाश कुमार परते	राजस्व निरीक्षक	162	डॉ. सुदामा प्रसाद कोल	राजस्व निरीक्षक
122	श्री पुनूलाल साण्ड्या	राजस्व निरीक्षक	163	श्री विष्णु दयाल पनिका	राजस्व निरीक्षक
123	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक	164	श्री श्यामलाल कोरी	राजस्व निरीक्षक
124	श्री राजेन्द्र प्रसाद झारिया	राजस्व निरीक्षक	165	श्री नारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक
125	श्री राजकुमार नामदेव	राजस्व निरीक्षक	166	श्री प्रदीप कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
126	श्री आलोक कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक	167	श्री राघवेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
127	श्री धीरूलाल परते	राजस्व निरीक्षक	168	श्री दयाराम मार्को	राजस्व निरीक्षक
128	श्री धर्मराज तुलकर	राजस्व निरीक्षक	169	श्री वीरेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
129	श्री बालसिंह वल्को	राजस्व निरीक्षक	170	श्री इन्द्रभान सिंह	राजस्व निरीक्षक
130	श्री रायसिंह कुशराम	राजस्व निरीक्षक	171	श्री शारदा प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक
131	श्री जयसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक	172	श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
132	श्री जमना प्रसाद भगत	राजस्व निरीक्षक	173	श्री उत्तम कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक
133	श्री रेवाराम झारिया	राजस्व निरीक्षक	174	श्री राजनारायण पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
134	श्री चरण सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक	175	श्री सुदामा प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
135	श्री देवशरण सिंह नेताम	राजस्व निरीक्षक	176	श्री सुवेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
136	श्री भागसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक	177	श्री ललन सिंह	राजस्व निरीक्षक
			178	श्री तेजपति सिंह	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
	शहडोल संभाग	
179	श्री संदीप कुमार बघेल	सहा. अधी. भू-अभिलेख
180	श्री विशाल रत्नम	राजस्व निरीक्षक
181	श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
182	श्री कौशलेन्द्र शंकर मिश्र	राजस्व निरीक्षक
183	श्री छत्रपाल सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
184	श्री शिवशंकर मिश्र	राजस्व निरीक्षक
185	श्री राजेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
186	श्री दिलीप सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
187	श्री वेद प्रकाश सिंह	राजस्व निरीक्षक
188	श्री इन्द्रजीत सिंह	राजस्व निरीक्षक
189	श्री राम कुमार टाण्डिया	राजस्व निरीक्षक
190	श्री चन्द्र सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
191	श्री राजाराम कोल	राजस्व निरीक्षक
192	श्रीमती विमला सिंह	राजस्व निरीक्षक
193	श्री द्वारका प्रसाद दहायत	राजस्व निरीक्षक
194	श्री मनोज सिंह	राजस्व निरीक्षक
195	श्री भरत सिंह	राजस्व निरीक्षक
196	श्री हेमन्त कुमार अवधिया	राजस्व निरीक्षक
197	श्री चन्द्रभान सिंह परस्ते	राजस्व निरीक्षक
198	श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	राजस्व निरीक्षक
199	श्री उपेन्द्र कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. 2572-487-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 जनवरी 2013 को प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा एवं द्वितीय-लेखा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	कु. साधना देवी सिंगराम	डिप्टी कलेक्टर
2	श्री राकेश सिंह मरकाम	डिप्टी कलेक्टर
3	श्री मुकेश कुमार शर्मा	डिप्टी कलेक्टर
4	श्री इकबाल मो. रंगरेज	डिप्टी कलेक्टर
5	कु. अंजली द्विवेदी	डिप्टी कलेक्टर
6	कु. सुमनलता माहौर	डिप्टी कलेक्टर
7	कु. नीलिमा राजलवाल	नायब तहसीलदार
8	श्री मनीष कुमार शुक्ला	नायब तहसीलदार

(1)	(2)	(3)
9	श्री विनित गोयल	नायब तहसीलदार
10	श्री शेखर चौधरी	नायब तहसीलदार
11	श्री संजय कुमार बारस्कर	नायब तहसीलदार
12	श्री रवीश सिंह भदौरिया	नायब तहसीलदार
13	कु. प्रियंका मिमरोट	नायब तहसीलदार
14	श्री विकास चन्द्र जैन	नायब तहसीलदार
15	श्री प्रियंका नेताम	नायब तहसीलदार
16	कु. मीना दशरिये	नायब तहसीलदार
17	कु. अर्चना गुप्ता	नायब तहसीलदार
18	श्री यजुवेन्द्र वाघमारे	नायब तहसीलदार
19	श्री शत्रुघ्न चतुर्वेदी	नायब तहसीलदार
20	श्री सुनील कुमार प्रभास	नायब तहसीलदार
21	श्री सुनील कुमार शर्मा दौनेरिया	नायब तहसीलदार
22	श्री मनीष कुमार जैन	नायब तहसीलदार
23	श्री सुनील वर्मा	नायब तहसीलदार
24	श्री गजेन्द्र सिंह लोधी	नायब तहसीलदार
25	श्री प्रशान्त सिंह सुमन	नायब तहसीलदार
26	श्री कमल सिंह मण्डेलिया	नायब तहसीलदार
27	श्री भूपेन्द्र कैलासिया	नायब तहसीलदार
28	श्री शिवशंकर सिंह गुर्जर	नायब तहसीलदार
29	श्री भरत सिंह नायक	नायब तहसीलदार
30	श्री मनीष श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार
31	श्री नारायण नन्देड़ा	नायब तहसीलदार
32	श्री अजयराज सिंह कुशवाह	नायब तहसीलदार
33	श्री हितेन्द्र कुमार भावसार	नायब तहसीलदार
34	सुश्री प्रीति नागेन्द्र	नायब तहसीलदार
35	सुश्री सुनीता साहनी	नायब तहसीलदार
36	श्री मुकेश कुमार राज	नायब तहसीलदार
37	डॉ. अम्बर पंथी	नायब तहसीलदार
38	श्री कुलदीपक कुमार दुबे	नायब तहसीलदार
39	सुश्री सविता यादव	नायब तहसीलदार
40	श्रीमती रमादेवी कालवा	नायब तहसीलदार
41	श्री प्रमेश जैन	नायब तहसीलदार
42	श्री गौरीशंकर जाटव	नायब तहसीलदार
43	सुश्री नेहा सागर	नायब तहसीलदार
44	कु. अंजली गुप्ता	नायब तहसीलदार
45	श्री राजीव गोयल	नायब तहसीलदार
46	श्री प्रवीण पाटीदार	नायब तहसीलदार
47	श्री लक्ष्मण सिंह डिन्डोरे	नायब तहसीलदार
48	कु. संगीता मेहतो	नायब तहसीलदार
49	कु. माला शर्मा	नायब तहसीलदार
50	कु. माला अहिरवार	नायब तहसीलदार
51	श्री अमरसिंह राजपूत	स. अ. भू-अभिलेख
52	श्री दर्शनलाल नेगी	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
53	श्री कमलेश मिश्रा	राजस्व निरीक्षक	91	श्री राकेश शर्मा	राजस्व निरीक्षक
54	श्री सुशील सिंह	राजस्व निरीक्षक	92	श्री नरेश उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
55	श्री राजेश राम	राजस्व निरीक्षक	93	श्री मोहन लाल शर्मा	राजस्व निरीक्षक
56	श्री संतोष दुबे	राजस्व निरीक्षक	इन्दौर संभाग		
57	मो. कदीर खान	राजस्व निरीक्षक	94	श्री उपेन्द्र सिंह	नायब तहसीलदार
58	मो. इदरीस खान	राजस्व निरीक्षक	95	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार
59	श्री फिरोज अली	राजस्व निरीक्षक	96	श्री दिवाकर सुल्या	नायब तहसीलदार
60	श्री ओ. पी. अवस्थी	राजस्व निरीक्षक	97	कु. रंजिता बाबरे	नायब तहसीलदार
61	श्री राजन शर्मा	राजस्व निरीक्षक	98	कु. वंदना चौहान	नायब तहसीलदार
62	स. परवेज अली	राजस्व निरीक्षक	99	श्री नितिन चौहान	नायब तहसीलदार
63	श्री ए. मुरलीधर	राजस्व निरीक्षक	100	श्री विजय कुमार सेनानी	नायब तहसीलदार
64	श्री मुजीब उद्दीन खिलजी	राजस्व निरीक्षक	101	कु. पूनम सिंह	स. अ. भू-अभिलेख
65	श्री रेवती रमण पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक	102	श्री लोकेश आहूजा	स. अ. भू-अभिलेख
66	श्री योगेश श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	103	श्री मुकेश मालवीय	स. अ. भू-अभिलेख
होशंगाबाद संभाग			104	श्री रामकृष्ण दुबे	राजस्व निरीक्षक
67	श्री फत्या मानकर	राजस्व निरीक्षक	105	कु. श्रद्धा गोसावी	राजस्व निरीक्षक
68	श्री सुरेश कुमार चौहान	राजस्व निरीक्षक	106	श्री कैलाश प्रसाद यादव	राजस्व निरीक्षक
69	श्री तुलसी राम गायकवाड़	राजस्व निरीक्षक	107	श्री लक्ष्मण मालवीय	राजस्व निरीक्षक
70	श्री धनजी मालवीय	राजस्व निरीक्षक	108	श्री अनिल कुमार वैष्णव	राजस्व निरीक्षक
71	श्री हंसकुमार ओनकर	राजस्व निरीक्षक	109	श्री बंसती लाल बावनिया	राजस्व निरीक्षक
72	श्री विजय सिंह बेलवंशी	राजस्व निरीक्षक	110	श्री मनीष बिरथरे	राजस्व निरीक्षक
73	श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	111	श्री मनीष चतुर्वेदी	राजस्व निरीक्षक
74	श्री दिलीप सिंह परते	राजस्व निरीक्षक	112	श्री मोहम्मद इरशाद	राजस्व निरीक्षक
75	श्री टोपसिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक	113	श्री सुरेश कुमार राय	राजस्व निरीक्षक
76	श्री संजीव कुमार मांडरे	राजस्व निरीक्षक	114	श्री दिवेश डोंगरे	राजस्व निरीक्षक
77	श्री रामसिपाही सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक	115	श्री रामसिंह मचार	राजस्व निरीक्षक
78	श्री राजेश कुमार त्रिपाठी	राजस्व निरीक्षक	116	श्री शंकर सिंह खपेड़	राजस्व निरीक्षक
79	श्री हीरू कुमरे	राजस्व निरीक्षक	117	श्री राधुसिंह हमलावर	राजस्व निरीक्षक
80	श्री राजेन्द्र कुमार उईके	राजस्व निरीक्षक	118	श्री राधेश्याम पाटीदार	राजस्व निरीक्षक
81	श्री अतुल कसार	राजस्व निरीक्षक	119	श्री दिनेश व्यास	राजस्व निरीक्षक
उज्जैन संभाग			120	श्री ठाकुर प्रसाद दोहरे	राजस्व निरीक्षक
82	श्री मुकेश बामनिया	नायब तहसीलदार	121	श्री सुरेश चन्द्र बामनिया	राजस्व निरीक्षक
83	सुश्री प्रीति भिसे	नायब तहसीलदार	122	श्री कुबेर सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
84	श्री राजीव कुमार समाधिया	नायब तहसीलदार	शहडोल संभाग		
ग्वालियर संभाग			123	श्री विशाल रत्नम	राजस्व निरीक्षक
85	श्री धीरेन्द्र कुमार गुप्ता	नायब तहसीलदार	124	श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
86	सुश्री योगिता बाजपेई	नायब तहसीलदार	125	श्री कौशलेन्द्र शंकर मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
87	श्री लाल बहादुर शर्मा	राजस्व निरीक्षक	126	श्री रणमत सिंह कंवर	राजस्व निरीक्षक
88	श्री रामदीन सिंह सेमिल	राजस्व निरीक्षक	127	श्री सिलवेरियुस खलखो	राजस्व निरीक्षक
89	श्री सुरेन्द्र सिंह राजौरिया	राजस्व निरीक्षक	128	श्री राजेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
90	श्री मुन्नालाल जम्होरिया	राजस्व निरीक्षक	129	श्री वेद प्रकाश सिंह	राजस्व निरीक्षक
			130	श्री सनत कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
			131	श्री सोनेसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
132	श्री बैद्यनाथ पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक	172	श्री जमना प्रसाद भगत	राजस्व निरीक्षक
133	श्री मनोज सिंह	राजस्व निरीक्षक	173	श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक
134	श्री राजेन्द्र प्रसाद माझी	राजस्व निरीक्षक	174	श्री प्रकाश कुमार परते	राजस्व निरीक्षक
सागर संभाग			175	श्री शनिलाल सिरसाम	राजस्व निरीक्षक
135	श्री आलोक जैन	नायब तहसीलदार	176	श्री राकेश कुमार दीक्षित	राजस्व निरीक्षक
136	श्री संदीप कुमार तिवारी	नायब तहसीलदार	177	श्री अनुराग खरे	राजस्व निरीक्षक
137	कु. मीनाक्षी जायसवाल	नायब तहसीलदार	178	श्री विनोद कुमार कुरांम	राजस्व निरीक्षक
138	श्री नितिन गौड़	नायब तहसीलदार	179	श्री केदार सिंह रंहगडाले	राजस्व निरीक्षक
139	श्री चन्द्र कुमार ताम्रकार	नायब तहसीलदार	180	श्री प्रहलाद सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
140	श्री अभिनव शर्मा	नायब तहसीलदार	181	श्री विनोद कुमार पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
141	श्री भूपेन्द्र मसराम	नायब तहसीलदार	रीवा संभाग		
142	श्री निर्मल सिंह राठौर	नायब तहसीलदार	182	श्री अनिल पटेल	नायब तहसीलदार
143	श्री राजेश कुमार साहू	राजस्व निरीक्षक	183	कु. रैना तामिया	नायब तहसीलदार
144	श्री नीरज कुमार कलशिया	राजस्व निरीक्षक	184	श्री नागेन्द्र प्रसाद पनिका	नायब तहसीलदार
145	श्री चन्द्रशेखर शिल्पी	राजस्व निरीक्षक	185	श्री अरविन्द कुमार यादव	नायब तहसीलदार
146	श्री महेन्द्र कुमार कोल	राजस्व निरीक्षक	186	श्री नीलेश कुमार सिंह	नायब तहसीलदार
147	श्री कृष्ण कुमार पटेल	राजस्व निरीक्षक	187	श्री संदीप कुमार जायसवाल	नायब तहसीलदार
148	श्री बहादुर सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक	188	श्री कैलाश प्रसाद कुर्मी	नायब तहसीलदार
149	श्री विष्णु कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक	189	श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल	नायब तहसीलदार
150	श्री हरीदास अहिरवार	राजस्व निरीक्षक	190	श्री ददन सिंह	राजस्व निरीक्षक
151	श्री शिव प्रसाद नामदेव	राजस्व निरीक्षक	191	श्री सूर्यभान कोल	राजस्व निरीक्षक
152	श्री ओम प्रकाश अहिरवार	राजस्व निरीक्षक	192	श्री राघवेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
153	श्री आशीष कुमार रूसिया	राजस्व निरीक्षक	193	श्री कमलेश प्रसाद आदिवासी	राजस्व निरीक्षक
154	श्री अखिलेश कुमार बबेले	राजस्व निरीक्षक	194	श्री तेजपति सिंह	राजस्व निरीक्षक
155	श्री कमलेश कुमार गुप्ता	राजस्व निरीक्षक	195	श्री ललन सिंह	राजस्व निरीक्षक
जबलपुर संभाग			196	श्री कन्हैया लाल मिश्र	राजस्व निरीक्षक
156	श्री विनोद कुमार मरावी	नायब तहसीलदार	197	श्री सुवेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
157	सुश्री आर्काक्षा चौरसिया	नायब तहसीलदार	198	श्री ब्रजेश चन्द्र जायसवाल	राजस्व निरीक्षक
158	श्री सौरभ वर्मा	नायब तहसीलदार	199	श्री सुदामा प्रसाद कोरी	राजस्व निरीक्षक
159	कु. पूर्णिमा भगत	नायब तहसीलदार	200	श्री राज नारायण पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
160	कु. गुंजा परस्ते	नायब तहसीलदार	201	श्री राम प्रताप सोनी	राजस्व निरीक्षक
161	श्री दिनेश कुमार उईके	नायब तहसीलदार	202	श्री राजेश कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक
162	कु. वर्षा झारिया	नायब तहसीलदार	203	श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
163	श्री दिलीप हनवत	नायब तहसीलदार	204	श्री बंशराखन सिंह	राजस्व निरीक्षक
164	श्री आशीष श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार	205	श्री उत्तम कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक
165	सुश्री जानकी उईके	नायब तहसीलदार	206	श्री राम नरेश गौतम	राजस्व निरीक्षक
166	श्री सुमनलता मरावी	नायब तहसीलदार	207	श्री कृष्णा नायक	राजस्व निरीक्षक
167	श्री देवशरण सिंह नेताम	राजस्व निरीक्षक	208	श्री श्यामलाल कोरी	राजस्व निरीक्षक
168	श्री बृजभान सिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर		
169	श्री आशाराम बघेल	राजस्व निरीक्षक	भोपाल संभाग		
170	श्री रविशंकर सेन	राजस्व निरीक्षक	1	श्री धनीराम बौद्ध (अहिरवार)	राजस्व निरीक्षक
171	श्री बलीराम साहू	राजस्व निरीक्षक			

(1)	(2)	(3)
	होशंगाबाद संभाग	
2	श्री कैलाश चन्द्र व्यास	राजस्व निरीक्षक
3	श्री मिट्टूलाल पंवार	राजस्व निरीक्षक
4	श्रीमती संजू राजपूत	पटवारी
5	श्री राजेन्द्र कुमार उईके	राजस्व निरीक्षक
6	श्री शकम्भरी प्रसाद द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक

उज्जैन संभाग

7	श्री सत्यनारायण तलावत	राजस्व निरीक्षक
8	श्री बंसतिलाल डाभी	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

9	श्री बालकृष्ण गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
10	श्री सैयद गजनफर अली	राजस्व निरीक्षक
11	श्री महेश कुमार ओझा	राजस्व निरीक्षक
12	श्री योगेन्द्र त्रिपाठी	राजस्व निरीक्षक

इन्दौर संभाग

13	श्री नरेश चन्द्र श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
----	-----------------------------	-----------------

शहडोल संभाग

14	श्री बजरंग सिंह	राजस्व निरीक्षक
----	-----------------	-----------------

सागर संभाग

15	श्री सावधान अहिवार	राजस्व निरीक्षक
----	--------------------	-----------------

जबलपुर संभाग

16	श्री धनेश्वर प्रसाद श्रीवास	राजस्व निरीक्षक
17	श्री जुगल किशोर नेमा	राजस्व निरीक्षक
18	श्री बाल सिंह वल्को	राजस्व निरीक्षक
19	श्री धीरू लाल परते	राजस्व निरीक्षक
20	श्री केशी राम चौकसे	राजस्व निरीक्षक
21	श्री श्यामराज चौधरी	राजस्व निरीक्षक
22	श्री प्रकाश कुमार परते	राजस्व निरीक्षक
23	श्री हल्के सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
24	श्री सरफराज अली	राजस्व निरीक्षक
25	श्री चेताराम पन्धा	राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

26	श्री गया प्रसाद मिश्र	राजस्व निरीक्षक
27	श्री दयाराम मार्को	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
28	श्री वीरेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
29	श्री रामकुमार पनिका	राजस्व निरीक्षक
30	श्री इन्द्रभान सिंह	राजस्व निरीक्षक
31	श्री विष्णु दयाल पनिका	राजस्व निरीक्षक
32	डॉ. सुदामा प्रसाद कोल	राजस्व निरीक्षक

क्र. 2587-467-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी 2013 को प्रश्न पत्र-पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर भोपाल संभाग

1	कु. अंजली द्विवेदी	डिप्टी कलेक्टर
2	श्री इकबाल मोहम्मद रंगरेज	डिप्टी कलेक्टर
3	श्री मुकेश कुमार शर्मा	डिप्टी कलेक्टर
4	कु. दिव्या अवस्थी	डिप्टी कलेक्टर
5	श्री अनुकूल जैन	डिप्टी कलेक्टर
6	श्री चन्द्र प्रकाश पटेल	डिप्टी कलेक्टर
7	श्री राकेश सिंह मरकाम	डिप्टी कलेक्टर
8	कु. अर्चना गुप्ता	नायब तहसीलदार
9	श्री मनीष कुमार जैन	नायब तहसीलदार
10	श्री शिवशंकर सिंह गुर्जर	नायब तहसीलदार
11	श्री मनीष श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार
12	श्री अजय राज सिंह कुशवाह	नायब तहसीलदार
13	सुश्री सुनीता साहनी	नायब तहसीलदार
14	सुश्री सविता यादव	नायब तहसीलदार
15	सुश्री माला अहिरवार	नायब तहसीलदार
16	कु. सुमन लता माहौर	डिप्टी कलेक्टर
17	श्री दर्शनलाल नेगी	राजस्व निरीक्षक

उज्जैन संभाग

18	कु. रीना शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
----	----------------	-------------------------

ग्वालियर संभाग

19	श्री अजय सिंह वर्मा	विकासखण्ड अधिकारी
----	---------------------	-------------------

सागर संभाग

20	श्री रवि मुवेल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
----	----------------	-------------------------

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
21	श्री प्रतिपाल सिंह बागरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	18	श्रीमती रमादेवी कालवा	नायब तहसीलदार
22	श्री चन्द्रशेखर शिल्पी	राजस्व निरीक्षक	19	श्री प्रमेश जैन	नायब तहसीलदार
जबलपुर संभाग			20	श्री गौरीशंकर जाटव	नायब तहसीलदार
23	श्रीमती अंजना नागर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	21	कु. नेहा नागर	नायब तहसीलदार
24	श्री हरिशचन्द्र द्विवेदी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	22	कु. अंजलि गुप्ता	नायब तहसीलदार
25	कु. पूर्णिमा भगत	नायब तहसीलदार	23	श्री राजीव गोयल	नायब तहसीलदार
26	सुश्री जानकी उईके	नायब तहसीलदार	24	श्री प्रवीण पाटीदार	नायब तहसीलदार
27	श्री प्रहलाद सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक	25	श्री लक्ष्मण सिंह डिन्डोर	नायब तहसीलदार
इन्दौर संभाग			26	श्रीमती प्रेमलता पाल	नायब तहसीलदार
28	श्री मुकेश मालवीय	स. अ. भू-अभिलेख	27	कु. संगिता मेहतो	नायब तहसीलदार
29	श्री उपेन्द्र सिंह	नायब तहसीलदार	28	कु. माला शर्मा	नायब तहसीलदार
30	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार	29	कु. नीलिमा राजलवाल	नायब तहसीलदार
31	कु. रंजिता बावरे	नायब तहसीलदार	30	श्री मनीष कुमार शुक्ला	नायब तहसीलदार
32	श्री ठाकुर प्रसाद दोहरे	राजस्व निरीक्षक	31	श्री विनीत गोयल	नायब तहसीलदार
33	श्री मोहम्मद इरशाद	राजस्व निरीक्षक	32	श्री शेखर चौधरी	नायब तहसीलदार
34	श्री मनोहर लाल वर्मा	राजस्व निरीक्षक	33	कु. प्रियंका मिमरोट	नायब तहसीलदार
रीवा संभाग			34	श्री विकास चंद जैन	नायब तहसीलदार
35	श्री कैलाश प्रसाद कुर्मी	नायब तहसीलदार	35	कु. प्रियंका नेताम	नायब तहसीलदार
36	कु. श्रद्धा तिवारी	नायब तहसीलदार	36	श्री अमर सिंह राजपूत	स. अ. भू-अभिलेख
37	श्री संदीप कुमार जायसवाल	नायब तहसीलदार	37	श्री सुशील सिंह	राजस्व निरीक्षक
निम्नस्तर			38	श्री संतोष दुबे	राजस्व निरीक्षक
भोपाल संभाग			39	श्री मोहम्मद कदीर खान	राजस्व निरीक्षक
1	श्री नीलमणि अग्निहोत्री	डिप्टी कलेक्टर	40	श्री मोहम्मद इदरीस खान	राजस्व निरीक्षक
2	श्री शाश्वत सिंह मीना	डिप्टी कलेक्टर	41	श्री एन. एस. परमार	राजस्व निरीक्षक
3	कु. मीना दशरिये	नायब तहसीलदार	42	श्री ओ. पी. अवस्थी	राजस्व निरीक्षक
4	श्री शत्रुघ्न चतुर्वेदी	नायब तहसीलदार	43	श्री धनीराम बौद्ध (अहिरवार)	राजस्व निरीक्षक
5	श्री सुनील कुमार प्रभास	नायब तहसीलदार	44	श्री ए. मुरलीधर	राजस्व निरीक्षक
6	श्री सुनील वर्मा	नायब तहसीलदार	45	सुश्री रेवती रमण पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
7	श्री गजेन्द्र सिंह लोधी	नायब तहसीलदार	46	श्री मुजीब उद्दीन खिलजी	राजस्व निरीक्षक
8	श्री प्रशान्त सिंह सुमन	नायब तहसीलदार	उज्जैन संभाग		
9	श्री कमल सिंह मण्डेलिया	नायब तहसीलदार	47	श्री मुकेश बामनिया	नायब तहसीलदार
10	श्री भूपेन्द्र कैलासिया	नायब तहसीलदार	48	सुश्री प्रीति भिसे	नायब तहसीलदार
11	श्री भरत सिंह नायक	नायब तहसीलदार	49	कु. श्रुति चौधरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
12	श्री नारायण नन्देड़ा	नायब तहसीलदार	होशंगाबाद संभाग		
13	श्री हितेन्द्र कुमार भावसार	नायब तहसीलदार	50	श्री तुलसी राम गायकवाड़	राजस्व निरीक्षक
14	सुश्री प्रीति नागेन्द्र	नायब तहसीलदार	51	श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
15	श्री मुकेश कुमार राज	नायब तहसीलदार	52	श्री दिलीप सिंह परते	राजस्व निरीक्षक
16	डॉ. अम्बर पंथी	नायब तहसीलदार	53	श्री टोपसिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
17	श्री कुलदीपक कुमार दुबे	नायब तहसीलदार	54	श्री संजीव कुमार मांडरे	राजस्व निरीक्षक
			55	श्री मिट्टूलाल पंचार	राजस्व निरीक्षक
			56	श्रीमती संजू राजपूत	पटवारी
			57	श्री रामसिपाही सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
58	श्री अतुल कसार	राजस्व निरीक्षक	96	श्री विनोद कुमार कुराम	राजस्व निरीक्षक
59	श्री शाकम्मी प्रसाद द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक	97	श्री अनुराग खरे	राजस्व निरीक्षक
ग्वालियर संभाग			98	श्री श्यामलाल धानक	राजस्व निरीक्षक
60	श्री रविकान्त ऊदे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	99	श्री धीरूलाल परते	राजस्व निरीक्षक
61	श्री राजीव कुमार समाधिया	नायब तहसीलदार	100	श्री आशाराम बघेल	राजस्व निरीक्षक
62	श्रीमती योगिता बाजपेई	नायब तहसीलदार	101	श्री देवशरण सिंह नेताम	राजस्व निरीक्षक
63	श्री योगेन्द्र त्रिपाठी	राजस्व निरीक्षक	इन्दौर संभाग		
64	श्री मानसिंह रावत	राजस्व निरीक्षक	102	कु. माया बारिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
65	श्री लालबहादुर शर्मा	राजस्व निरीक्षक	103	श्री अखिलेश शर्मा	नायब तहसीलदार
66	श्री आनंद कुमार जैन	राजस्व निरीक्षक	104	कु. वंदना चौहान	नायब तहसीलदार
67	श्री राकेश शर्मा	राजस्व निरीक्षक	105	श्री नितिन चौहान	नायब तहसीलदार
सागर संभाग			106	श्री विजय कुमार सेनानी	नायब तहसीलदार
68	श्री सतीश सिंह नागवंशी	विकास खण्ड अधिकारी	107	श्री कुबेर सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
69	कु. प्रतिष्ठा जैन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	108	श्री दिनेश व्यास	राजस्व निरीक्षक
70	श्री आलोक जैन	नायब तहसीलदार	109	श्री राधेश्याम पाटीदार	राजस्व निरीक्षक
71	श्री संदीप कुमार तिवारी	नायब तहसीलदार	110	श्री राधूसिंह हम्लावर	राजस्व निरीक्षक
72	श्री भूपेन्द्र मसराम	नायब तहसीलदार	111	श्री शंकरसिंह खपेड़	राजस्व निरीक्षक
73	श्री चन्द्र कुमार ताम्रकार	नायब तहसीलदार	112	श्री रामसिंह मचार	राजस्व निरीक्षक
74	श्री नितिन गोड़	नायब तहसीलदार	113	श्री सुरेश कुमार राय	राजस्व निरीक्षक
75	श्री जयहिन्द सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक	114	श्री रामकृष्ण दुबे	राजस्व निरीक्षक
76	श्री अनिल कुमार अहिरवार	राजस्व निरीक्षक	115	कु. श्रद्धा गोसावी	राजस्व निरीक्षक
77	श्री महेश प्रसाद दुबे	राजस्व निरीक्षक	116	श्री कैलाश प्रसाद यादव	राजस्व निरीक्षक
78	श्री हरिदास अहिरवार	राजस्व निरीक्षक	117	श्री बसंतिलाल बावनिया	राजस्व निरीक्षक
79	श्री शिव प्रसाद नामदेव	राजस्व निरीक्षक	118	श्री मनीष चतुर्वेदी	राजस्व निरीक्षक
80	श्री ओम प्रकाश अहिरवार	राजस्व निरीक्षक	शहडोल संभाग		
81	श्री अखिलेश कुमार बबेले	राजस्व निरीक्षक	119	श्री विशाल रत्नम	राजस्व निरीक्षक
82	श्री जय प्रकाश शुक्ला	राजस्व निरीक्षक	120	श्री राजकुमार टाण्डिया	राजस्व निरीक्षक
83	श्री बहादुर सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक	121	श्री शिव पुरोहित गौतम	राजस्व निरीक्षक
जबलपुर संभाग			रीवा संभाग		
84	श्री उदय प्रताप सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	122	श्री बी. विजय दत्ता	सहायक कलेक्टर
85	श्री विवेक व्यास	नायब तहसीलदार	123	श्री राजू मेड़ा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
86	श्री विनोद कुमार मरावी	नायब तहसीलदार	124	श्री नीलेश कुमार सिंह	नायब तहसीलदार
87	कु. आकाक्षा चौरसिया	नायब तहसीलदार	125	श्री अरविन्द कुमार यादव	नायब तहसीलदार
88	श्री गौरव कुमार पांडे	नायब तहसीलदार	126	श्री अनिल पटेल	नायब तहसीलदार
89	कु. गुंजा परस्ते	नायब तहसीलदार	127	श्री ब्रजेश चन्द्र जायसवाल	राजस्व निरीक्षक
90	श्री दिनेश कुमार उईके	नायब तहसीलदार	128	श्री सूर्यभान कोल	राजस्व निरीक्षक
91	कु. वर्षा झारिया	नायब तहसीलदार	129	श्री दयाराम मार्को	राजस्व निरीक्षक
92	श्री दिलीप हनवत	नायब तहसीलदार	130	श्री वीरेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
93	सुश्री सुमनलता मरावी	नायब तहसीलदार	131	श्री राघवेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
94	श्री हीरालाल तिवारी	स. अ. भू-अभिलेख	132	श्री नारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक
95	श्री सरफराज अली	राजस्व निरीक्षक	133	श्री उत्तम कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक
			134	श्री के. पी. हलवाई	राजस्व निरीक्षक
			135	डॉ. सुदामा प्रसाद कोल	राजस्व निरीक्षक

क्र. 2589-468-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-द्वितीय दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया-दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
उच्चस्तर		
भोपाल संभाग		
1	सुश्री अंजली सिंह ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
2	श्री राकेश सिंह मरकाम	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
3	श्री मुकेश कुमार शर्मा	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
4	श्री इकबाल मोहम्मद रंगरेज	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
5	कु. नेहा शिवहरे	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
6	कु. अंजली द्विवेदी	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
7	कु. सुमनलता माहौर	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
8	श्री शत्रघ्न चतुर्वेदी	नायब तहसीलदार
9	श्री यजुवेन्द्र वाघमारे	नायब तहसीलदार
10	कु. अर्चना गुप्ता	नायब तहसीलदार
11	कु. मीना दशरिये	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
12	कु. प्रियंका नेताम	नायब तहसीलदार
13	श्री विकास चंद जैन	नायब तहसीलदार
14	कु. प्रियंका मिमरोट	नायब तहसीलदार
15	कु. नेहा जैन	नायब तहसीलदार
16	श्री संजय कुमार बारसकर	नायब तहसीलदार
17	श्री शेखर चौधरी	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
18	श्री विनीत गोयल	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
19	श्री मनीष कुमार शुक्ला	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
20	कु. नीलिमा राजलवाल	नायब तहसीलदार
21	कु. माला अहिरवार	नायब तहसीलदार
22	कु. माला शर्मा	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
23	श्री लक्ष्मण सिंह डिन्डोर	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
24	श्री प्रवीण पाटीदार	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
25	श्री राजीव गोयल	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
26	कु. अंजलि गुप्ता	नायब तहसीलदार
27	श्री गौरीशंकर जाटव	नायब तहसीलदार
28	श्री प्रमेश जैन	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
29	श्रीमती रमादेवी कालवा	नायब तहसीलदार
30	सुश्री सविता यादव	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
31	श्री कुलदीपक कुमार दुबे	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
32	डॉ. अम्बर पंथी	नायब तहसीलदार (सश्रेय)

(1)	(2)	(3)
33	श्री मुकेश कुमार राज	नायब तहसीलदार
34	सुश्री सुनीता साहनी	नायब तहसीलदार
35	सुश्री प्रीति नागेन्द्र	नायब तहसीलदार
36	श्री हितेन्द्र कुमार भावसार	नायब तहसीलदार
37	श्री अजय राज सिंह कुशवाह	नायब तहसीलदार
38	श्री नारायण नन्देड़ा	नायब तहसीलदार
39	श्री मनीष श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार
40	श्री भूपेन्द्र कैलासिया	नायब तहसीलदार
41	श्री शिवशंकर सिंह गुर्जर	नायब तहसीलदार
42	श्री कमल सिंह मण्डेलिया	नायब तहसीलदार
43	श्री प्रशान्त सिंह सुमन	नायब तहसीलदार
44	श्री गजेन्द्र सिंह लोधी	नायब तहसीलदार
45	श्री सुनील वर्मा	नायब तहसीलदार
46	श्री मनीष कुमार जैन	नायब तहसीलदार
47	श्री सुनील कुमार शर्मा दौनैरिया	नायब तहसीलदार
48	श्री सुनील कुमार प्रभास	नायब तहसीलदार
49	श्री ए. मुरलीधर	राजस्व निरीक्षक
50	श्री देवेन्द्र शुक्ला	राजस्व निरीक्षक
51	श्री मो. इदरीस खान	राजस्व निरीक्षक
52	श्री फिरोज अली	राजस्व निरीक्षक
53	श्री राजन शर्मा	राजस्व निरीक्षक
54	श्री एन. एस. परमार	राजस्व निरीक्षक
55	श्री ओ. पी. अवस्थी	राजस्व निरीक्षक
56	श्री उमाशंकर विश्वकर्मा	राजस्व निरीक्षक
57	श्री राधेश्याम राठौर	राजस्व निरीक्षक
58	श्री दर्शनलाल नेगी	राजस्व निरीक्षक
60	श्री मो. कदीर खान	राजस्व निरीक्षक
61	श्री करन्जूलाल अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
62	श्री संतोष दुबे	राजस्व निरीक्षक
65	श्री योगेश श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
सागर संभाग		
66	श्री विष्णु कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक
67	कु. मीनाक्षी जायसवाल	नायब तहसीलदार
68	श्री निर्मल सिंह राठौर	नायब तहसीलदार
69	श्री नितिन गौड़	नायब तहसीलदार
70	श्री भूपेन्द्र मसराम	नायब तहसीलदार
71	श्री आलोक जैन	राजस्व निरीक्षक
72	श्री ओम प्रकाश अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
	श्रीमती इन्दु गौड़	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
73	श्री नीरज कुमार कलशिया	राजस्व निरीक्षक			निम्नस्तर
74	श्री चन्द्र शेखर शिल्पी	राजस्व निरीक्षक			भोपाल संभाग
75	श्री सावधान अहिरवार	राजस्व निरीक्षक			
जबलपुर संभाग			1	श्री अमर सिंह राजपूत	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
76	सुश्री जानकी उईके	नायब तहसीलदार	2	सै. परवेज अली	राजस्व निरीक्षक
77	श्री आशीष श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार	3	श्री धनीराम बौद्ध (अहिरवार)	राजस्व निरीक्षक
78	कु. वर्षा झारिया	नायब तहसीलदार	4	श्री थानसिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
79	श्री दिनेश कुमार उईके	नायब तहसीलदार (सश्रेय)	5	श्री कमलेश मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
80	सुश्री पूर्णिमा भगत	नायब तहसीलदार	6	सुश्री रेवती रमण पाण्डे	राजस्व निरीक्षक
81	श्री सौरभ वर्मा	नायब तहसीलदार (सश्रेय)	7	श्री मुजीब उद्दीन खिलजी	राजस्व निरीक्षक
82	सुश्री सुमनलता मरावी	नायब तहसीलदार	सागर संभाग		
83	श्रीमती मर्यादा बागड़े	स.अ.भू-अभिलेख	8	श्री हरीदास अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
84	श्री हीरालाल तिवारी	स.अ.भू-अभिलेख	9	श्री बहादुर सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
85	श्री विनोद कुमार कुरीम	राजस्व निरीक्षक	10	श्री महेन्द्र कुमार कोल	राजस्व निरीक्षक
ग्वालियर संभाग			11	श्री अभिनव शर्मा	नायब तहसीलदार
86	श्री आनंद कुमार जैन	राजस्व निरीक्षक	12	श्री संदीप कुमार तिवारी	नायब तहसीलदार
87	श्री मुन्नासिंह गुर्जर	राजस्व निरीक्षक	13	श्री चन्द्र कुमार ताम्रकार	नायब तहसीलदार
इन्दौर संभाग			14	श्री जय प्रकाश शुक्ला	राजस्व निरीक्षक
88	श्री उपेन्द्र सिंह	नायब तहसीलदार	15	श्री आशीष कुमार रूसिया	राजस्व निरीक्षक
89	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार	16	श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
90	कु. रंजिता बावरे	नायब तहसीलदार	17	श्री शिव प्रसाद नामदेव	राजस्व निरीक्षक
91	श्री दिनेश व्यास	राजस्व निरीक्षक	18	श्री रज्जन सिंह	राजस्व निरीक्षक
92	श्री राधेश्याम पाटीदार	राजस्व निरीक्षक	19	श्री प्रीतम सिंह गोंड	राजस्व निरीक्षक
93	श्री संतोष चौरे	राजस्व निरीक्षक	20	श्री अखिलेश कुमार बबेले	राजस्व निरीक्षक
रीवा संभाग			21	श्री कमलेश कुमार गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
94	श्री नागेश्वर प्रसाद पनिका	नायब तहसीलदार (सश्रेय)	22	श्रीमती इन्दु गौड़	राजस्व निरीक्षक
95	श्री अनिल पटेल	नायब तहसीलदार (सश्रेय)	23	श्री राजेश कुमार साहू	राजस्व निरीक्षक
96	श्री कृष्णा नायक	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)	24	श्री अनिल कुमार अहिरवाल	राजस्व निरीक्षक
96	श्री वीरेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक	25	श्री महेश प्रसाद दुबे	राजस्व निरीक्षक
शहडोल संभाग			26	श्री प्रीतम सिंह	राजस्व निरीक्षक
97	श्री विशाल रत्नम	राजस्व निरीक्षक	27	श्री महेन्द्र सिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
98	श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक	जबलपुर संभाग		
99	श्री कौशलेन्द्र शंकर मिश्र	राजस्व निरीक्षक	28	श्री दिलीप हनवत	नायब तहसीलदार
100	श्री वेद प्रकाश सिंह	राजस्व निरीक्षक	29	कु. गुंजा परस्ते	नायब तहसीलदार
101	श्री बैद्यनाथ पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)	30	कु. आकाशा चौरसिया	नायब तहसीलदार
होशंगाबाद संभाग			31	श्री विनोद कुमार मरावी	नायब तहसीलदार
102	श्री संजीव कुमार मांडरे	राजस्व निरीक्षक	32	श्री विवेक व्यास	नायब तहसीलदार
103	श्री गिरवरदास पाटिल	राजस्व निरीक्षक	33	श्री प्रहलाद सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
104	श्री अतुल कसार	राजस्व निरीक्षक	34	श्री विनोद कुमार पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
35	श्री नन्दलाल मरकाम	राजस्व निरीक्षक	इन्दौर संभाग		
36	श्री सरफराज अली	राजस्व निरीक्षक	71	श्री दिवाकर सुल्या	नायब तहसीलदार
37	श्री अनुराग खरे	राजस्व निरीक्षक	72	कु. वंदना चौहान	नायब तहसीलदार
38	श्री राकेश कुमार दीक्षित	राजस्व निरीक्षक	73	श्री नितिन चौहान	नायब तहसीलदार
39	श्री श्यामराज चौधरी	राजस्व निरीक्षक	74	श्री विजय कुमार सेनानी	नायब तहसीलदार
40	श्री प्रकाश कुमार परते	राजस्व निरीक्षक	75	श्री संतोष कुमार कुशवाह	राजस्व निरीक्षक
41	श्री केशी राम चौकसे	राजस्व निरीक्षक	76	श्री योगेश मलतारे	राजस्व निरीक्षक
42	श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक	77	श्री भीमसिंह खराड़ी	राजस्व निरीक्षक
43	श्री श्याम लाल धानक	राजस्व निरीक्षक	78	श्री वरूण कुमार उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
44	श्री धीरू लाल परते	राजस्व निरीक्षक	79	श्री कुबेरसिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
45	श्री बाल सिंह वल्को	राजस्व निरीक्षक	80	श्री सुरेश चन्द बामनिया	राजस्व निरीक्षक
46	श्री जमना प्रसाद भगत	राजस्व निरीक्षक	81	श्री ठाकुर प्रसाद दोहरे	राजस्व निरीक्षक
47	श्री जुगल किशोर नेमा	राजस्व निरीक्षक	82	श्री नरेश चंद्र श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
48	श्री बलीराम साहू	राजस्व निरीक्षक	83	श्री राजेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
49	श्री रविशंकर सेन	राजस्व निरीक्षक	84	श्री राधूसिंह हमलावर	राजस्व निरीक्षक
50	श्री धनेश्वर प्रसाद श्रीवास	राजस्व निरीक्षक	85	श्री शंकरसिंह खपेड	राजस्व निरीक्षक
51	श्री सुकमन सिंह कुलेश	राजस्व निरीक्षक	86	श्री रामसिंह मचार	राजस्व निरीक्षक
52	श्री आशाराम बघेल	राजस्व निरीक्षक	87	श्री दिवेश डोगरे	राजस्व निरीक्षक
53	श्री बृजभान सिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक	88	श्री रजनीश उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
54	श्री राम कुमार यादव	राजस्व निरीक्षक	89	श्री सुरेश कुमार राय	राजस्व निरीक्षक
55	श्री हल्के सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक	90	श्री सुन्दर लाल सहारे	राजस्व निरीक्षक
उज्जैन संभाग			91	श्री मोहम्मद इरशाद	राजस्व निरीक्षक
56	सुश्री प्रीति भिसे	नायब तहसीलदार	92	श्री मनोहर लाल वर्मा	राजस्व निरीक्षक
57	श्री मुकेश बामनिया	राजस्व निरीक्षक	93	श्री मनोज कुमार राय	राजस्व निरीक्षक
58	श्री रामेश्वर डामर	राजस्व निरीक्षक	94	श्री मनीष चतुर्वेदी	राजस्व निरीक्षक
59	श्री भारत कुमार देवड़ा	राजस्व निरीक्षक	95	श्री भागीरथ चौहान	राजस्व निरीक्षक
60	श्री करमचन्द डोडियार	राजस्व निरीक्षक	96	श्री मनीष बिरथरे	राजस्व निरीक्षक
ग्वालियर संभाग			97	श्री बसंती लाल बावनिया	राजस्व निरीक्षक
61	श्रीमती योगिता बाजपेई	नायब तहसीलदार	98	श्री अनिल कुमार वैष्णव	राजस्व निरीक्षक
62	श्री धीरेन्द्र कुमार गुप्ता	नायब तहसीलदार	99	श्री रामलाल खेड़ेकर	राजस्व निरीक्षक
63	श्री राजीव कुमार समाधिया	नायब तहसीलदार	100	श्री लक्ष्मण मालवीय	राजस्व निरीक्षक
64	श्री बालकृष्ण गुप्ता	राजस्व निरीक्षक	101	श्री कैलाश प्रसाद यादव	राजस्व निरीक्षक
65	श्री सैयद गजनफर अली	राजस्व निरीक्षक	102	श्री रामकृष्ण दुबे	राजस्व निरीक्षक
66	श्री राकेश शर्मा	राजस्व निरीक्षक	103	कु. श्रद्धा गोसावी	राजस्व निरीक्षक
67	श्री नरेश उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक	104	श्री संतोष पाटील	राजस्व निरीक्षक
68	श्री हितेन्द्र सिंह कुशवाह	राजस्व निरीक्षक	रीवा संभाग		
69	श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डे	राजस्व निरीक्षक	105	श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल	राजस्व निरीक्षक
70	श्री महेश कुमार ओझा	राजस्व निरीक्षक	106	कु. रैना तामिया	राजस्व निरीक्षक
			107	श्री संदीप कुमार जायसवाल	नायब तहसीलदार
			108	श्री नीलेश कुमार सिंह	नायब तहसीलदार

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
109	श्री अरविन्द कुमार यादव	नायब तहसीलदार	146	श्री हंसकुमार ओनकर	राजस्व निरीक्षक
110	श्री कैलाश प्रसाद कुर्मी	नायब तहसीलदार	147	श्री विजय सिंह बेलवंशी	राजस्व निरीक्षक
111	श्री शारदा प्रसाद सोनी	राजस्व निरीक्षक	148	श्री सुरेश कुमार चौहान	राजस्व निरीक्षक
112	श्री के. पी. हलवाई	राजस्व निरीक्षक	149	श्री राजेश कुमार कुमारे	राजस्व निरीक्षक
113	श्री उत्तम कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक	भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2013		
114	डॉ. सुदामा प्रसाद कोल	राजस्व निरीक्षक	क्र. 2630-446-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा सामान्य		
115	श्री राम कुमार पनिका	राजस्व निरीक्षक	प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये		
116	श्री कमलेश प्रसाद आदिवासी	राजस्व निरीक्षक	विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-		
117	श्री नारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक	प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया-तृतीय (राजस्व के मामले में		
118	श्री दयाराम मार्को	राजस्व निरीक्षक	आदेश का लिखा जाना) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न		
119	श्री सूर्यभान कोल	राजस्व निरीक्षक	परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—		
120	श्री राघवेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक	अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
121	श्री प्रदीप कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक	(1)	(2)	(3)
122	श्री गया प्रसाद मिश्र	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर		
123	श्री सुदामा प्रसाद कोरी	राजस्व निरीक्षक	उज्जैन संभाग		
124	श्री श्याम लाल कोरी	राजस्व निरीक्षक	1	कु. प्रीति भिसे	नायब तहसीलदार
125	श्री अम्बिका प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक	2	कु. अनुग्रह पी	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
126	श्री राजेश कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक	होशंगाबाद संभाग		
127	श्री ब्रजेश चन्द्र जायसवाल	राजस्व निरीक्षक	3	कु. नेहा मारव्या	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
128	श्री विष्णु दयाल पनिका	राजस्व निरीक्षक	4	श्री हरजिन्दर सिंह	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
शहडोल संभाग			5	श्री दिलीप सिंह परते	राजस्व निरीक्षक
129	श्री रणमत सिंह कंवर	राजस्व निरीक्षक	6	श्री टोपसिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
130	श्री रमाकान्त तिवारी	राजस्व निरीक्षक	7	श्री अतुल कसार	राजस्व निरीक्षक
131	श्री सिलवेरियुस खलखो	राजस्व निरीक्षक	8	श्री धनजी मालवीय	राजस्व निरीक्षक
132	श्री राजेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक	9	श्री तुलसी राम गायकवाड़	राजस्व निरीक्षक
133	श्री इन्द्रजीत सिंह	राजस्व निरीक्षक	10	श्री सुरेश कुमार चौहान	राजस्व निरीक्षक
134	श्री कन्हैया दास पनिका	राजस्व निरीक्षक	11	श्री रामसिपाही सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
135	श्री कोमल सिंह	राजस्व निरीक्षक	ग्वालियर संभाग		
होशंगाबाद संभाग			12	श्री मोहित बुन्दस	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
136	श्री शाकम्भरी प्रसाद द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक	13	श्री राजीव कुमार समाधिया	नायब तहसीलदार
137	श्री रामसिपाही सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक	14	श्री हितेन्द्र सिंह कुशवाह	राजस्व निरीक्षक
138	श्री कैलाश चन्द्र व्यास	राजस्व निरीक्षक	15	श्रीमती योगिता बाजपेई	नायब तहसीलदार
139	श्री दिलीप सिंह परते	राजस्व निरीक्षक	जबलपुर संभाग		
140	श्रीमती संजू राजपूत	पटवारी	16	श्री राजूलाल नामदेव	राजस्व निरीक्षक
141	श्री हीरू कुमारे	राजस्व निरीक्षक	17	सुश्री जानकी उईके	नायब तहसीलदार
142	श्री राजेश कुमार त्रिपाठी	राजस्व निरीक्षक	18	श्री जमना प्रसाद भगत	राजस्व निरीक्षक
143	श्री फत्या मानकर	राजस्व निरीक्षक			
144	श्री धनजी मालवीय	राजस्व निरीक्षक			
145	श्री तुलसीराम गायकवाड़	राजस्व निरीक्षक			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
19	श्री रायसिंह कुशराम	राजस्व निरीक्षक	54	श्री मनीष बिर्थरे	राजस्व निरीक्षक
20	कु. वर्षा झारिया	नायब तहसीलदार	55	श्री भागीरथ चौहान	राजस्व निरीक्षक
21	श्री दिनेश कुमार उईके	नायब तहसीलदार	56	श्री मनीष चतुर्वेदी	राजस्व निरीक्षक
22	कु. गुंजा परस्ते	नायब तहसीलदार (सश्रेय)	57	श्री नितिन चौहान	नायब तहसीलदार
23	श्री प्रकाश कुमार परते	राजस्व निरीक्षक	58	श्री मनोज कुमार राय	राजस्व निरीक्षक
24	श्री शनिलाल सिरसाम	राजस्व निरीक्षक	59	श्री मोहम्मद इरशाद	राजस्व निरीक्षक
25	श्री सौरभ कुमार सुमन	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)	60	श्री सुन्दरलाल सहारे	राजस्व निरीक्षक
26	श्री अनुराग खरे	राजस्व निरीक्षक	61	श्री सुरेश कुमार राय	राजस्व निरीक्षक
27	कु. रंजना पाटने	डिप्टी कलेक्टर	62	श्री रजनीश उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
28	कु. आकांक्षा चौरसिया	नायब तहसीलदार	63	श्री दिवेश डोगरे	राजस्व निरीक्षक
29	सुश्री रीति सोनवे नाग	सहा. अधी. भू-अभि.	64	श्री शंकरसिंह खपेड़	राजस्व निरीक्षक
रीवा संभाग			65	श्री राधेश्याम पाटीदार	राजस्व निरीक्षक
30	श्री बी. विजय दत्ता	सहायक कलेक्टर	66	श्री दिनेश व्यास	राजस्व निरीक्षक
31	श्री नीलेश कुमार सिंह	नायब तहसीलदार	67	श्री ठाकुर प्रसाद दोहरे	राजस्व निरीक्षक
32	श्री अनिल पटेल	नायब तहसीलदार	68	श्री सुरेश चन्द बामनिया	राजस्व निरीक्षक
33	श्री अरविन्द कुमार यादव	नायब तहसीलदार	69	कु. वंदना चौहान	राजस्व निरीक्षक
34	कु. रैना तामियाँ	नायब तहसीलदार	70	कु. रंजिता बावरे	नायब तहसीलदार
35	कु. श्रद्धा तिवारी	नायब तहसीलदार	71	श्री कुबेर सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
36	श्री राजीव कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार	72	श्री दिवाकर सुल्या	नायब तहसीलदार
37	श्री संदीप कुमार जायसवाल	नायब तहसीलदार	73	श्री वरुण कुमार उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
38	श्री राघवेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक	74	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार
39	श्री प्रदीप कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक	75	श्री उपेन्द्र सिंह	नायब तहसीलदार
40	श्री दयाराम मार्को	राजस्व निरीक्षक	76	कु. पूनम सिंह	सहा. अधी. भू-अभि.
41	श्री वीरेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक	77	श्री संतोष पाराशर	राजस्व निरीक्षक
शहडोल संभाग			सागर संभाग		
42	श्री कृष्णा नायक	राजस्व निरीक्षक	78	श्री सावधान अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
43	श्री राम कुमार पनिका	राजस्व निरीक्षक	79	श्री नीरज कुमार कलशिया	राजस्व निरीक्षक
44	श्री राम प्रताप सोनी	राजस्व निरीक्षक	80	श्री विष्णु कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक
इंदौर संभाग			81	श्री कमलेश कुमार गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
45	श्री गणेश प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक	82	श्री नितिन गौड़	नायब तहसीलदार
46	श्री शिवशंकर मिश्र	राजस्व निरीक्षक	83	श्री भूपेन्द्र मसराम	नायब तहसीलदार
47	श्री राजेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक	84	श्री शैवाल सिंह	नायब तहसीलदार
48	श्री अंकुर मेश्राम	डिप्टी कलेक्टर	85	श्री जे. विजय कुमार	सहायक कलेक्टर
इंदौर संभाग			86	श्री दिलीप कुमार चौरसिया	नायब तहसीलदार
49	कु. श्रद्धा गोसावी	राजस्व निरीक्षक	87	श्री आलोक जैन	नायब तहसीलदार
50	श्री कैलाश प्रसाद यादव	राजस्व निरीक्षक	88	श्री संदीप कुमार तिवारी	नायब तहसीलदार
51	कु. प्रियंका जैन	सहा. अधी. भू-अभि.	89	कु. मीनाक्षी जायसवाल	नायब तहसीलदार
52	श्री विजय कुमार सेनानी	नायब तहसीलदार	90	श्रीमती सपना स्मृति खेमरिया	डिप्टी कलेक्टर
53	श्री लक्ष्मण मालवीय	राजस्व निरीक्षक	91	श्री चन्द्र कुमार ताम्रकार	नायब तहसीलदार
			92	श्री ओम प्रकाश अहिरवार	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
30	श्री राकेश कुमार दीक्षित	राजस्व निरीक्षक	66	श्री अनिल कुमार वैष्णव	राजस्व निरीक्षक
31	श्री विनोद कुमार कुराम	राजस्व निरीक्षक	67	श्री बसंतीलाल बावनिया	राजस्व निरीक्षक
32	श्री अनिल कुमार मिश्रा	राजस्व निरीक्षक	68	श्री मनोहर लाल वर्मा	राजस्व निरीक्षक
33	श्री केदार सिंह रंहगडाले	राजस्व निरीक्षक	69	श्री राधूसिंह हम्लावर	राजस्व निरीक्षक
34	श्री सहदेव सिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक	70	श्री राधेश्याम धाकड़	सहा. अधी. भू-अभि.
35	श्री सरफराज अली	राजस्व निरीक्षक	71	श्री कमलेश पाराशर	राजस्व निरीक्षक
36	कु. पूर्णिमा भगत	नायब तहसीलदार	72	श्री सुनील करवरे	राजस्व निरीक्षक
37	श्री सौरभ वर्मा	नायब तहसीलदार	सागर संभाग		
38	श्री विनोद कुमार मरावी	नायब तहसीलदार	73	श्री राजेश कुमार साहू	राजस्व निरीक्षक
39	श्री विवेक व्यास	नायब तहसीलदार	74	श्री चन्द्रशेखर शिल्पी	राजस्व निरीक्षक
40	श्री भगवान दास रैदास	राजस्व निरीक्षक	75	श्री रमेश कुमार जैन	नायब तहसीलदार
41	श्री मोतीलाल डेहरिया	राजस्व निरीक्षक	76	श्री बहादुर सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
42	श्री राकेश कुमार कटारया	राजस्व निरीक्षक	77	श्री महेन्द्र कुमार कोल	राजस्व निरीक्षक
43	श्री राम कुमार यादव	राजस्व निरीक्षक	78	श्री महेन्द्र सिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
44	श्री हल्के सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक	79	श्री अखिलेश कुमार बबेले	राजस्व निरीक्षक
45	श्री प्रहलाद सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक	80	श्री निर्मल सिंह राठौर	नायब तहसीलदार
46	श्री सुन्दर लाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक	81	श्री अभिनव शर्मा	नायब तहसीलदार
47	श्री नन्दलाल मरकाम	राजस्व निरीक्षक	82	श्री शिव प्रसाद नामदेव	राजस्व निरीक्षक
रीवा संभाग			83	श्री हरीदास अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
48	श्री नागेश्वर प्रसाद पनिका	नायब तहसीलदार	भोपाल संभाग		
49	श्री कैलाश प्रसाद कुर्मी	नायब तहसीलदार	84	श्री शिव शंकर सिंह गुर्जर	नायब तहसीलदार
50	श्री मधुकर प्रसाद पाण्डेय	सहा. अधी. भू-अभि.	85	श्री भरत सिंह नायक	नायब तहसीलदार
51	श्री सूर्यभान कोल	राजस्व निरीक्षक	86	श्री मुकेश कुमार राज	नायब तहसीलदार
52	श्री वंश राखन सिंह	राजस्व निरीक्षक	87	श्री गौरी शंकर जाटव	नायब तहसीलदार
53	श्री गया प्रसाद मिश्र	राजस्व निरीक्षक	88	कु. नेहा नागर	नायब तहसीलदार
54	श्री नारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक	89	श्रीमती प्रेमलता पाल	नायब तहसीलदार
55	श्री कन्हैया लाल मिश्र	राजस्व निरीक्षक	90	सुश्री माला अहिरवार	नायब तहसीलदार
56	श्री राजेश कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक	91	कु. नीलिमा राजलवाल	नायब तहसीलदार
शहडोल संभाग			92	श्री मनीष कुमार शुक्ला	नायब तहसीलदार
57	श्री विशाल रत्नम	राजस्व निरीक्षक	93	श्री शेखर चौधरी	नायब तहसीलदार
58	श्री कौशलेन्द्र शंकर मिश्र	राजस्व निरीक्षक	94	श्री संजय कुमार बारसकर	नायब तहसीलदार
59	श्री रमाकांत तिवारी	राजस्व निरीक्षक	95	श्री रवीश कुमार भदौरिया	नायब तहसीलदार
60	श्री विनोद कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक	96	कु. नेहा जैन	नायब तहसीलदार
61	श्री संदीप कुमार बघेल	सहा. अधी. भू-अभि.	97	कु. प्रियंका मिमरोट	नायब तहसीलदार
62	श्री माधव प्रसाद मोंगरे	राजस्व निरीक्षक	98	श्री इकबाल मोहम्मद रंगरेज	डिप्टी कलेक्टर
63	श्री वेद प्रकाश सिंह	राजस्व निरीक्षक	99	कु. नेहा शिवहरे	डिप्टी कलेक्टर
64	श्री इन्द्रजीत सिंह	राजस्व निरीक्षक	100	श्री योगेश श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
इंदौर संभाग			101	श्री मुजीब उद्दीन खिलजी	राजस्व निरीक्षक
65	श्री रामकृष्ण दुबे	राजस्व निरीक्षक	102	श्री करन्जु लाल अहिरवार	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
103	सुश्री रेवती रमण पाण्डे	राजस्व निरीक्षक
104	श्री ए. मुरलीधर	राजस्व निरीक्षक
105	श्री दर्शनलाल नेगी	राजस्व निरीक्षक
106	श्री अमर सिंह राजपूत	सहा. अधी. भू-अभि.
107	श्री धनीराम बौद्ध (अहिरवार)	राजस्व निरीक्षक
108	श्री सानत राव देशमुख	नायब तहसीलदार
109	श्री ओ. पी. अवस्थी	राजस्व निरीक्षक
110	श्री मोहम्मद इदरीस खान	राजस्व निरीक्षक
111	श्री मोहम्मद कदीर खान	राजस्व निरीक्षक
112	श्री अरविन्द कुमार गुप्ता	सहा. अधी. भू-अभि.
113	श्री रोशन राय	डिप्टी कलेक्टर
114	श्री चन्द्र प्रकाश पटेल	डिप्टी कलेक्टर
115	श्री ऋषि पंवार	डिप्टी कलेक्टर
116	श्री नीलाम्बर मिश्र	डिप्टी कलेक्टर
117	श्री नीलमणि अग्निहोत्री	डिप्टी कलेक्टर
118	श्री सुशील सिंह	राजस्व निरीक्षक
119	श्री कमलेश मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
120	श्रीमती रमादेवी कालवा	नायब तहसीलदार

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र. 2684-453-अका-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 9 जनवरी 2013 को प्रश्नपत्र-सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	होशंगाबाद संभाग	
1	श्री हरजिन्दर सिंह	सहायक कलेक्टर

ग्वालियर संभाग

2	श्री राजीव कुमार समाधिया	नायब तहसीलदार
---	--------------------------	---------------

उज्जैन संभाग

3	श्री श्यामेन्द्र जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर
4	कु. प्रीति भिसे	नायब तहसीलदार
5	कु. शिखा पोरस	डिप्टी कलेक्टर

(1)	(2)	(3)
	रीवा संभाग	
6	कु. रैना तामियॉ	नायब तहसीलदार
	जबलपुर संभाग	
7	सुश्री स्मृति खण्डेलवाल	सहा. अधी. भू-अभि.
8	सुश्री सुमनलता मरावी	नायब तहसीलदार
9	कु. वर्षा झारिया	नायब तहसीलदार
10	श्री सौरभ कुमार सुमन	सहायक कलेक्टर
11	कु. पूर्णिमा भगत	नायब तहसीलदार
12	श्री शैलेश गौड़	राजस्व निरीक्षक
13	सुश्री रीति सोनवे नाग	सहा. अधी. भू-अभि.
	सागर संभाग	
14	श्री नीरज कुमार कलशिया	राजस्व निरीक्षक
15	श्री चन्द्रशेखर शिल्पी	राजस्व निरीक्षक
16	श्री रज्जन सिंह	राजस्व निरीक्षक
17	श्री जयहिन्द सिंह गोंड	राजस्व निरीक्षक
18	श्री नितिन गौड़	नायब तहसीलदार
19	कु. मीनाक्षी जायसवाल	नायब तहसीलदार
20	श्री आलोक जैन	नायब तहसीलदार
21	श्री संदीप कुमार तिवारी	नायब तहसीलदार

इन्दौर संभाग

22	श्री नितिन चौहान	नायब तहसीलदार
23	श्री ठाकुर प्रसाद दोहरे	राजस्व निरीक्षक
24	कु. वंदना चौहान	नायब तहसीलदार
25	कु. रंजिता बावरे	नायब तहसीलदार
26	श्री दिवाकर सुल्या	नायब तहसीलदार
27	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
28	श्री मुकेश मालवीय	सहा. अधी. भू-अभि. (सश्रेय)

भोपाल संभाग

29	श्री विनीत गोयल	नायब तहसीलदार
30	श्री शाश्वत सिंह मीना	डिप्टी कलेक्टर
31	श्री चन्द्र प्रताप गोहल	डिप्टी कलेक्टर
32	श्री विकास चंद जैन	नायब तहसीलदार
33	श्री इकबाल मोहम्मद रंगरेज	डिप्टी कलेक्टर
34	सुश्री रेवती रमण पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
35	श्री यजुवेन्द्र वाघमारे	नायब तहसीलदार

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
36	श्री अरविन्द चौहान	डिप्टी कलेक्टर	16	श्री राकेश शर्मा	राजस्व निरीक्षक
37	श्री ऋषि पवार	डिप्टी कलेक्टर	17	श्री नरेश उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
38	श्री नीलाम्बर मिश्र	डिप्टी कलेक्टर	18	श्री आनन्द कुमार जैन	राजस्व निरीक्षक
39	कु. रूचिका चौहान	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)	19	श्री कैलाश बाबू श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
40	कु. अंजली सिंह ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	20	श्रीमती योगिता बाजपेई	नायब तहसीलदार
41	श्री मुकेश कुमार शर्मा	डिप्टी कलेक्टर	शहडोल संभाग		
42	श्री अनुकूल जैन	डिप्टी कलेक्टर	21	श्री विशाल रत्नम्	राजस्व निरीक्षक
43	श्री सुनील कुमार प्रभाव	नायब तहसीलदार	22	श्री कौशलेन्द्र शंकर मिश्र	राजस्व निरीक्षक
44	श्री सुनील कुमार शर्मा दौनेरिया	नायब तहसीलदार	23	श्री माधव प्रसाद मोंगेरे	राजस्व निरीक्षक
45	श्री मनीष कुमार जैन	नायब तहसीलदार	24	श्री वेद प्रकाश सिंह	राजस्व निरीक्षक
46	श्री प्रशान्त सिंह सुमन	नायब तहसीलदार	25	श्री रामाधार अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
47	श्री नारायण नन्देड़ा	नायब तहसीलदार	26	श्री राजकुमार टांडिया	राजस्व निरीक्षक
48	श्री अजय राज सिंह कुशवाह	नायब तहसीलदार	27	श्री सोने सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
49	श्री हितेन्द्र कुमार भावसार	नायब तहसीलदार	28	श्री राजाराम कोल	राजस्व निरीक्षक
50	सुश्री प्रीति नागेन्द्र	नायब तहसीलदार	29	श्री हरिशंकर नामदेव	राजस्व निरीक्षक
51	श्री कुलदीपक कुमार दुबे	नायब तहसीलदार	30	श्री रूपसिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
52	सुश्री सविता यादव	नायब तहसीलदार	31	श्री रतन लाल डामोर	राजस्व निरीक्षक
53	श्री राजीव गोयल	नायब तहसीलदार	रीवा संभाग		
54	श्री प्रवीण पाटीदार	नायब तहसीलदार	32	श्री बी. विजय दत्ता	सहायक कलेक्टर
55	श्री लक्ष्मण सिंह डिन्डोर	नायब तहसीलदार	33	श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल	नायब तहसीलदार
56	कु. संगीता मेहतो	नायब तहसीलदार	34	श्री नागेश्वर प्रसाद पनिका	नायब तहसीलदार
57	श्री मनीष कुमार शुक्ला	नायब तहसीलदार	35	श्री कैलाश प्रसाद कुर्मी	नायब तहसीलदार
निम्नस्तर			36	श्री नीलेश कुमार सिंह	नायब तहसीलदार
होशंगाबाद संभाग			37	श्री अनिल पटेल	नायब तहसीलदार
1	श्री राम सिपाही सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक	38	श्री अरविन्द कुमार यादव	नायब तहसीलदार
2	श्री दिलीप सिंह परते	राजस्व निरीक्षक	39	श्री संदीप कुमार जायसवाल	नायब तहसीलदार
3	श्री संजीव कुमार मांडरे	राजस्व निरीक्षक	40	श्री कमलेश प्रसाद आदिवासी	राजस्व निरीक्षक
4	श्री कैलाश चन्द्र व्यास	राजस्व निरीक्षक	41	श्री ब्रजेश चन्द्र जायसवाल	राजस्व निरीक्षक
5	श्री मिट्टूलाल पंवार	राजस्व निरीक्षक	42	श्री सुदामा प्रसाद कोरी	राजस्व निरीक्षक
6	श्री धनजी मालवीय	राजस्व निरीक्षक	43	श्री श्यामलाल कोरी	राजस्व निरीक्षक
7	श्री फत्या मानकर	राजस्व निरीक्षक	44	श्री राघवेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
8	श्री राजेश कुमार कुमरे	राजस्व निरीक्षक	45	श्री प्रदीप कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
9	श्री तीरथ प्रसाद इरपाची	राजस्व निरीक्षक	46	श्री सूर्यभान कोल	राजस्व निरीक्षक
10	श्री अतुल कसार	राजस्व निरीक्षक	47	श्री दयाराम मार्को	राजस्व निरीक्षक
11	श्रीमती संजू राजपूत	पटवारी	48	श्री वीरेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक
12	श्री हंसकुमार ओनकर	राजस्व निरीक्षक	49	श्री कृष्णा नायक	राजस्व निरीक्षक
13	श्री विजय सिंह बेलवंशी	राजस्व निरीक्षक	50	श्री राम कुमार पनिका	राजस्व निरीक्षक
14	श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	51	श्री बंशराखन सिंह	राजस्व निरीक्षक
ग्वालियर संभाग			52	श्री उत्तम कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक
15	श्री धीरेन्द्र कुमार गुप्ता	नायब तहसीलदार			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
53	श्री के. पी. हलवाई	राजस्व निरीक्षक	92	श्री जगदीश प्रसाद सिंगौरे	राजस्व निरीक्षक
54	डॉ. सुदामा प्रसाद कोल	राजस्व निरीक्षक	93	श्री चेताराम पन्धा	राजस्व निरीक्षक
55	श्री ललन सिंह	राजस्व निरीक्षक			
56	श्री विष्णु दयाल पनिका	राजस्व निरीक्षक		सागर संभाग	
57	श्री तेजपति सिंह	राजस्व निरीक्षक	94	श्री अनिल कुमार अहिरवाल	राजस्व निरीक्षक
	जबलपुर संभाग		95	श्री महेश कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
58	श्री देवशरण सिंह नेताम	राजस्व निरीक्षक	96	श्री सावधान अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
59	श्री सुकमन सिंह कुलेश	राजस्व निरीक्षक	97	श्री राजेश कुमार साहू	राजस्व निरीक्षक
60	श्री रविशंकर सेन	राजस्व निरीक्षक	98	श्री प्रीतम सिंह गौड	राजस्व निरीक्षक
61	श्री बलीराम साहू	राजस्व निरीक्षक	99	श्री बहादुर सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
62	श्री राजूलाल नामदेव	राजस्व निरीक्षक	100	श्री महेन्द्र कुमार कोल	राजस्व निरीक्षक
63	श्री राजेन्द्र तेकाम	राजस्व निरीक्षक	101	श्री कृष्ण कुमार पटेल	राजस्व निरीक्षक
64	सुश्री जानकी उड्के	नायब तहसीलदार	102	श्री आशीष कुमार रूसिया	राजस्व निरीक्षक
65	श्री दशमंता मरावी	राजस्व निरीक्षक	103	श्री राजेश मेहरा	राजस्व निरीक्षक
66	श्री रेवाराम झारिया	राजस्व निरीक्षक	104	श्री हरीदास अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
67	श्री जमना प्रसाद भगत	राजस्व निरीक्षक	105	श्री ओम प्रकाश अहिवार	राजस्व निरीक्षक
68	श्री बालसिंह वल्को	राजस्व निरीक्षक	106	श्री कमलेश कुमार गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
69	श्री धर्मराज तुलकर	राजस्व निरीक्षक	107	श्री चन्द्र कुमार ताम्रकार	नायब तहसीलदार
70	श्री धीरूलाल परते	राजस्व निरीक्षक	108	श्री भूपेन्द्र मसराम	नायब तहसीलदार
71	श्री राजकुमार नामदेव	राजस्व निरीक्षक	109	श्री शैवाल सिंह	नायब तहसीलदार
72	श्री मनोज कुमार नामदेव	राजस्व निरीक्षक	110	श्री दिलीप कुमार चौरसिया	नायब तहसीलदार
73	श्री केशी राम चौकसे	राजस्व निरीक्षक	111	श्री अभिनव शर्मा	नायब तहसीलदार
74	श्री आशीष श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार		इन्दौर संभाग	
75	श्री दिलीप हनवत	नायब तहसीलदार	112	श्री रामकृष्ण दुबे	राजस्व निरीक्षक
76	श्री दिनेश कुमार उड्के	नायब तहसीलदार	113	कु. श्रद्धा गोसावी	राजस्व निरीक्षक
77	कु. गुंजा परस्ते	नायब तहसीलदार	114	श्री विजय कुमार सेनानी	नायब तहसीलदार
78	श्री पुनूलाल साण्ड्या	राजस्व निरीक्षक	115	श्री मनीष बिरथरे	राजस्व निरीक्षक
79	श्री सुन्दर लाल यादव	राजस्व निरीक्षक	116	श्री मनीष चतुर्वेदी	राजस्व निरीक्षक
80	श्री प्रकाश कुमार परते	राजस्व निरीक्षक	117	श्री नंद किशोर मालवीय	राजस्व निरीक्षक
81	श्री अनुराग खरे	राजस्व निरीक्षक	118	श्री मनोज कुमार राय	राजस्व निरीक्षक
82	श्री योगेश कुमार शुक्ला	राजस्व निरीक्षक	119	श्री मोहम्मद इरशाद	राजस्व निरीक्षक
83	श्री विनोद कुमार कुराम	राजस्व निरीक्षक	120	श्री सुरेश कुमार	राजस्व निरीक्षक
84	श्री गोपीचन्द पवार	राजस्व निरीक्षक	121	श्री दिवेश डोंगरे	राजस्व निरीक्षक
85	कु. रंजना पाटने	डिप्टी कलेक्टर	122	श्री रामसिंह मचार	राजस्व निरीक्षक
86	श्री सौरभ वर्मा	नायब तहसीलदार	123	श्री शंकर सिंह खपेड़	राजस्व निरीक्षक
87	कु. आकांक्षा चौरसिया	नायब तहसीलदार	124	श्री राधूसिंह हम्लावर	राजस्व निरीक्षक
88	श्री विनोद कुमार मरावी	नायब तहसीलदार	125	श्री राधेश्याम पाटीदार	राजस्व निरीक्षक
89	श्री हल्केसिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक	126	श्री दिनेश व्यास	राजस्व निरीक्षक
90	श्री राम कुमार यादव	राजस्व निरीक्षक	127	श्री सुरेश चन्द बामनिया	राजस्व निरीक्षक
91	श्री नन्दलाल मरकाम	राजस्व निरीक्षक	128	श्री कुबेर सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
129	श्री वरूण कुमार उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
130	श्री उपेन्द्र सिंह	नायब तहसीलदार
131	श्री पूनम सिंह	सहा. अधी. भू-अभि.
भोपाल संभाग		
132	श्रीमती प्रेमलता पाल	नायब तहसीलदार
133	श्री शेखर चौधरी	नायब तहसीलदार
134	श्री संजय कुमार बारसकर	नायब तहसीलदार
135	श्रीमती रिनु भार्गव	नायब तहसीलदार
136	कु. प्रियंका मिमरोट	नायब तहसीलदार
137	कु. प्रियंका नेताम	नायब तहसीलदार
138	कु. सुमन लता माहौर	डिप्टी कलेक्टर
139	कु. अंजली द्विवेदी	डिप्टी कलेक्टर
140	कु. नेहा शिवहरे	डिप्टी कलेक्टर
141	कु. दिव्या अवस्थी	डिप्टी कलेक्टर
142	सुश्री मीना दशरिये	नायब तहसीलदार
143	श्री राकेश सिंह मरकाम	डिप्टी कलेक्टर
144	श्री करन्जूलाल अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
145	कु. अर्चना गुप्ता	नायब तहसीलदार
146	श्री हेमराज मेहर	राजस्व निरीक्षक
147	श्री दर्शनलाल नेगी	राजस्व निरीक्षक
148	श्री अमरसिंह राजपूत	सहा. अधी. भू-अभि.
149	श्री धनीराम बौद्ध (अहिरवार)	राजस्व निरीक्षक
150	श्री सानत राव देशमुख	राजस्व निरीक्षक
151	श्री सै. परवेज अली	राजस्व निरीक्षक
152	श्री राजन शर्मा	राजस्व निरीक्षक
153	श्री ओ. पी. अवस्थी	राजस्व निरीक्षक
154	श्री मोहम्मद इदरीस खान	राजस्व निरीक्षक
155	श्री मोहम्मद कदीर खान	राजस्व निरीक्षक
156	श्री अरविन्द कुमार गुप्ता	सहा. अधी. भू-अभि.
157	श्री संतोष दुबे	राजस्व निरीक्षक
158	श्री सुशील सिंह	राजस्व निरीक्षक
159	श्री अभिषेक गोहलोत	डिप्टी कलेक्टर
160	श्री रतिराम अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
161	श्री उमाशंकर विश्वकर्मा	राजस्व निरीक्षक
162	श्री मिश्रीलाल अग्रवाल	राजस्व निरीक्षक
163	श्री शत्रुघ्न चतुर्वेदी	नायब तहसीलदार
164	श्री सुनील वर्मा	नायब तहसीलदार
165	श्री गजेन्द्र सिंह लोधी	नायब तहसीलदार
166	श्री कमल सिंह मण्डेलिया	नायब तहसीलदार
167	श्री भूपेन्द्र कैलासिया	नायब तहसीलदार
168	श्री मनीष श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार
169	श्री शिवशंकर सिंह गुर्जर	नायब तहसीलदार

(1)	(2)	(3)
170	डॉ. अम्बर पंथी	नायब तहसीलदार
171	श्री मुकेश कुमार राज	नायब तहसीलदार
172	सुश्री सुनीता साहनी	नायब तहसीलदार
173	श्री गौरीशंकर जाटव	नायब तहसीलदार
174	श्री प्रमेश जैन	नायब तहसीलदार
175	कु. अंजली गुप्ता	नायब तहसीलदार
176	श्रीमती रमादेवी कालवा	नायब तहसीलदार
177	कु. नीलिमा राजलवाल	नायब तहसीलदार
178	सुश्री माला अहिरवार	नायब तहसीलदार
179	सुश्री माला शर्मा	नायब तहसीलदार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त)
विश्वविद्यालय, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्र. एफ-1-6-12-रा.स.-यू.ए. 1-424.—मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्र. 20 सन् 1991) की धारा 09 की उपधारा (1) सहपठित परिनियम 1 की कंडिका 01 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल एतद्वारा डॉ. तारिक जफर, 86, न्यू मौलाना आजाद कालोनी, सेंट जोसफ गर्ल्स स्कूल के पास, ईदगाह हिल्स, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 04 वर्ष की कालावधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के लिये मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1ए के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 2 अप्रैल 2013

क्र. 1122-मण्डी-निर्वा.-2013.—मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समिति सोनकच्छ के लिये माननीय श्री राजेन्द्र वर्मा, विधायक, सोनकच्छ की ओर से श्री गोतमसिंह राजपूत पिता श्री विक्रम सिंह राजपूत, निवासी टोंककलां, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है.

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला बैतूल मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 2 अप्रैल 2013

क्र. स्वा.-पी.एच.-2013-220.—बैतूल जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सांसर्गिक बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव के रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरंत लागू किये जाएं.

अस्तु:, मैं, राजेश प्रसाद मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा, ज्वर, आंत्रशोध विनियम, 1979 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आदेश देता हूँ कि.—

1. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहारगृहों, भोजनालयों, होटलों में जनता के लिये खाद्य पेय पदार्थ, निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग में लाने के लिये कायम रखी गयी स्थापना में विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थान पर :—
 - (क) बासी मिठाईयों, तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े-गले फलों व सब्जियों, मांस मछली, अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद् रहेगी.
 - (ख) बासी मिठाईयों एवं नमकीन वस्तुओं, फल सब्जियों, दूध दही, उबली हुई चाय, काफी, शरबत, मांस मछली, अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे, उन्हें जालीदारी ढक्कनों से ढककर अथवा काँच के बंद शोकेस, बंद आलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस प्रकार रखे जावेंगे ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी ना हो सके.
2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण-2 (1-क) में उल्लेखित वस्तुओं तथा पकाये गये भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.
3. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी बाजार, भवन, दुकान, स्टाल अथवा खाने पीने के किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान, प्रवेश करने, निरीक्षण करने एवं उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जाँच पड़ताल करने तथा खाने पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेखित की गई रीति से पाई गई अस्वस्थकारक, दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण करवाकर हटावें व नष्ट करें या उसे ऐसे रीति से निर्वतन करने के लिये जिसे वह मानव उपयोग में लाई जाने से रोकी जा सके. जनहित में मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1962 के नियम 5(5) के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये गये खाद्य लायेसेंस निलंबित और म. प्र. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 के अंतर्गत प्रतिबंधित किये जायेंगे एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी. धारा 16 के तहत दण्ड में सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है.

अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके कार्य के क्षेत्र में प्राधिकृत करता हूँ :—

1. समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय/समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैतूल.
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.
5. नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.
6. जिला आपूर्ति अधिकारी/सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नाली-नालियों, गटरों पानी के गड्डों पोखर, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कूड़ा-करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी का हटाने व उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वतन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगा.

राजेश प्रसाद मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर (श्रम विभाग), जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2013

क्र. 01-भू-अभि. ब. श्र.-99.—बंधक श्रमिक (प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19-1976) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के लिये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करता हूँ :-

जिला अलीराजपुर

धारा 13 की उपधारा- 2 “क” के अधीन—

जिला दण्डाधिकारी जिला अलीराजपुर — अध्यक्ष

धारा 13 की उपधारा- 2 “ख” के अधीन अ. जा./अ. ज. जा. वर्ग के तीन सदस्य—

- | | | | |
|---------------------------|--|---|-------|
| 1. श्री नागरसिंह चौहान | विधायक, अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर | — | सदस्य |
| 2. श्रीमति सुलोचना रावत | विधायक, जोबट, जिला अलीराजपुर | — | सदस्य |
| 3. श्री पप्पू सिंह बारिया | उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत, कट्टीवाड़ा, जिला अलीराजपुर | — | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा- 2 के खण्ड “ग” के अधीन जिले के अधीन सामाजिक कार्यकर्ता दो सदस्य—

- | | | | |
|--------------------|--|---|-------|
| 1. श्री विक्रम सेन | जागरूक नागरिक मंच अलीराजपुर | — | सदस्य |
| 2. श्री सुधीर जैन | अभिभाषक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अलीराजपुर | — | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा- 2 के खण्ड “घ” के अधीन—

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अलीराजपुर (म. प्र.) | — | सदस्य |
| 2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जिला अलीराजपुर (म. प्र.) | — | सदस्य |
| 3. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी सेवा संभाग जिला अलीराजपुर | — | सदस्य |

धारा 13 की उपधारा- 2 के खण्ड “ड” के अधीन.—

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. प्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा, अलीराजपुर
जिला अलीराजपुर (म. प्र.) | — | सदस्य |
|---|---|-------|

अलीराजपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2013

क्र. 02-ब. श्र.-2008.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19, 1976) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर उप खण्डों के लिये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन करता हूँ :-

उपखण्ड अलीराजपुर जिला अलीराजपुर

1. धारा 13 की उपधारा- 3 “क” के अधीन—

अनुभागीय अधिकारी (राजस्व), अलीराजपुर

2. धारा 13 की उपधारा- 3 "ख" के अधीन अ. जा./अ. ज. जा. वर्ग के तीन सदस्य—

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. श्री नागरसिंह चौहान | विधायक, अलीराजपुर |
| 2. श्रीमति सुनीता इन्दर सिंह चौहान | अध्यक्ष, जनपद पंचायत, अलीराजपुर |
| 3. श्री दिलीप पटेल | अध्यक्ष, अलीराजपुर विकास समिति |

3. धारा 13 की उपधारा- 3 "ग" के अधीन दो सामाजिक कार्यकर्ता—

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. श्री संतोष शेषडिया | अध्यक्ष, किराना व्यापारी एसोसिएसन, अलीराजपुर |
| 2. श्री कृष्ण कान्त बेडिया | अध्यक्ष, उपभोक्ता मंच अलीराजपुर |

4. धारा 13 की उपधारा- 3 "घ" के अधीन—

- | |
|---|
| 1. परियोजना प्रशासक, आई. टी. डी. पी. अलीराजपुर |
| 2. श्री भदू पचाया, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, कट्टीवाड़ा |
| 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कट्टीवाड़ा |

5. धारा 13 की उपधारा- 3 "ड" के अधीन वित्तीय तथा साख संस्थाओं से एक सदस्य—

- | |
|--|
| 1. प्रबंधक,
भारतीय स्टेट बैंक शाखा, अलीराजपुर |
|--|

उपरखण्ड जोबट जिला अलीराजपुर

1. धारा 13 की उपधारा- 3 "क" के अधीन—

अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट

2. धारा 13 की उपधारा- 3 "ख" के अधीन अ. जा./अ. ज. जा. वर्ग के तीन सदस्य—

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. श्रीमती सुलोचना रावत | विधायक, जोबट |
| 2. श्री सामू सिंह | जनपद सदस्य उदयगढ़ |
| 3. श्री भेरू सिंह कनेस | सरपंच ग्राम पंचायत मसनी, अलीराजपुर |

3. धारा 13 की उपधारा- 3 "ग" के अधीन दो सामाजिक कार्यकर्ता—

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. श्री राकेश अग्रवाल | अध्यक्ष, नागरिक मंच, जोबट |
| 2. श्री रेमंड बाबा | अध्यक्ष, पर्यावरण संरक्षण संघ, जोबट |

4. धारा 13 की उपधारा- 3 "घ" के अधीन—

- | |
|--|
| 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, चन्द्र शेखर, आजाद नगर |
| 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जोबट |
| 3. श्री रूघनाथ सिंह बघेल, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, उदयगढ़ |

5. धारा 13 की उपधारा- 3 "ड" के अधीन वित्तीय तथा साख संस्थाओं से एक सदस्य—

- | |
|---|
| 1. प्रबंधक,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक,
शाखा, जोबट. |
|---|

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी, दिनांक 23 मार्च 2013

क्र. भू-अर्जन-30(अ-82)2011-12-592.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	जमगांव प. ह. नं. 1	488/2 549 454/2 456/1 545 में से 486 में से 485 में से 476 में से 551 में से 471 में से	1.20 0.64 1.20 1.73 0.21 0.69 0.14 0.10 1.28 1.34	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी.	नागदमन जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.
				योग :	<u>8.53</u>	

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी / कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

डिण्डौरी, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. भू-अर्जन-31(अ-82)2012-13-598.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	कैलवारा, प. ह. नं. 1, रा.नि.मं., शाहपुर	236 269 262	0.140 0.110 0.090	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	नागदमन जलाशय योजना दांयी तट नहर कार्य हेतु भू-अर्जन.
				योग :	<u>0.340</u>	

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन(अ-82)2012-13-597.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	अमनी	327/4	0.150	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	भरद्वारा (अमनी) दायी एवं बांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.
		पिपरिया	234	0.280		
		प. ह. नं. 02/4	357	0.100		
		रा.नि.मं.,	356	0.040		
		विक्रमपुर	356/448	0.030		
		योग :		0.600		

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2013

क्र. 2851-दस-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सूची संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	कोतमा	झिरोखा	1.153	भू-अर्जन अधिकारी जिला अनूपपुर	झिरोखा जलाशय निर्माण कार्य हेतु
		सिलपुर	0.307		
		योग :	1.460		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर/ अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोतमा जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 6 अप्रैल 2013

क्र. क-भू.अ.वि.अ.-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	दमोह	बालाकोट	0.26	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	बालाकोट जलाशय के योजनान्तर्गत
		योग :	0.26	संभाग, दमोह.	बांध के निर्माण बाबत,

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क-भू.अ.वि.अ.-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	दमोह	घाट पिपरिया	0.37	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	घाट पिपरिया बैराज कम स्टापडेम
		योग :	0.37	संभाग, दमोह.	के निर्माण बाबत,

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 8 अप्रैल 2013

क्र. 1298-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र.-03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4

की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नीमच	जावद	अठाना	0.050	कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, नीमच.	भड़भड़िया जावद अठाना सुखानन्द मार्ग ग्राम अठाना से आगे कि. मी. 15/6 में निर्माण में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-जावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 10 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 08 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	सुकरवास	8.237	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, सीहोर.	बगवाड़ा वितरिका के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी नसरुल्लागंज/अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ. वि. अ. कार्यालय नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 12 अप्रैल 2013

नस्ती क्र. 40-2013-एलए.-भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	देवला	0.14	कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म. प्र. पा. ज. कं. लि., दोंगालिया जिला खंडवा.	श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2×600 मे. वा. म. प्र. पा.ज.क. लि. दोंगालिया, जिला-खण्डवा के लिये बीड़ से प्लांट के बीच रेलवे लाईन के साथ-साथ पहुंच मार्ग हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म. प्र. पा. ज. कं.लि., ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 39-2013-एलए.-भू-अर्जन प्र. क्र. 07-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सिंधखाल	3.65	कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म. प्र. पा. ज. कं. लि., दोंगालिया जिला खंडवा.	श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना 2×600 मे. वा. म. प्र. पा.ज.क. लि., दोंगालिया, जिला-खण्डवा के लिये मुख्य संयंत्र में स्थित एश साईलो तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना म. प्र. पा. ज. कं.लि., ग्राम दोंगालिया, पोस्ट सिंधखाल, जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

श्योपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 9-12-13-अ-82—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्योपुर	विजयपुर	धोबिनी	22.839	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, श्योपुर.	अपर ककेटो परियोजना की डूब क्षेत्र.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ज्ञानेश्वर बी पाटील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र. 550-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी की उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	संपत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित ब्यौरा	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शिवपुरी	करैरा	दांगीपुरा	निजी भूमि 3.63 हेक्ट.	94 95 मिन 1 100 मिन 1	0.07 0.97 0.34	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना पक्का बांध संभाग, मड़ीखेड़ा जिला शिवपुरी.	सिंध परियोजना मड़ीखेड़ा बांध निर्माण हेतु डूब क्षेत्र.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				119	0.21		
				126	0.18		
				117	0.18		
				118	0.09		
				146	0.47		
				मिन 1			
				128	0.07		
				129	0.25		
				130	0.17		
				132	0.03		
				133	0.06		
				134	0.12		
				मिन 1			
				135	0.12		
				मिन 2			
				243	0.30		
				मिन 2			
				योग . .	<u>3.63</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 16 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4(1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

भूमि का विवरण				अनुसूची	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	त्योंदा	0.107	भू-अर्जन अधिकारी बासौदा	बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की बांयी मुख्य नहर हेतु शेष रही भूमि का अधिग्रहण.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बघरू मध्यम परियोजना की बांयी मुख्य नहर हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 17 अप्रैल 2013

क्र. भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	मन्दसौर	पिथ्याखेड़ी जागीर	0.410	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, मन्दसौर	रलायता तालाब/नहर योजना

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड मन्दसौर के यहां एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 अप्रैल 2013

क्र. 4169-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-मोहगांव ब. नं.-327, प. ह. नं.-14 रा. नि. मं.-सौंसर.	रकबा 14.600 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	मोहगांव जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, उप संभाग, सालीढाना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4170-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-कोपरावाडी ब. नं.-62 प. ह. नं.-14 रा. नि. मं.-सौंसर.	रकबा 06.130 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।
			भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
			कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.
			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			(6)
			मोहगांव जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, उप संभाग, सालीढाना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4171-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-नंदेवानी ब. नं.-210, प. ह. नं.-10, रा. नि. मं.-सौंसर	रकबा 325.410 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	मोहगांव जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, उप संभाग, सालीढाना, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 4172-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-खैरीपंथावली ब. नं.-88, प. ह. नं.-23/11 रा. नि. मं.-सौंसर	रकबा 25.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	मोहगांव जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, उप संभाग, सालीढाना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4173-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-चिखली ब. नं.-127, प. ह. नं.-11 रा. नि. मं.-सौंसर	रकबा 11.770 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।
			भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
			कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा।
			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			(6)
			मोहगांव जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, उप संभाग, सालीढाना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4174-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा,

सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-घोघरीखापा ब. नं.-113, प. ह. नं.-36, रा. नि. मं.-सौंसर.	रकबा 15.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	मोहगांव जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.		
(3)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.		
(4)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, उप संभाग, सालीढाना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.		
(5)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.		

क्र. 4175-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-बानाबाकोड़ा ब. नं.-267, प. ह. नं.-13, रा. नि. मं.-सौंसर.	रकबा 03.260 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	मोहगांव जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, उप संभाग, सालीढाना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4176-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम		अर्जित की जाने वाली	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-मुगनापार ब. नं.-316, प. ह. नं.-11, रा. नि. मं.-सौंसर	रकबा 74.520 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा।	मोहगांव जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, उप संभाग, सालीढाना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4177-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-सिंगपुर ब. नं.-390, प. ह. नं.-14, रा. नि. मं.-सौंसर	रकबा 09.160 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	मोहगांव जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, उप संभाग, सालीढाना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 4178-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-भुम्मा ब. नं.-296, प. ह. नं.-10, रा. नि. मं.-सौंसर.	रकबा 05.350 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	मोहगांव जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, उप संभाग, सालीढाना, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 4179-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ, इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम	अर्जित की जाने वाली		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	तामिया	ग्राम-लहगडुआ ब. नं.-141, प. ह. नं.-10/30, रा. नि. मं.-तामिया.	रकबा 05.375 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड छिंदवाड़ा जिला-छिंदवाड़ा.	पेंचव्हेली परियोजना के अन्तर्गत मंधान बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड, छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना उपखण्ड-2, छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 17 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 03-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
			खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में) अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	
रायसेन	बेगमगंज	सहका	130, 131/1	0.133	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रायसेन.	नहर निर्माण हेतु.	
			130, 131/2/1	0.202			0.333
			130,131/2/2	0.405			
			128/1	0.139			
			128/2	0.202			0.041
			129/1/1	0.505			
			129/1/2	0.214			0.145
			129/2	2.023			
			133, 134/1	1.999			0.607
			116/1	0.405			0.129
			116/2	0.632			0.178
			117	3.443			0.341
			37/1/1	0.373			
			37/1/2	0.234			0.061
			37/2	0.603			
			21	0.805			0.121
			19	0.308			0.009
			20	0.498			0.202
			12, 14/1	0.991			0.303
			13, 14/2	0.793			
			12/1	0.454	0.303		
			12/2	1.737			
			9/1	0.833	0.125		
			16	0.773	0.121		
			118	0.336	0.113		
			119	0.543	0.057		
			18/1	0.979			
			18/2/1	1.395	0.041		
			18/2/2	0.045			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			120/1	0.976	0.032
			120/2	0.405	
			121	0.619	0.072
			123/1	0.045	0.072
			123/2	0.619	
			113, 115/1	0.405	0.264
			113, 115/2	0.445	
			113, 115/3	0.462	
			108, 109/1	0.226	0.130
			108, 109/2	0.230	
			106	0.210	
			90	1.874	0.202
			107	0.210	
			104/1	0.380	0.320
			104/2	0.425	
			103/1	2.987	0.352
			103/2/1	1.133	0.113
			103/2/3	1.138	0.303
			146	0.238	0.049
			147/1/1	0.061	
			147/1/2	0.061	0.073
			14/2	0.247	
			101/2	0.263	0.021
			149	0.231	0.061
			98	0.638	0.202
			97	0.705	0.061
			96/2/1	0.109	0.069
			96/2/2	0.057	
			18/1	0.979	
			18/2/1	1.395	0.090
			18/2/2	0.045	
		ध्वाज	387	1.530	0.586
			388	0.628	
			386/1/1	0.227	
			386/1/2	0.101	
			386/2/1	0.081	0.129
			386/2/2	0.125	
			386/2/3	0.131	
			377/1/1	1.489	
			377/1/2	1.444	
			377/1/2/2	0.708	
			377/2/1/1	0.830	0.154
			377/2/1/2	1.307	
			377/1/2/3	1.019	
			377/2/2/2	0.336	
			377/2/2/1	0.473	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		436/392	0.032	0.024	
		381	0.186	0.271	
		382/1	0.809	0.092	
		388/2			
		380/1/1	1.760		
		381/1/2	1.413	0.583	
		380/2	3.169		
		453/304/1	0.348		
		453/304/2	0.348	0.053	
		304/1	0.696		
		304/2	0.696	0.081	
		305/1/1	0.295		
		305/1/2	0.295		
		305/2	1.619	0.464	
		305/3/2	1.214		
		305/3/1	1.967		
		306/1	1.149		
		306/2	2.023	0.299	
		318	1.364	1.141	
		316	2.582	0.303	
		312	0.316	0.133	
		144/1	0.283		
		144/2	2.100	0.625	
		144/3	1.234		
		145	0.125	0.008	
		152	0.304	0.081	
		153	4.274	0.455	
		150	2.784	0.577	
		176	0.607	0.009	
		169	5.901	0.634	
		168/1	1.214		
		168/2/1	1.834	0.242	
		168/2/2	1.094		
		178	5.852	0.616	
		179	0.567	0.073	
		182/1/1	1.433		
		182/1/2	1.972		
		182/2/1/1	0.506		
		182/2/1/2	0.506	0.699	
		182/1/1/3	0.506		
		182/1/1/4	0.506		
		182/2/2	2.570		
		191	1.931	0.121	
		192	0.219	0.121	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			193/1/1	0.101	
			193/1/2	0.101	
			193/2/1	0.101	
			193/2/2	0.101	0.261
			193/2/3	0.101	
			193/2/4	0.101	
			193/3	1.214	
			306/1	1.149	0.161
			306/2	2.023	
			302/1	0.712	
			302/2	0.809	0.165
			285/1/1	1.238	
			285/1/2	0.364	0.360
			285/2	3.237	
			285/3/1	0.405	0.115
			285/3/2	1.214	
			285/4	1.619	0.137
			286/1	2.134	
			286/2	0.816	0.177
			293/1	0.235	
			293/2	2.270	0.283
			293/3	0.142	
			287/2	1.623	0.121
			291	0.704	0.089
			209/1	0.210	
			209/2/1/1	0.405	
			209/2/1/2	0.283	
			209/2/2	0.526	0.493
			209/3/1	0.920	
			209/3/2	0.699	
			208/1/1	0.068	
			208/1/1/2	0.943	
			208/1/2	0.607	0.081
			208/2/1	0.405	
			208/2/2/1	0.405	
			208/2/2/2	0.385	
			211	1.149	0.161
			212/2	2.108	0.081
			222/1	0.405	
			222/2	0.223	0.161
			222/3	0.627	
			243/1	2.460	0.261
			243/2	6.511	
			432/178	0.417	0.024
			169	5.901	0.213

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		168/1	1.214		
		168/2/1	1.834	0.165	
		168/2/2	1.094		
		178	5.852	0.165	
	सागोनी	306	0.142	0.032	
	गुसाई	127, 303	1.250	0.153	
		128	1.734	0.396	
		129	0.105	0.065	
		130	0.745	0.174	
		131/1	0.393	0.291	
		131/2	0.393		
		299	0.902	0.049	
		132, 133/1	0.983		
		132, 133/2	0.987		
		132, 133/3	0.987	0.646	
		133/4	0.983		
		133/5	0.453		
		70, 71, 72, 73	1.599		
		141-142/1			
		70, 71, 72, 73	1.598	0.788	
		141-142/2			
		70, 71, 72, 73	1.594		
		141-142/3			
		70, 71, 72, 73	1.598		
		141-142/4			
		69	0.874	0.186	
		67	0.263	0.057	
		68	2.007	0.234	
		64	0.101	0.032	
		63/1	0.093	0.041	
		63/2	0.073		
		62/1/1	0.194		
		62/1/2	0.210		
		62/2/2/1	0.341	0.396	
		62/2/2/2	0.342		
		62/2/1	0.405		
		66	0.198	0.089	
		356/161/1	0.142	0.049	
		356/161/2	0.045		
		160, 173-202/1	10.440	0.607	
		160, 173-202/2/1	1.530		
		160, 173-202/2/2	8.855		
		162/1	0.069	0.009	
		162/2	0.073		
		163	0.219	0.049	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			168	0.186	0.032
			169	0.125	0.009
			172	0.061	0.009
			174	0.150	0.041
			175	0.210	0.009
			179	0.829	0.137
			178	0.223	0.061
			183	0.263	0.069
			192/1	0.028	0.045
			192/2	0.162	
			24	0.097	0.016
			23/1	0.158	
			23/2/1	0.093	0.041
			23/2/2	0.093	
			23/3	0.093	
			21,22/1	0.219	
			21,22/3	0.214	
			21,22/2	0.207	0.186
			21,22/4/1	0.114	
			21,22/4/2	0.110	
			19	0.097	0.006
			10	0.227	0.016
			12/1	0.129	0.041
			12/2	0.206	
			6/1	0.809	0.421
			6/2	1.699	
			7/1	1.275	0.129
			7/2	0.222	
			136/1	1.558	0.202
			136/2	1.214	
			134, 135/1	1.578	0.121
			134, 135/2	2.033	
			295/1	1.675	0.117
			295/2	1.671	
			288	4.691	0.222
			289	2.493	0.243
			334/1/1/1/2	0.607	
			334/1/1/2	0.809	0.255
			334/1/2	0.728	
			334/2	0.405	
			336	1.380	0.016
			337	3.286	0.259
			338	0.934	0.009
			339	3.524	0.259

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		348/1	0.154		
		348/2/1	0.352		
		348/2/2	0.251	0.073	
		348/3	0.555		
		348/4	0.161		
		346	1.846	0.137	
		132, 133/1	0.983		
		132, 133/2	0.987		
		132, 133/3	0.987	0.105	
		133/4	0.983		
		133/5	0.453		
	रहटवास	120-122/1	2.545	0.370	
		120-122/2	2.546		
		124-125/1	2.000	0.435	
		124-125/2	2.546		
		139/1	2.023		
		139/2	2.201	0.405	
		139/3/1	2.056		
		139/3/2	0.518		
		138	0.700	0.153	
		137	2.719	0.157	
		136	0.559	0.226	
		135	0.934	0.069	
		145	0.947	0.177	
		150	1.141	0.157	
		151/3	0.809	0.214	
		303/150	0.672	0.121	
		155	1.615	0.090	
		170	1.315	0.113	
		171	1.534	0.243	
		162	0.813	0.226	
		163	0.628	0.024	
		67/1	2.598		
		67/2	1.214	0.809	
		67/3	1.618		
		69-79/1	1.214	0.162	
		69-79/2	1.048		
		70	1.177	0.065	
		61/2	0.939	0.243	
		61/3	2.153	0.073	
		60	2.861	0.282	
		59/1	0.162		
		59/2	0.603	0.171	
		59/3	0.202		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		58/1/1	0.348		
		58/1/2	0.243		
		58/1/3	0.639	0.169	
		58/1/4	0.842		
		58/1/5	0.842		
		83	0.809	0.057	
		84	1.335	0.169	
		85	0.259	0.049	
		86/2/2	2.238	0.744	
		86/2/1	0.809	0.222	
		95	1.878	0.142	
		10/1	1.377	0.177	
		10/2	1.709		
		11/1	0.267		
		11/2	0.486	0.041	
		11/3	0.405		
		15/1	0.793		
		15/2	2.031	0.518	
		15/3	1.449		
		16/1	0.170	0.009	
		16/2	0.170		
		18/1	1.121	0.012	
		18/2	0.500		
		19/1	0.163	0.133	
		19/2	0.776		
		21/1	0.053		
		21/2	1.080	0.161	
		21/3	1.015		
		282	2.387	0.243	
		281	0.709	0.041	
		279, 280/1	1.214		
		279, 280/2	1.214	0.481	
		279, 280/3	3.658		
		255/1/1	0.729	0.245	
		255/1/2	1.214		
		255/2	1.886	0.020	
		251/2/1	0.959	0.161	
		251/2/2	2.582	0.206	
		242/2	1.482	0.247	
		246	0.712	0.053	
		246/2	0.809	0.081	
		245/1	0.595	0.065	
		247/1	1.044	0.215	
		251/1	1.214	0.021	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 06-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी			सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)			(5)	(6)
			खसरा नम्बर	कुल रकबा	अर्जित किये जाने वाला रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	मरखेड़ा टप्पा	404/2, 405	0.526	0.526	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रायसेन.	जलाशय निर्माण हेतु.
			406	0.628	0.628		
			434/1	0.105	0.105		
			435/1, 435/2/1	0.696	0.696		
			434/2	0.041	0.041		
			435/1, 435/2/2	0.853	0.853		
			381	0.656	0.080		
			398	0.413	0.243		
			400	0.571	0.571		
			401	1.500	0.720		
			402	0.401	0.154		
			403	3.571	1.133		
			412/1	1.922	0.728		
			412/2				
			435/1	0.845	0.845		
			435/2/3				
			434/3	0.049	0.049		
			404/1, 405	0.303	0.303		
			436	0.255	0.255		
			434/4	0.121	0.121		
			435/1, 435/2/4	2.310	2.310		
			407	0.349	0.349		
			408	0.170	0.081		
			417	0.012	0.012		
			418	0.057	0.057		
			419	0.032	0.032		
			420, 421	0.219	0.219		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			422	0.032	0.032
			413	1.339	1.339
			415	0.636	0.636
			416	0.688	0.688
			423	0.405	0.405
			424	0.636	0.636
			425	1.460	1.460
			426	0.656	0.656
			427	2.796	2.796
			428	0.020	0.020
			432/1	0.161	0.161
			432/2	0.259	0.259
			433	0.146	0.146
		429, 430, 431	6.425	5.376	
			488/9	0.566	0.566
			352/1	1.185	1.185
		353, 354			
			352/2/1	0.202	0.202
		353, 354			
			352/3	2.403	2.403
		353, 354			
			350/1	0.656	0.202
			350/2		
			482/344	0.303	0.303
			379/1		
			379/2/1		
			379/1,		
			379/2/2	3.127	0.324
			379/1,		
			379/2/3		
			379/1,		
			379/2/4		
			385/1/		
			385/2/1		
			385/1/		
			385/2/2		
			385/1/	5.074	0.708
			385/2/3		
			385/1/		
			385/2/4		
			385/1/		
			385/2/5		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		409/1,			
		409/2/1,			
		409/1,			
		409/2/2,			
		409/1,			
		409/2/3,	5.805	1.376	
		409/1,			
		409/2/4,			
		409/1,			
		409/2/5,			
		409/1,			
		409/2/6			
		352, 353,	0.202	0.202	
		354/2/2			
		337,	0.684	0.684	
		338/3/2/1			

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्र. 902-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2)के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	डढ़िया पबाई	1.96	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 904-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	चित्तगढ़	1.20	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 906-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बबइया पबाई	3.87	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर/ सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 939-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची—पूरक प्रकरण

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	तेदुन वृत्त	0.179	कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की नेबूहा वितरक नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 941-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची—पूरक प्रकरण

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	माड़ौ वृत्त	0.083	कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की नेबूहा वितरक नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 943-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	गढ़वा (माधौसिंह) 150	2.10	कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की गढ़वा माइनर एवं गढ़वा सब माइनर नं. 2 में आने वाली भूमि तथा तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 945-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची—पूरक प्रकरण

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	दूवी	0.076	कार्यपालन यंत्री, वितरिका संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर की कनौजा माइनर नं. 1 की सब माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

रीवा, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. 726-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	नीमी	4.140	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. 2, सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 728-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	सकरिया	0.235	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 4 अप्रैल 2013

भू-अर्जन प्र.क्र.एफ.-212-10 पत्र क्र.-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	चपना	0.846	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. प्रा. संभाग, अमरपाटन, जिला सतना (म. प्र.)	न. घा. योजना अन्तर्गत सोनौरा उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 24 अप्रैल 2013

भू-अर्जन प्र.क्र.एफ.-10 पत्र क्र.240-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	नादनटोला	16.982	कार्यपालन यंत्री, न. घा. वि. प्रा. संभाग, अमरपाटन, जिला सतना (म. प्र.)	बरगी व्यपवर्तन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रीवा शाखा नहर के उप शाखा सोनौरा 02 उप शाखा नहर निर्माण हेतु.
	अमरपाटन	अमरपाटन	3.018		
	अमरपाटन	खरमसेड़ा	6.802		
	मैहर	जरियारी	0.052		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 25 मार्च 2013

प्र. क्र. 03-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—बिल्हैटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.57 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
1403	2.570	0.02
1390	1.320	0.15
1369	1.160	0.04
1379	0.160	0.01
1380	1.200	0.05
1372	0.560	0.06
1374	2.960	0.11
1395	1.640	0.19
1403	2.570	0.22
1409	0.760	0.07
1411	1.000	0.10
1414	1.140	0.03
1415	0.060	0.03
2290	0.930	0.16
2289	0.250	0.04
2288	0.600	0.02
2287	1.120	0.11
1416	1.050	0.11
2284	0.850	0.07
2283	0.990	0.09

(1)	(2)	(3)
2265	0.690	0.10
2266	1.110	0.10
1392	1.060	0.01
2099	1.500	0.02
2095	0.070	0.02
2000	0.870	0.01
2087	0.520	0.06
2085	1.060	0.14
2084	0.510	0.01
1995	0.530	0.01
1999	0.350	0.08
1998	0.380	0.01
2001	0.390	0.10
1896	1.430	0.01
1965	0.660	0.10
1956	0.200	0.01
1954	0.400	0.07
1953	0.450	0.06
1952	0.890	0.10
1901	0.190	0.04
1903/मिन1	0.040	0.15
1903/मिन2	0.920	
1904	0.480	0.10
1906/मिन1	0.430	0.09
1906/मिन2	0.220	
1882	0.730	0.07
1877	0.640	0.03
1880	0.740	0.04
1879	0.560	0.06
1878	0.070	0.01
1870	1.800	0.18
1871	0.730	0.05

कुल योग : 3.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 3 एल, 1 एल/3एल/4 एल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—हिमैयापुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.79 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
81	1.05	0.01
72	1.68	0.16
73	0.31	0.03
74	0.83	0.12
87	0.25	0.02
71	0.87	0.03
588/मि1	0.13	0.02
588/मि2	0.12	
587/मि1	0.81	0.06
587/मि2	0.81	
534	0.61	0.06
535	0.47	0.02
533	0.47	0.02
538	1.06	0.10
547	1.06	0.03
545	0.82	0.07
551	1.31	0.14
552	0.83	0.11
554	0.89	0.07
555	0.52	0.05
72	1.68	0.12
592/49	0.11	0.01
50	0.40	0.02
54	0.55	0.08
55	0.25	0.03
66	0.96	0.14

(1)	(2)	(3)
62	0.31	0.06
64	1.86	0.16
65	3.08	0.05

कुल योग : 1.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 आर मायनर 5 एल, 4 एल एवं 5 एल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—मानपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.48 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
540	0.530	0.01
561	0.600	0.05
562	0.500	0.06
563	0.090	0.08
564	0.090	0.01
566	2.360	0.13
574	0.780	0.09
575	0.650	0.04
571	0.380	0.01

कुल योग : 0.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5 एल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—नारायणपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.34 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
67/मिन1	1.600	0.04
67/मिन2	0.390	
70	0.550	0.06
69	0.430	0.08
57	0.410	0.01
58	1.550	0.06
56	0.570	0.07
68	0.300	0.02
कुल योग :		0.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—सुनारपुरा माफी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.94 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
488	0.950	0.08
490	0.950	0.08
491	0.950	0.08
492	1.700	0.01
495	2.630	0.03
494/मिन 1	0.210	0.15
494/मिन 2	0.210	
494/मिन 3	0.210	
494/मिन 4	0.210	
494/मिन 5	0.210	
494/मिन 6	0.220	
479	0.910	0.04
476	0.490	0.04
477	0.860	0.10
478	1.040	0.01
473	1.990	0.01
472	2.030	0.13
469	1.440	0.07
471	2.420	0.11
कुल योग :		0.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 4 एल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—ककरारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.18 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
1	0.550	0.07
5	0.050	0.01
6	0.490	0.05
9	1.520	0.02
16	1.800	0.02
17	0.070	0.01

कुल योग : 0.18

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 5 एल के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—सूपाट

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.78 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
279	1.810	0.18
281	1.480	0.12
204	0.070	0.01
248	0.140	0.01
247	0.630	0.08
292	0.730	0.14
303	0.650	0.07
309	0.800	0.08
327	1.600	0.09

कुल योग : 0.78

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की मायनर 1 एल सबमायनर 2 एल के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—सिरसौद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.13 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
1120	0.810	0.07
1119	0.790	0.08

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1118	0.590	0.06	243	0.990	0.05
1102	0.430	0.06	277	2.130	0.08
1103	0.190	0.03	276	1.050	0.11
1104	0.440	0.06	274	1.360	0.08
1105	1.610	0.09	273	0.380	0.01
1106	1.400	0.06	272	0.650	0.10
1111	0.420	0.08	265/मिन1	0.130	0.07
1110	0.420	0.06	265/मिन2	0.500	—
1195	1.920	0.07	270	0.080	0.01
1196	0.450	0.10	267	0.260	0.08
1209	1.130	0.07	269	0.210	0.01
1206	0.840	0.12	268	0.290	0.05
1205	1.970	0.09	91	0.270	0.05
1227	0.930	0.08	92	0.600	0.09
1225	1.190	0.07	95	0.350	0.07
1231	0.780	0.06	96	0.360	0.02
1230	0.230	0.03	97	0.710	0.09
1229	0.110	0.02	101	0.640	0.14
1232	0.350	0.08			
1233	0.600	0.01			
1242	0.520	0.08			
1243	0.210	0.02			
1244	0.850	0.12			
988	0.950	0.10			
988/1489	0.120	0.01			
971	0.850	0.11			
968	2.080	0.16			
894	0.270	0.02			
895	1.090	0.03			
893	2.600	0.29			
892	0.700	0.06			
227	1.100	0.09			
228	0.300	0.04			
229	0.390	0.05			
233	0.590	0.06			
235	0.430	0.06			
234	0.310	0.01			
237	1.030	0.06			
239	0.920	0.12			
244	0.760	0.06			

कुल योग : 4.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की मायनर 1 एल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

- (ग) ग्राम—खेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.20 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
529	0.060	0.01
530	0.550	0.01
528	0.590	0.14
543	0.980	0.03
536	0.840	0.13
506	0.680	0.05
537	0.720	0.03
505	1.220	0.10
538	0.250	0.02
499	0.930	0.10
500	0.430	0.01
422	0.570	0.01
421	0.490	0.10
420	0.120	0.02
396	0.050	0.01
395	0.170	0.04
394	0.160	0.01
398	0.220	0.03
399	0.310	0.07
400	0.100	0.02
401	0.450	0.01
374	0.600	0.11
370	0.340	0.06
360	0.210	0.02
356	0.420	0.04
533	0.330	0.01
369	0.260	0.01

कुल योग : 1.20

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की मायनर 1 एल के निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—भवनपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.25 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
371/487	0.320	0.11
371	0.180	0.06
372	0.210	0.06
373	0.100	0.06
374	0.150	0.01
384	0.580	0.02
370	0.170	0.01
364	0.850	0.10
363	0.420	0.05
360	0.380	0.07
359	0.100	0.01
273	1.290	0.05
275	0.050	0.21
276	0.630	0.13
270	0.210	0.04
279	0.650	0.07
269	0.070	0.02
164	0.540	0.02
210/490	0.10	0.01
209	0.450	0.09
208	0.230	0.07
204	0.030	0.02
205	0.030	0.01
206	0.050	0.01
207	0.060	0.01

(1)	(2)	(3)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.		
201	0.340	0.08	प्र. क्र. 13-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		
221	0.220	0.07	अनुसूची		
223	0.220	0.04	(1) भूमि का वर्णन—		
199	0.500	0.04	(क) जिला—ग्वालियर		
225	0.150	0.04	(ख) तहसील—ग्वालियर		
226	0.130	0.05	(ग) ग्राम—दयेली		
194	0.170	0.04	(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.28 हेक्टर.		
195	0.450	0.09	सर्वे	कुल रकबा	अर्जित किये जाने
193	0.180	0.10	नम्बर	(हेक्टेयर में)	वाला अनुमानित
190	0.170	0.02			रकबा (हे. में)
73/1	0.300	0.09	(1)	(2)	(3)
73/2	0.420		669	1.580	0.05
72	0.320	0.06	657	1.750	0.20
71	0.320	0.06	656	0.430	0.01
70	0.310	0.06	655	0.350	0.05
69	0.160	0.02	646	2.250	0.05
59	0.400	0.06	557	0.430	0.01
58	0.460	0.05	650	0.400	0.04
62	0.700	0.18	649	0.500	0.09
57	0.180	0.01	641	0.290	0.04
55	1.230	0.13	26	5.180	0.15
53	0.240	0.01	637	0.950	0.09
51	0.350	0.07	638	0.380	0.05
50	0.370	0.06	555	0.800	0.06
49	0.300	0.06	554	0.370	0.05
46	0.380	0.06	553	0.670	0.09
44	0.760	0.12	552	0.740	0.01
40	0.340	0.05	547	3.210	0.20
39	0.240	0.04	548	0.420	0.07
36	0.260	0.04	36	1.280	0.16
35	0.720	0.10	47	1.460	0.06
203	0.070	0.01	37	0.880	0.07
222	0.010	0.01	34	1.950	0.05
192	0.210	0.01			
		कुल योग :	3.25		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 1 एल के निर्माण हेतु.					

(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—सुपावली	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.90 हेक्टर.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
			सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	
			(1)	(2)	(3)
35	0.420	0.01	1049	1.035	0.10
29	0.880	0.09	1043	0.136	0.03
28	0.530	0.01	1051	1.682	0.04
27	1.230	0.09	1053	0.084	0.15
36	1.280	0.06	1054	0.575	0.04
47	1.460	0.02	1055 मिन 1	0.261	0.03
48	0.660	0.05	1055 मिन 2	0.261	
51	2.040	0.12	1056	0.554	0.04
52	1.400	0.08	1057	0.554	0.04
73	0.660	0.06	1058	0.261	0.04
74	0.450	0.04	2573	0.805	0.03
91	1.190	0.10	2571	1.745	0.17
95	1.220	0.10	2570	0.460	0.06
97	0.930	0.08	2569/मिन 1	0.272	
98	0.310	0.04	2569/मिन 2	0.272	0.10
99	0.990	0.08	2569/मिन 3	0.272	
101	0.510	0.04	2502/मिन 1	0.073	0.67
104	0.630	0.09	2502/मिन 2	0.418	
108	0.710	0.11	2491	0.481	0.12
109	0.900	0.08	2487	0.888	0.15
113	0.810	0.12	2501	0.711	0.06
114	0.810	0.04	2559	0.742	0.10
200	0.450	0.10	2557	0.711	0.06
92	0.780	0.01	2556	0.941	0.02
कुल योग : 3.28			2555	0.648	0.09
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 2 एल एवं 1 एल सबमायनर 2 एल के निर्माण हेतु.			2554	0.669	0.08
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.			2499/1	1.180	0.02
प्र. क्र. 14-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—			2586	0.700	0.02
अनुसूची			2400/मिन 1	0.533	0.15
(1) भूमि का वर्णन—			2499/2	1.046	
(क) जिला—ग्वालियर			2400/मिन 2	0.533	
(ख) तहसील—ग्वालियर			2399	1.829	0.21
			2395/मिन 1	0.799	0.25
			2395/मिन 2	0.700	
			2394	0.752	0.16
			949	0.335	0.04
			950	0.303	0.05
			954	0.658	0.07
			979/1/मिन 1	0.146	0.01
			979/1/मिन 2	0.178	
			979/2	0.157	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
981	1.536	0.13	317	0.072
983	0.053	0.01	323	0.030
1005	0.052	0.02	324	0.096
1000	0.732	0.01	325	0.012
157	0.251	0.01	329	0.032
919/2	0.157	0.01	331	0.060
919/3	0.157		400	0.084
919/4	0.042		401	0.024

कुल योग : 2.90

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर की 3 एल एवं 2 एल एवं 1 एल सबमायनर 3 एल के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्र. 880-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम—सेमरी जागीर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.757 हेक्ट.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
216	0.081
307	0.032

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 882-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर

- (ग) नगर/ग्राम—सेमरी 55/45
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.400 हेक्ट

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
6	0.272
58	0.016
59	0.028
60	0.032
64	0.016
65	0.012
66	0.016
68	0.008
69	0.028
85	0.160
86	0.024
87	0.132
97	0.064
99	0.120
101	0.056
173	0.130
174	0.020
175	0.348
178	0.120
180	0.120
181	0.096
182	0.008
276	0.112
278	0.068
282/1	0.056
282/2	0.040
291	0.046
292	0.016
293	0.032
294	0.044
297	0.088
344	0.012
352	0.036
362	0.024
	योग . . . 2.400

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 884-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम—भमरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.369 हेक्ट.

माइनर नं. 1

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
322	0.056
330	0.084
331	0.054
332	0.110
397	0.190
398	0.024
399	0.064
400	0.130
401	0.008
404	0.020
405	0.020
406	0.036
407	0.096
408	0.008
409	0.150
422	0.150
423	0.028
424	0.020
429	0.080
430	0.104
546	0.180
547	0.128
548	0.056

(1)	(2)	(1)	(2)
995	0.088	1217	0.164
1004	0.122	1218	0.008
1005	0.068	1220	0.004
1006	0.040	1223	0.004
1007	0.040	1538	0.096
1008	0.048		योग . . . 4.863
1031	0.056		कुल योग . . . 12.369
1032	0.104		
1038	0.084	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
1039	0.068	(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
1040	0.052		
1046	0.008		
1047	0.080		
1048	0.154		
1051	0.004		
1085	0.008		
1087	0.056		
1089	0.016		
1131	0.048		
1132	0.032		
1133	0.020		
1134	0.072		
1139	0.104		
1140	0.074		
1141	0.142		
1142	0.076		
1144	0.108		
1186	0.112		
1187	0.037		
1188	0.016		
1189	0.052		
1190	0.036		
1191	0.028		
1192	0.012		
1193	0.044		
1194	0.020		
1197	0.240		
1198	0.250		
1206	0.090		
1207	0.116		
1208	0.188		
1210	0.164		
1214	0.244		
1219	0.192		
		खसरा नं.	रकबा
		(1)	(2)
		492	0.016
		494	0.064
		496	0.036
		497	0.104
		501	0.116
		502	0.224
		503	0.208
		505	0.016
		506	0.136
		507	0.146

क्र. 886-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम—कुशवाह कोठार
(घ) क्षेत्रफल—2.474 हेक्टर

(1)	(2)	(1)	(2)
538	0.200	46	0.092
539	0.176	47	0.328
544	0.284	52	0.144
545	0.068	53	0.024
546	0.068	55/54	0.032
556	0.168	173	0.160
559	0.208	174	0.024
562	0.036		योग . . 1.596
563	0.032		
564	0.036		
565	0.044		
566	0.088		
	योग . . 2.474		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 888-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम—बिलरी कोठार
(घ) क्षेत्रफल—1.596 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
30	0.208
32	0.236
33	0.104
39	0.024
44	0.220

क्र. 890-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम—बिलरी पैपखार
(घ) क्षेत्रफल—1.828 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
118	0.172
127	0.032
128	0.048
129	0.008
130	0.044
131	0.036
132	0.040
133	0.120

(1)	(2)	(1)	(2)
134	0.084	1556	0.200
135	0.080	1558	0.224
136	0.088	1559	0.076
137	0.100	1566	0.112
138	0.280	1567	0.196
158	0.004	1570	0.132
159	0.080	1571	0.024
172	0.040	1612	0.036
173	0.132	1613	0.160
175	0.112	1614	0.128
176	0.080	1615	0.640
179	0.184		योग . . 1.988
180	0.004		
181	0.060		

योग . . 1.828

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 892-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम—भमरा (बिलरी माइनर)
(घ) क्षेत्रफल—1.988 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1551	0.016
1555	0.044

क्र. 894-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम—पटेहरा
(घ) क्षेत्रफल—4.030 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
143	0.168
144	0.080
153	0.004
154	0.008
155	0.136

(1)	(2)
156	0.048
160	0.076
162	0.016
163	0.040
164	0.448
166	0.256
167	0.012
169	0.310
577	0.012
580	0.140
581	0.104
582	0.088
583	0.112
586	0.300
587	0.012
598	0.092
599	0.088
605	0.176
625	0.012
626	0.082
627	0.088
628	0.160
865	0.060
942	0.054
943	0.128
944	0.080
945	0.012
968	0.080
967	0.032
976	0.012
983	0.264
984	0.240

योग . . 4.030

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 896-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन

के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम—खरहरी पबाई
(घ) क्षेत्रफल—3.308 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1	0.012
2	0.240
8	0.036
9	0.112
18	0.212
19	0.176
20	0.044
23	0.028
27	0.048
30	0.064
31	0.164
32	0.088
51	0.004
114	0.072
116	0.080
121	0.224
122	0.160
177	0.032
180	0.016
181	1.456
287	0.040

योग . . 3.308

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 898-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम—बहेरिया कोटार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.728 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
88	0.080
89	0.224
90	0.024
108	0.120
109	0.148
112	0.120
114	0.140
313	0.064
327	0.008
328	0.440
329	0.120
330	0.056
333	0.112
334	0.072
योग	1.728

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.900-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम—तिघरा पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.764 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
520	0.044
521	0.064
564	0.056
565	0.080
566	0.112
567	0.040
571	0.116
572	0.126
573	0.128
574	0.132
575	0.110
581	0.028
695	0.072
696	0.112
698	0.040
711	0.160
716	0.088
717	0.042
718	0.038
719	0.048
720	0.096
735	0.016
889	0.016
योग	1.764

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 937-प्रशासक-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—मरहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.303 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
255	0.016
256	0.270
296	0.043
304	0.018
363	0.020
365	0.048
462	0.033
464	0.264
469	0.186
470	0.405
योग . .	1.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नौवस्ता वितरक नहर की कठार माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 16 अप्रैल 2013

इश्यू क्र. 36-प्र. क्र. 2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
(ख) तहसील—सीतामऊ
(ग) ग्राम—लोगनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—28.680 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
6	0.770
182	0.120
176	0.210
177	0.050
175	0.010
32	0.100
9	0.340
15	0.350
16	0.480
17	0.150
22	0.310
23	0.260
24	0.140
11	0.190
12	0.200
13	0.640
14	0.470
25	0.250
26	0.610
27	0.03
29	0.530
31	0.570
243	0.470
228	0.250
225	0.130
18	0.080
19	0.070
20	0.220
30	0.560
33	1.310
311	0.240
313	0.130

(1)	(2)	(1)	(2)
150	0.460	230/2	0.100
168	0.030	232	0.830
169	0.120	231/3	0.070
170	0.130	231/1	0.100
171	0.120	230/3	0.130
174	0.170	230/1	0.140
28	0.020	223	0.150
264	0.120	222	0.120
261	0.110	183	0.020
260/1	0.160	233	0.150
300/1	0.120	234	0.350
308	0.240	235	0.850
249	0.290	166/1	0.120
259	0.260	297	0.130
256	0.200	329	0.060
254	0.230	229	0.090
298	0.270	309	0.270
247	0.290	153	0.320
205	0.160	310	0.240
208	0.210	304	0.270
218	0.160	184	0.030
220	0.180	206	0.080
246	0.850	207	0.180
312	0.700	210	0.120
180	0.240	212	0.080
248	0.400	213	0.150
250	0.280	215	0.090
253	0.080	278	0.820
251	0.220	279/395	0.120
251/336/1	0.050	281	0.690
252/2	0.220	299	0.240
252/1	0.210	300/2	0.120
167	0.080	202	0.160
173	0.110	204	0.390
255	0.140	209	0.060
236	0.170	211	0.090
237	1.450	172	0.230
217	0.160		योग . . . 28.680
219	0.210		
221	0.150		
226	0.050		
227	0.100		
152	0.320		
166/2	0.030		
231/2	0.100		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रहीमगढ़ तालाब डूब क्षेत्र हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीतामऊ, जिला मंदसौर में किया जा सकता है.

ईश्यू क्र. 37-प्र. क्र. 3-अ-82-12-13.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंदसौर

(ख) तहसील—सीतामऊ

(ग) ग्राम—पारली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—51.250 हे.

सर्वे नंबर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

375

2.660

374

1.100

384

0.650

385

0.650

383

1.210

380

1.990

397

1.770

370

0.250

381

1.300

391

0.800

590

0.340

390

0.610

377/1Min-1

0.080

392

0.210

403

0.120

393

0.210

402

0.110

279

0.200

394

0.210

401

0.110

218

0.070

244

0.120

245

0.120

321

0.150

395

0.420

280

0.340

323

0.170

(1)

(2)

396/1

0.110

405

0.120

396/2

0.110

387

0.150

327

1.140

400

1.420

388

0.100

242

0.470

325

0.570

389

0.140

322

0.600

376

0.450

377/1Min-2

0.670

386/1Min-2

0.170

573

0.050

572

0.130

399

1.420

404

0.110

406

0.120

407

0.110

566

0.080

275

0.260

408

0.110

567

0.080

276

0.260

409

0.110

562

0.150

568

0.080

277

0.360

312

0.090

318

0.060

410

0.110

561

0.150

569

0.080

278

0.360

283/2

0.630

311

0.080

319

0.060

411

0.110

560

0.150

570

0.100

246

0.360

412

0.520

563

0.450

(1)	(2)	(1)	(2)
564	0.410	330	0.500
413	0.530	331	0.500
571/2	0.200	334	0.230
316/2	0.250	335	0.35
414	0.530	273	0.050
559	0.450	342	1.210
317	0.110	219	0.040
557/1Min-1	0.890	220	0.090
326	0.610	234	0.400
557/1Min-2	0.300	235	1.050
558	0.430	247/1	0.400
557/2	0.250	247/2	0.210
565	0.41	236	0.250
571/1	0.210	238/1	0.180
554/1	0.250	238/2	0.19
316/1	0.250	240	0.420
320	0.110	241	0.400
555/1	0.070	243	0.120
371	0.710	248	0.100
372	0.610	274	0.700
271/1	0.060	282	1.020
369	0.030	283/1	0.220
365/1	0.100	योग . .	51.250
365/2	1.110		
363	0.560	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रहीमगढ़ तालाब डूब क्षेत्र हेतु.	
271/2	0.070	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीतामऊ, जिला मंदसौर में किया जा सकता है.	
362/2	0.030		
269	0.050		
332/1	0.100		
362/1	0.56		
341/1	0.06		
361/1	0.240		
361/2	0.440		
272	0.140		
270	0.370		
360	0.180		
336	0.350		
333/1	0.200		
332/2/2	0.130		
333/2	0.360		
332/2/1	0.140		
333/3	0.670		
332/2/3	0.130		
249	0.030		

ईश्यू क्र. 38-प्र. क्र. 4-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंदसौर

(ख) तहसील—सीतामऊ

(ग) ग्राम—कराडिया		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—28.750 हे.			
सर्वे नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)		
		308	0.070
		310	0.030
		329/2	0.070
		14/4	0.070
260	1.400	295/4	0.040
266	0.300	329/4	0.080
187	0.030	14/2	0.070
195	0.050	268/1	0.290
198	0.010	278/3	0.090
199	0.140	188/3	0.020
261	0.360	202/3	0.080
264	0.570	227/3	0.210
186	0.030	268/2	0.300
196	0.050	278/1	0.090
200	0.130	202/2	0.070
232	1.700	227/1	0.210
267	0.310	227/2	0.200
279	0.090	268/3	0.290
201	0.070	278/2	0.090
228	0.110	188/1	0.010
300/1	0.120	202/1	0.080
300/2	0.110	229/2	0.200
210	0.110	258	0.170
214	0.020	255	0.310
12	0.300	292	0.100
301	0.140	293	0.120
306	0.130	297	0.230
216	0.090	58/2	0.160
217	0.150	296	0.180
305	0.130	307	0.100
312	0.360	205	0.050
320	0.170	309	0.070
13	0.300	65	0.800
14/3	0.080	11	0.100
295/1	0.030	313	0.110
329/1	0.070	315	0.050
68/1	0.090	317	0.070
14/1	0.080	84	1.250
295/2	0.030	322	0.050
304/1	0.060	321	0.160
329/3	0.080	323	0.070
68/2	0.090	56/2	0.500
295/3	0.030	56/3	0.500
304/2	0.060	58/1	0.150

(1)	(2)	(1)	(2)
76/1	0.140	67/2	0.100
58/3	0.160	69	0.110
76/2	0.150	70	0.110
79	0.300	277/1	0.200
60	0.570	239 Min-3	0.400
61	0.290	277/2	0.300
63	0.230	239 Min-2	0.350
75	0.480	280	0.040
18	0.380	288/1	0.240
16	0.040	289/1	0.080
59	0.250	190	0.030
237	0.950	191/1	0.080
233	0.120	285	0.020
269	0.400	288/2	0.240
283	0.020	289/2	0.080
284	0.080	191/2	0.080
302	0.360	236	0.260
303	0.300	239 Min-5	0.400
207	0.220	योग	28.750
270	0.200		
286	0.020	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कराड़िया तालाब डूब क्षेत्र हेतु.	
234	0.200		
72	0.070	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीतामऊ, जिला मंदसौर में किया जा सकता है.	
73	0.180		
271	0.190		
281	0.030		
282	0.090		
74	0.110		
276	0.470		
239 Min-1	0.300		
89/5	0.100		
209/1	0.060		
212/1	0.080		
209/2	0.060		
212/2	0.090		
218	0.300		
240	0.200		
239 Min-4	0.400		
71	0.110		
188/2	0.020		
229/3	0.200		
66/1	0.380		
67/1	0.080		
66/2	0.110		

ईश्यू क्र. 35-प्र. क्र. 5-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
(ख) तहसील—सीतामऊ
(ग) ग्राम—बिशनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.130 हे.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
961/1	0.040
961/6	0.200
961/3	0.040

(1)	(2)
869	0.200
961/2	0.040
961/4	0.310
960	0.300
योग	<u>1.130</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कराड़िया तालाब डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीतामऊ, जिला मंदसौर में किया जा सकता है.

ईश्यू क्र. 34-प्र. क्र. 8-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
(ख) तहसील—सीतामऊ
(ग) ग्राम—चिखला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.19 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1032	0.18
1033	0.20
1034	0.22
1035	0.20
1036	0.10
1037	0.20
1038	0.31
1039/1	0.16
1039/2	0.17
1040	0.18
1041	0.18
1042	0.36
1043/1	0.20
1043/2	0.20
1044	0.20
1045	0.20
1046	0.20
1047	0.20

(1)	(2)
1048	0.20
1049	0.20
1050	0.26
1051/1	0.20
1051/2	0.20
1052	0.36
1053	0.60
1054/1	0.65
1054/2	0.33
1054/3	0.32
831/1	0.28
831/2	0.32
826	0.22
825	0.32
813	0.25
814	0.40
815	0.30
816	0.20
817	0.27
818	0.40
819	0.46
821	0.13
822	0.13
823	0.15
824	0.38

योग 11.19

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—फतेहपुरी चिकली तालाब डूब क्षेत्र हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीतामऊ, जिला मंदसौर में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
(ख) तहसील—मंदसौर

(ग) नगर/ग्राम—पिथ्याखेड़ी/पिथ्याखेड़ीजागीर/धारीयाखेड़ी/रलायता.		सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—31.442 हैक्टेयर,		(1)	(2)
पिथ्याखेड़ी, 3.500 हैक्टेयर,		535/1	0.150
पित्याखेड़ीजागीर 5.290, हैक्टेयर,		535/5	0.585
धारीयाखेड़ी 18.382		535/3	0.183
रलायता 4.270 हैक्टेयर.		535/3	0.150
		535/6	0.585
ग्राम—पिथ्याखेड़ी बीड़		533/4	0.100
सर्वे	रकबा	535/2	0.150
नंबर	(हे. में)	535/7 मिन-1	0.376
(1)	(2)	535/8	1.160
173	0.840	537/2	0.160
176	1.070	535/7	0.209
177/1	0.310	योग . .	18.382
177/2	0.300		
177/3	0.310		
178	0.080		
180	0.590		
योग . .	3.500		
ग्राम—पिथ्याखेड़ी जागीर			
(1)	(2)	(1)	(2)
310 मिन-1	0.500	2	0.890
310 मिन-2	0.210	8	0.140
312 मिन-1	0.670	9	0.150
312 मिन-2	0.660	10	0.500
315	0.800	12	0.500
349	2.450	13	0.800
योग . .	5.290	17	0.600
		18	0.050
		20	0.610
		21	0.030
		योग . .	4.270
		महायोग . .	31.442
ग्राम—धारियाखेड़ी			
(1)	(2)		
352	1.700		
531	0.950		
539	4.923		
353	1.139		
365/1	1.045		
365/2 मिन-1	0.600		
491	0.050		
493	0.136		
496	0.250		
525	1.400		
526	0.850		
532	0.500		
533/1	0.183		
535/4	0.585		
537/2	0.080		
533/2	0.183		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—ग्राम रलायता तालाब निर्माण के लिए.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण—कलेक्टर कार्यालय में मंदसौर के भू-अर्जन अधिकारी के यहां किया जा सकता है.

मंदसौर, दिनांक 17 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13-क्र.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंदसौर

(ख) तहसील—मल्हारगढ़

(ग) नगर/ग्राम—दौरवाड़ा + तलाव पिपल्या		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—27.000+13.162=40.162 हेक्टर.			
ग्राम—दौरवाड़ा			
सर्वे नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)		
1836	0.260	1935	0.050
1837/1	0.350	1938	0.040
1837/2	0.150	1939	0.040
1838	0.500	1939/2	0.020
1839	0.250	1940/1	0.020
1840	0.250	1940/2	0.020
1841/1	0.280	1941	0.170
1841/2	0.030	1942	0.030
1857/1	0.100	1944	0.170
1857/2	0.100	1945	0.070
1858	0.250	1946/1	0.050
1859/1	0.370	1946/2	0.100
1859/2	0.360	1952	0.230
1861	0.820	1953/1	0.030
1873	0.200	1953/2	0.040
1875/1	0.430	1953/3	0.040
1875/2	0.150	1954	0.140
1876	0.080	1955	0.130
1877	0.040	1956/1	0.030
1878	0.060	1956/2	0.020
1879	0.580	1957	0.020
1880	0.060	1959/1	0.130
1882	0.280	1959/2	0.200
1883	0.030	1959/2/2	0.200
1884/1	0.190	1959/3	0.130
1884/2	0.620	1959/4	0.130
1885	0.090	1959/5	0.140
1900	0.240	1961/1	0.090
1901	0.200	1961/3	0.090
1902	0.450	1964	0.110
1903	0.400	1965	0.180
1910/2	0.400	1966	0.120
1911	0.380	1967	0.120
1912/1	0.240	1968	0.010
1912/2	0.230	1969/1	1.010
1928/1	0.300	1969/2	0.600
1928/2	0.050	1970	0.540
1929	0.240	1971/1	0.190
1930	0.210	1971/2	0.190
1931	0.220	1972	0.150
1932	0.140	1973	0.150
1933	0.170	1974	0.310
1934	0.150	1976/1	0.210
		1976/2	0.210
		1976/3	0.210
		1977	1.040
		1979	0.540
		1980/1	0.380

(1)	(2)	(1)	(2)
1980/2	0.370	803 पे.	0.040
1980/3	0.380	828	0.210
1982	0.180	803 पे.	0.050
1983	0.360	828	0.210
1984/1	0.050	692	0.270
1984/2	0.050	804	0.140
1984/3	0.050	805	0.140
1985	0.360	831	0.630
1986	0.560	690	0.270
1987/1	0.340	821	0.246
1987/2	0.330	822	0.232
1988/1	0.500	826	0.706
1988/2	0.500	834	0.570
1988/3	0.500	827	0.470
1988/4	0.500	840	0.073
1989/1	0.120	696 पे.	0.060
1989/2	0.460	830	0.060
1989/3	0.320	693	0.030
1990	0.240	835/1	1.000
1991	0.240	836 पे.	0.138
1992/1	0.220	697	0.060
1992/2	0.210	838 पे.	0.160
1993	0.210	838 पे.	0.160
1994	0.210	836 पे.	0.120
	योग . . . 27.000	1060 पे.	0.120
		1060 पे.	0.120
		1059	0.120
		1056	0.096
		838 पे.	0.070
		838 पे.	0.004
		844	0.040
		843	0.066
		842	0.108
		840	0.036
		825	0.060
		824	0.090
		823	0.060
		820	0.114
		806	0.138
		807	0.114
		795	0.075
		794	0.075
		797/1 पे.	0.020
		797/2 पे.	0.020
		702 पे.	0.045
		702 पे.	0.045
		700	0.090
		योग . . .	13.162
		महायोग . . .	40.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दौरवाड़ा तालाब निर्माण हेतु.	(1)	(2)
	580	0.220
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.	581	0.050
	582	0.340
	583	0.210
	584	0.340
		योग . . . 5.940

प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13-क्र.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
 (ख) तहसील—मल्हारगढ़
 (ग) नगर/ग्राम—बुढ़ा + मुंजाखेडी + काल्याखेडी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.940 + 8.915 + 11.930 = 26.785 हे.

ग्राम—बुढ़ा

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
700	0.020
705/2	0.250
706	0.020
707	0.070
697/1	0.410
697/2	0.630
697/3	0.010
697/4	0.610
693	0.360
694	0.020
695	0.400
692	0.770
691	0.090
690/1	0.030
690/2	0.030
690/3	0.020
601/1	0.020
601/2	0.020
593/1	0.020
592	0.200
591	0.190
587	0.320
585	0.170
586	0.100

(1)	(2)
17/1	0.300
17/2	0.940
17/3	0.990
17/4	0.740
18	0.440
19	0.500
21	0.340
22	0.160
23/1	0.690
23/2	0.220
24	0.130
25/1	0.570
25/2	0.110
26	0.010
27	0.620
28	0.400
29	0.020
15	0.068
83/2	0.144
82	0.040
85	0.030
87	0.072
98	0.010
97/1	0.013
96/1	0.013
95/1	0.013
94/1	0.013
93	0.052
108	0.082
107	0.020
111/1	0.080
112	0.085
	योग . . . 8.915

ग्राम—काल्याखेडी

(1)	(2)
329	0.650
334	0.300
335	0.030
336	0.420

(1)	(2)
337	0.640
338	0.760
339	0.060
318	0.250
319	0.570
320	0.580
321	0.220
322	0.160
323	0.250
324	0.320
325	0.170
326	0.430
327	0.250
272	0.500
275	0.150
270	0.760
273/2	0.110
273/1	0.300
269	0.470
268	0.430
251	0.730
259	0.450
258/1	0.100
258/2	0.500
260	0.630
262	0.230
263	0.040
266	0.100
264	0.180
265	0.030
267	0.050
353	0.020
349	0.030
347	0.040
345	0.020

योग . . . 11.930

महायोग . . . 26.785

(2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंदसौर

(ख) तहसील—मल्हारगढ़

(ग) नगर/ग्राम—मिण्डलाखेडा + देवरी + सिंदपन + हनुमंतिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—49.590+5.930+0.250+3.500
=59.270.

ग्राम—मिण्डलाखेडा (डूब)

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/1	0.010
2/3	0.050
2/2	0.590
2/4	0.950
3/1	0.360
7	0.560
14/363	0.170
17	0.220
127	0.040
3/2	0.180
4	0.180
139	0.100
5	0.260
129	0.130
140	0.100
6	0.280
13	0.170
138	0.380
8/2	0.060
11/1	0.120
8/3	0.180
9	0.100
21	0.130
22	0.360
23	0.180
24	2.500
26	2.570
10	0.230
14	0.240
11/2	0.120
142	0.140
12	0.170
15	0.160

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मुंजाखेड़ी तालाब निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2012-13-क्र.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद

(1)	(2)	(1)	(2)
16	0.160	43/2	0.130
18	0.210	51	1.600
48/3	0.470	52/3	0.080
141	0.300	90	0.150
147	0.170	52/1	0.080
150	0.150	52/2	0.110
153	0.380	61	0.150
158	0.070	63	0.240
19/1	0.030	62/मिन-1	0.050
19/2	0.030	64/मिन-1	0.100
19/3	0.030	65/मिन-1	0.090
19/4	0.050	62/मिन-2	0.050
19/5	0.030	65/मिन-2	0.100
19/6	0.050	62/मिन-4	0.050
27	1.210	64/मिन-3	0.090
31	0.250	65/मिन-3	0.100
27/364	0.640	67	0.020
122/1	0.170	112/3	0.200
28	0.700	68/1	0.030
29	0.700	68/2	0.090
30	0.010	71/2	0.120
32	0.530	111/2	0.030
33/1	0.890	112/2-मिन-2	0.030
96	0.150	133/3	0.070
119/2	0.410	136/2	0.170
33/2	0.110	69/1	0.090
93/मिन-2	0.020	69/2	0.080
119/1	0.060	70	0.150
34/1	0.940	111/1	0.030
120/1	0.410	112/2-मिन-1	0.070
34/2	0.120	133/4	0.030
120/2	0.060	136/1	0.170
35	0.060	71/3	0.300
37	0.300	133/2	0.090
42	0.170	137/2	0.110
45	0.950	71/4	0.230
104/2	0.430	112/1	0.100
36	0.250	137/1	0.100
39	0.100	75	0.450
41	0.350	79/4	0.330
44	0.150	79/1	0.550
46	0.840	108/2	0.140
06	0.400	79/2	0.460
38	0.320	108/1	0.350
43/3	0.810	79/3	0.130
40	0.770	81	0.040
43/1	0.130	83/1 मिन-1	0.090
43/4	0.100	85/मिन-1	0.150

(1)	(2)	(1)	(2)
102/1	0.120	125	0.140
80	0.030	126/366	0.080
89/2	0.090	126/1	0.130
83/1 मिन-2	0.070	134/1	0.070
89/मिन-1	0.090	134/3	0.070
95/मिन-1	0.130	126/2	0.130
102/2	0.130	130	0.120
83/1मिन-3	0.060	131	0.080
91/1	0.400	132	0.160
83/मिन-2	0.080	134/2	0.130
84/1	0.200	134/4	0.400
85/मिन-2	0.010	134/5	0.090
86	0.800	143	0.210
88/मिन-1	0.090	144	0.120
88/मिन-2	0.090	148/1	0.230
102/3	0.130	148/2	0.080
91/2	0.230	149/2	0.210
94/1	0.180	148/3	0.070
95/मिन-2	0.520	149/1	0.340
92	0.170	152	0.090
100	0.010	148/4	0.030
122/2	0.070	154	0.350
93/मिन-1	0.180	156	0.110
94/2	0.180	159	0.030
103	0.340	योग . .	49.590
104/1	0.040		
105	0.050		
95/मिन-3	0.020	ग्राम—देवरी (डूब +नहर)	
98	0.230	(1)	(2)
99	0.220	325/मिन-1	0.080
101	0.010	326	0.800
104/4	0.280	327	1.510
107/1	0.270	388	0.230
117/3	0.480	378	0.090
107/2	0.150	379	0.050
107/3	0.040	381/2	0.140
107/4	0.280	390/मिन-1	0.250
117/2	0.160	390/मिन-2	0.280
107/5	0.280	390/मिन-3	0.030
117/1	0.160	391	0.060
113	0.190	403	0.050
114	0.780	409	0.370
116/1	0.010	410	0.250
115	0.030	411	0.450
116/2	0.630	412	0.520
123	0.440		
124	0.730		
128	0.080		

भूमि की देवरी तालाब डूब एवं नहर योजना के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंदसौर
(ख) तहसील—शामगढ़
(ग) ग्राम—देवरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.81 हे.

(1)	(2)
422	0.160
423	0.100
424	0.020
425	0.090
447	0.110
372	0.120
374/1	0.060
375	0.110
कुल योग . .	<u>5.930</u>

ग्राम—सिंदपन (नहर)

(1)	(2)
149	0.020
152	0.140
153	0.010
157/मिन-1	0.020
157/मिन-2	0.020
157/मिन-3	0.020
157/मिन-4	0.020
कुल योग . .	<u>0.250</u>

ग्राम—हनुमंतिया (स्पील चैनल)

(1)	(2)
3	0.130
4	0.350
6	1.000
7	2.020
योग . .	<u>3.500</u>
महायोग . .	<u>59.270</u>

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
59	0.10
58/1	0.24
61/8	0.46
61/3	0.12
61/7	0.28
61/6	0.14
64	0.11
65/1	0.18
65/2	0.18
67/1	0.18
67/2	0.17
68/1	0.19
68/2	0.20
68/3	0.19
68/4	0.20
68/5	0.50
68/6	0.20
103	0.01
135	0.07
136/1	0.05
136/2	0.04

योग . . 3.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मिण्डलाखेड़ा तालाब निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—देवरी तालाब डूब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरोठ जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.

प्र. क्र. 01-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

श्योपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 05-2012-13-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—श्योपुर
(ख) तहसील—विजयपुर
(ग) नगर/ग्राम—खुर्रका
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.79 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
378	0.40
605	0.03
762	0.20
827	0.70
889/2	0.30
925/1	0.390
934/मिन-2	0.23
973	0.30
974	0.30
975	0.120
1022/2	0.020
947/मिन-1	0.460
947/मिन-2	0.21
1091/1	0.20
1091/2	0.20
1091/3	0.20
1091/4	0.50
1091/5	0.50
1091/6	0.49
1247/1180	0.02
1249/910	0.02
योग.	5.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06-2012-13-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—श्योपुर
(ख) तहसील—विजयपुर
(ग) नगर/ग्राम—फरारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.400 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
418	0.040
718	0.02
785	0.050
800	0.040
803	0.250
योग.	0.400

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07-2012-13-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—श्योपुर
(ख) तहसील—विजयपुर

(ग) नगर/ग्राम—सेहला		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.510 हेक्टर.			
खसरा	रकबा	609	0.01
नंबर	(हे. में)	750	0.01
(1)	(2)	889	0.108
60/3	0.010	1039	0.05
64	0.050	1213	0.01
369	0.080	1241 मि2	0.33
493	0.370	1287/659	0.19
योग.	0.510	1240	0.42
			योग. . 1.518

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

श्योपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 08-2012-13-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—श्योपुर
(ख) तहसील—विजयपुर
(ग) नगर/ग्राम—नहरखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.518 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
56	0.08
339	0.01
340	0.01
355	0.03
385	0.05
401	0.02
406	0.13
435	0.01
445	0.01
497	0.03
595	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ज्ञानेश्वर बी पाटील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 10 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 05-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—बोरखेड़ा खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल 5.419 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
21/1/2	0.158
21/2/2क	0.304
21/2/2ग	0.016

(1)	(2)
21/2/2ख	0.024
21/2/1/2	0.205
21/2/1/3	0.148
23,24,33/1	0.208
23,24,33/2	0.182
35,36/1	0.017
35,36/2	0.471
46	0.053
47/2	0.153
47/1/1	0.002
44/1	0.372
44/2	0.174
45/1	0.023
43/4	0.142
49/1क	0.259
49/2	0.113
49/1ख	0.024
50	0.178
51	0.380
53	0.465
136/3	0.142
139, 140/3	0.324
139,140/2	0.263
139, 140/1	0.227
142/1	0.392
कुल योग.	5.419

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—घोंघरा मध्यम परियोजना बगबाड़ा वितरिका भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 10 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 02-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
(ख) तहसील—सिलवानी
(ग) ग्राम—सनाईदार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—86.065 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किया गया रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
245	0.534	0.534
216/2	1.254	1.254
216/3	0.829	0.829
243	0.607	0.607
75/2	0.348	0.348
75/3	0.647	0.647
214/2	0.971	0.971
137	0.190	0.190
211, 212	3.678	3.678
203/2	0.668	0.668
174	0.437	0.437
186	0.941	0.941
181	0.761	0.561
172/4	0.559	0.559
173/4	0.368	0.368
98/2	0.068	0.068
95	1.315	1.315
300/96	0.809	0.809
173/2	1.023	0.950
335/153	0.332	0.332
132	0.174	0.060
135	0.182	0.182
172/2	0.906	0.906
171/3	0.429	0.429
171/4	1.408	1.408
173/3	1.092	1.092
138	0.093	0.093

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
220	1.572	1.572	234	1.185	1.185
61	0.271	0.271	264	1.530	1.530
71	0.777	0.777	223	1.140	1.140
233	1.789	1.789	66	1.197	1.197
225	0.813	0.813	160	0.892	0.892
222	1.210	1.210	158, 159/1	1.011	1.011
54	0.943	0.943	165	0.918	0.918
62	0.138	0.138	75/7	0.235	0.235
65	4.302	4.302	172/3	0.591	0.591
69	0.478	0.478	169	1.060	0.800
70	0.085	0.085	98/3	0.729	0.729
75/6	1.773	1.773	237	0.765	0.765
59	0.943	0.943	209	0.938	0.450
275	0.854	0.854	210	0.745	0.745
249	3.136	2.000	167	0.870	0.870
252	1.700	1.700	183	0.371	0.371
235	0.967	0.967	98/3	0.729	0.729
260	1.943	1.943	302/96	2.347	2.347
290/260	0.093	0.093	266	1.424	1.424
263	1.279	1.279	247	3.255	1.600
67	0.745	0.745	248	0.737	0.500
224	0.515	0.515	योग . . .	<u>90.228</u>	<u>86.065</u>
228	0.287	0.287			
64	3.072	3.072	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—नगपुरा नगझिरी सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र हेतु.	
68	1.096	1.096	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिलवानी के कार्यालय में किया जा सकता है.	
75/4	1.910	1.910	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		
226	1.210	1.210	कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		
72,73	2.420	2.420	ग्वालियर, दिनांक 12 अप्रैल 2013		
74	0.304	0.304	प्र. क्र. 77-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)		
158, 159/2	0.782	0.782			
164	0.802	0.802			
134	0.162	0.162			
303/96	1.295	1.295			
98/5	0.186	0.186			
98/4	0.672	0.672			
268/1	1.011	1.011			
171/2	0.425	0.425			
176	2.436	2.436			
177/2	0.444	0.444			
242	1.408	1.408			
261	0.688	0.688			

की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—आंतरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.028 हेक्टर.

सर्वे नंबर	अर्जित किये जाने बाला अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)	(2)
1498/2	0.240
1497	0.170
1495/1	0.270
1496	0.660
1512/3 (क)	0.095
1512/4	0.170
1512/6	0.190
1512/8 (मिन)	0.250
1512/9	0.031
1513	0.126
1514	0.184
1517	0.280
1547/1	0.283
1547/2	0.253
1547/3	0.354
1547/4(ख)	0.344
1548/1	0.012
1548/2	0.012
1548/3	0.013
1548/4	0.013
1549/1	0.040
1549/4	0.190
1567/1	0.170
1567/2	0.135
1506	0.193
1508	0.132
1509	2.680
1528/4	0.906
1493/1 मिन	0.632
योग .	9.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. भू-अर्जन-13-2067-प्र. क्र. 8/अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—बड़नगर
(ग) ग्राम—रावदियापीर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.10 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
32/1	0.04
32/2	0.02
32/3	0.08
2	0.12
3	0.12
8/1	0.14
7	0.11
9/1	0.05
9/2	0.05
10	0.12
19	0.01
22/1	0.01
22/2	0.05
21/1	0.03

(1)	(2)	(ग) ग्राम—कस्बा उज्जैन	(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.845 हेक्टर.
7	0.01	खसरा	अर्जित रकबा
8/1	0.04	नंबर	(हेक्टेयर में.)
8/2	0.02	(1)	(2)
29/1	0.04	1747	0.238
29/2	0.04	1779	0.185
29/3	0.04	1778	0.124
24	0.06	1777	0.124
25/2	0.08	1776	0.046
101	0.15	1774	0.148
42/2	0.02	1775	0.157
43/2	0.02	1769/2	0.046
43/1/1	0.04	1762	0.139
43/1/2	0.01	1760	0.009
45	0.04	1759	0.028
48	0.20	1758	0.018
49	0.03	1756	0.074
51	0.02	1877	0.053
52	0.02	1878	0.002
55	0.07	1879	0.084
54/2	0.11	1876	0.015
433/1	0.04	1876	0.015
433/2	0.02	1888	0.065
435	0.03	1889	0.014
	योग . 2.10	1877	0.018
		1890	0.102
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.—ग्राम बालोदाकोरन तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.		1891	0.009
		1892	0.129
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.		1893	0.018
		योग . 1.845	

उज्जैन, दिनांक 12 अप्रैल 2013

क्र. 2593-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—उज्जैन

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता—हीरामिल एरिया से मक्सी रोड को जोड़ते हुए जीरो पाइंट पर रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

उज्जैन, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्र. भू-अर्जन-13-2655-प्र. क्र. 6-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)

की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—बड़नगर

(ग) ग्राम—अजडावदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.04 हेक्टर.

सर्वे नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में.) (2)
10/1	0.34
11	0.10
9/1	0.05
9/2	0.06
38	0.04
75	0.19
71/2	0.01
70	0.11
67	0.06
68	0.68
63/3	0.01
63/4	0.27
62/1	0.33
62/2	0.09
88	0.06
99	0.01
100	0.30
569	0.07
571	0.12
577	0.07
580	0.10
579	0.12
596/3	0.21
596/2	0.01
62/3	0.10
60	0.05
57	0.05
58	0.05
55	0.04
54/2	0.07
52	0.03
51	0.01
114	0.06

(1)

(2)

113

0.05

112/1

0.05

112/2

0.01

107

0.06

योग. . 4.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम बालोदाकोरन तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-13-2656-प्र. क्र. 7-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—बड़नगर

(ग) ग्राम—बालोदा कोरन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.65 हेक्टर.

सर्वे

रकबा

नंबर

(हेक्टर में.)

(1)

(2)

36

0.13

33/1

0.02

67

0.07

33/2

0.01

58/3

0.15

33/3

0.01

37/3

0.04

66

0.05

63

0.04

61

0.02

60

0.06

53

0.06

52

0.17

51

0.09

136/1

0.09

(1)	(2)
136/2	0.09
136/3	0.09
366	0.16
365	0.16
360	0.01
427	0.21
428	0.09
425	0.13
424	0.28
423/2	0.15
423/1	0.03
132	0.06
126	0.01
127	0.01
125	0.06
115	0.08
109/1	0.08
109/2	0.05
188	0.06
190	0.04
192	0.02
193	0.02
183	0.01
182/1	0.01
433	0.19
432/1	0.04
481	0.05
482	0.05
483	0.05
484	0.04
489	0.01
488	0.14
509	0.16

योग. . 3.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम बालोदा कोरन तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 15 अप्रैल 2013

प्र.क्र. 1 अ-82-वर्ष 2011-12/भू-अर्जन-3771.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—शाहपुर

(ग) नगर/ग्राम—डुल्हारा, पटवारी हल्का नम्बर 38

(घ) लगभग क्षेत्रफल—25.802 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हेक्टर में.)

(1)

(2)

42

0.060

265/1

0.070

45/1

0.130

203

0.060

54

1.000

56

0.900

60

0.138

63

1.335

234/1

0.140

59/2

1.180

232/2

0.235

62

2.841

64/2

0.624

66/1

0.027

66/2

0.026

67

0.194

75

0.040

69/1

0.491

69/2

0.264

69/7

0.300

69/6

0.400

237

1.100

240/1

0.480

241/1

0.200

(1)	(2)	(1)	(2)
266/1	0.036	65/1	0.636
146	0.100	65/2	0.635
134	0.060	348	0.050
181/1	0.030	47/1	0.050
272/2	0.120	68	0.713
253/1	0.150	69/8	0.350
253/3	0.150	69/9	0.513
220	0.080	69/10	0.436
257/1	0.140	235	0.430
221/1	0.100	84	0.100
219/4	0.070	240/2	0.150
250/1	0.160	273	0.070
266/3	0.019	282/2	0.180
268	0.070	133	0.080
269/2	0.070	229/1	0.260
271	0.060	249	0.120
202/2	0.080	252	0.030
277/1	0.030	253/2	0.180
184/1	0.025	181/2	0.030
182	0.050	258	0.150
175/1	0.070	164/2	0.050
165/1	0.100	81	0.050
356/10	0.100	173/5	0.070
356/3	0.150	262/1	0.020
174/3	0.070	202/3	0.100
85	0.110	33	0.100
202/1	0.145	270	0.170
78/2	0.100	266/2	0.018
82/1	0.050	277/2	0.030
30	0.090	185	0.060
22	0.120	183	0.040
30	0.060	173/4	0.050
45/2	0.100	164/1	0.080
350	0.070	349/1	0.120
46	0.230	352	0.050
197	0.090	356/9	0.100
55	0.898	83	0.100
57	0.240	200	0.080
61	0.219	184/2	0.025
59/1	0.900	78/3	0.100
280/1	0.050	198	0.360
234/2	0.140	21	0.100
280/2	0.050	269/1	0.035
64/1	0.724	175/2	0.020

योग . 25.802

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—डुल्हारा जलाशय तथा स्पिल एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.	(1)	(2)
	933	0.070
	932	0.035
(3) भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.	931	0.140
	937	0.096
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.	916	0.270
	917	0.064
	915	0.088
	956/2156	0.012
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	972	0.012
	930	0.296
	2245	0.021

कुल योग. . . 2.146

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 मार्च 2013

पत्र. क्र. 723-प्रका.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलाना
(ग) ग्राम—चोरमारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.146 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
976/1	0.032
2148	0.179
973	0.036
976	0.035
970	0.085
969	0.064
967	0.144
968	0.019
965	0.225
964	0.100
934	0.123

- (2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.
(3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्र. 963-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिंहावल
(ग) ग्राम—पहाड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.302 हेक्टेयर.

सिंहावल वितरक नहर क्र. 2 की पहाड़ी माईनर के निर्माण हेतु

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
984	0.014
985	0.180

(1)	(2)	(1)	(2)
812	0.07	8/1	0.02
821	0.05	8/2	
822	0.04	9	0.09
योग (अ) . .	<u>1.19</u>	14	0.03
		15	0.07
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण		16/1	
		16/2	0.03
685	0.01	16/3	
योग (ब) . .	<u>0.01</u>	16/4	
		19	0.03
महायोग (अ+ब) . .	<u>1.20</u>	20	0.06
		22	0.06
		23	0.06
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर की डिहुली सब माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.		24/1	
		24/2	0.04
		25	0.05
		30	0.04
		32	0.01
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		33	0.02
		34	0.02
		36	0.08
क्र. 967-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		37	0.04
		39	0.17
		44	0.09
		45	0.03
		46	0.03
		47	0.02
		48	0.02
		49	0.02
अनुसूची		60/1	
(1) भूमि का वर्णन—		60/2	0.02
(क) जिला—सीधी		61	0.10
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन		62	0.01
(ग) ग्राम—कुँआ		63	0.04
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.52 हेक्टर.		64	0.03
		66	0.04
गोपालपुर माईनर नहर निर्माण हेतु		67	0.01
		68	0.04
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	69	0.03
	(हे. में)	70	0.03
(1)	(2)	71	0.01
(अ) निजी भूमि का विवरण		72	0.07
		74	0.11
1	0.08	75	0.01

(1)	(2)	योग (अ+ब) . .	3.52	
98	0.07	निजी भूमि का रकबा	3.46 हे.	
99	0.06	शासकीय भूमि का रकबा	0.06 हे.	
105	0.09			
106	0.03	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर		
139	0.05	परियोजना के अन्तर्गत गोपालपुर माईनर नहर विस्तार		
140	0.06	निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि		
141	0.05	तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.		
142/1	0.06	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर		
142/2		परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
143	0.05			
145	0.01	क्र. 969-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का		
146/1	0.01	समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित		
146/2		भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक		
148	0.05	प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		
149	0.03	(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा		
150	0.08	घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित		
344	0.08	संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—		
345	0.05			
394	0.06	अनुसूची		
395	0.05	(1) भूमि का वर्णन—		
397	0.02	(क) जिला—सीधी		
402	0.08	(ख) तहसील—रामपुर नैकिन		
403	0.01	(ग) ग्राम—मढ़ा		
404/1	0.09	(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.292 हेक्टर.		
404/2				
405	0.03	खसरा	कुल	अर्जित
406	0.06	नम्बर	रकबा	रकबा
434	0.02	(1)	(2)	(3)
435	0.18	247	0.700	0.028
445	0.01	248	0.160	0.045
446	0.01	245	0.270	0.027
447/1		256	0.150	0.031
447/2	0.01	254	0.030	0.018
447/3		253	0.020	0.006
448	0.07	251	0.170	0.042
452	0.03	277	0.150	0.018
453	0.12	276	0.080	0.024
454	0.02	275	0.300	0.018
	योग (अ) . .	281	0.080	0.001
	3.46	299	0.070	0.003
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण		285	1.070	0.120
2	0.03	287	0.130	0.002
408	0.03	286	0.040	0.012
	योग (ब) . .	340	0.100	0.036
	0.06			

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
341	0.130	0.060		809	0.120	0.030	
342	0.110	0.006		810	0.140	0.035	
343	0.120	0.066		812	0.110	0.045	
357	0.800	0.018		806	0.330	0.015	म. प्र. शा. रास्ता
359	0.140	0.108		813	0.080	0.002	
362	0.560	0.002		805	0.320	0.120	
415	0.220	0.003		803	0.580	0.090	
423	0.180	0.030	सड़क	830	0.130	0.012	म.प्र.शा. सड़क
422	0.240	0.006		829	0.190	0.072	
416	0.050	0.024	म. प्र. शा. रास्ता	1095	0.190	0.054	
420	0.250	0.084		1094	0.270	0.168	म.प्र.शा. रास्ता
419	0.110	0.036		1096	0.880	0.045	
418	0.080	0.032		1093	0.210	0.015	
417	0.530	0.011		1091	0.140	0.024	
453	0.060	0.035		1090	0.150	0.010	
456	0.140	0.045		1081	0.340	0.015	
457	0.070	0.015		1088	0.220	0.021	
460	0.120	0.048		1087	0.290	0.024	
461	0.400	0.126		1086	0.370	0.088	
463	0.410	0.060		1084	0.140	0.024	
515	1.330	0.024	म. प्र. शासन	1083	0.070	0.036	
622	0.710	0.252		1169	0.220	0.037	
624	0.370	0.078		1170	0.100	0.035	
625	0.370	0.060		1171	0.170	0.036	
632	0.260	0.138		1164	0.020	0.006	
631	0.280	0.126		1172	0.150	0.048	
630	0.50	0.039		1159	0.110	0.042	
687	0.33	0.012	म. प्र. शा. सड़क	1158	0.130	0.042	
674	0.350	0.066		1197	0.610	0.066	
682	0.110	0.001		1196	0.270	0.030	
675	0.40	0.096		1195	0.710	0.048	
673	0.24	0.001		1194	0.910	0.126	
671	0.35	0.149		1188	0.130	0.054	
700	0.280	0.060		योग . .	27.700	4.292	
701	0.570	0.078		निजी भूमि . .	24.490	4.013	
702	0.38	0.060		शास. भूमि . .	3.210	0.279	
705	0.080	0.030		महायोग . .	27.700	4.292	
752	0.29	0.030					
751	0.320	0.051		2.	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मढ़ा सब माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.		
749	1.500	0.036		3.	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
750	0.370	0.036					
758	0.87	0.024	म. प्र. शा. सड़क				
808	0.120	0.012					
807	0.28	0.072					

क्र. 971-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) नगर/ग्राम—हौदा बाँध
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.67 हेक्टर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर के विस्तार के निर्माण हेतु

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
161	0.01
162	0.10
163	0.07
153	0.03
247	0.08
278	0.03
277	0.04
270	0.03
274	0.03
275	0.02
273	0.02
272	0.03
262	0.01
264	0.04
265	0.13
योग . . .	0.67

(ब) म. प्र. शासन की भूमि
निरंक

महायोग (अ+ब) . . . 0.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हौदा माईनर के विस्तार के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 973-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—लोढौटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.204 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	कुल रकबा (2)	अर्जित रकबा (3)	रिमार्क (4)
318	0.140	0.006	मेड़
324	0.090	0.033	
325	0.030	0.012	
481	2.750	0.054	म. प्र. सड़क
489	0.420	0.052	
491	1.180	0.032	
492	0.020	0.015	मेड़
योग . . .	4.630	0.204	
निजी भूमि . . .	1.880	0.150	
शास. भूमि . . .	2.750	0.054	
महायोग . . .	4.630	0.204	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मढ़ा सब माईनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 975-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

खसरा नम्बर	कुल रकबा	अर्जित रकबा	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
582/1	0.31	0.062	
577	0.37	0.102	
576	0.30	0.094	
574	0.69	0.130	
571	0.04	0.012	मेड़
570	0.08	0.054	
569	0.10	0.036	
568	0.21	0.072	
564	0.10	0.072	
565	0.090	0.024	
563	0.12	0.100	
558/1	0.78	0.003	
561	0.81	0.102	
559	0.30	0.130	
551	0.08	0.027	
550	0.22	0.040	
1291	0.11	0.036	
1288	0.07	0.030	
1287	0.08	0.024	
1280	0.10	0.030	
1812	0.270	0.030	
1813	0.10	0.100	मेड़
1786	0.11	0.006	
1785	2.45	0.240	म. प्र. शासन
1811	0.100	0.003	
562	0.150	0.032	
1788	0.200	0.016	
1815	0.140	0.003	
योग . .	8.480	1.610	
निजी भूमि . .	6.030	1.370	
शास. भूमि . .	2.450	0.240	
महायोग . .	8.480	1.610	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पड़खुरी कोठार सब माइनर क्र. 1 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 16 अप्रैल 2013

पत्र क्र. 985-प्रका.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बाधेलान

(ग) ग्राम—करमऊ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.138 हेक्टेयर (छूटा हुआ रकबा)

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	रिमार्क
------------	---------------------------	---------

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

747/1	0.046	सिंचित
748	0.092	सिंचित
कुल योग . .	0.138	

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा एवं रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(3) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं
 पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्र. -भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. -03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत

इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि क्री, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

		(1)	(2)
अनुसूची			
(1) भूमि का विवरण—			
(क)	जिला—नीमच	36	1.39
(ख)	तहसील—जीरन	15	0.31
(ग)	नगर/ग्राम—हमेरिया (रकबा-66.99) केलूखेड़ा	16	0.23
	(रकबा-10.20) कालीकोठड़ी (रकबा-77.57)	17	0.60
	जरखेड़ा (रकबा-14.98) भाटखेड़ी (रकबा-0.57)	19	0.21
	अरनियामानगिर (तहसील-नीमच) (रकबा-1.91)	21	0.21
	रातड़िया (तहसील-नीमच) (रकबा-6.39) बामनिया	20	0.21
	(रकबा-9.53) हमेरिया नहर (रकबा-0.219)	22	0.43
	बामनिया नहर (रकबा-1.826) पालसोड़ा नहर	23	0.64
	(रकबा-0.477)	24	0.21
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—190.662 हेक्टर.	27	7.34
	सर्वे	48	0.85
	रकबा	52	0.35
नम्बर	(हेक्टर में)	89	0.95
(1)	(2)	93	1.97
		99	0.41
		28	0.89
		29	0.47
		37	0.44
	ग्राम—हमेरिया	30	0.43
2	0.65	31	2.15
3	0.66	33	1.96
4	0.34	34	3.91
18	0.43	35	1.53
56	0.16	38	0.67
107	0.07	41	1.68
6/1	0.64	65	0.18
6/2	0.35	66	0.17
7	0.22	119/3	0.40
8	0.20	102	0.50
9	0.30	103	1.98
10/2	0.12	104	0.30
10/1	0.20	51	0.57
11	0.09	53	0.56
122	0.07	54	0.57
123	0.08	55	0.49
13	0.40	57	0.48
39	0.58	58	0.87
40	1.45	59	0.33
45	1.11	71/1	0.09
85	0.34	61	0.14
94	0.74	62	0.19
14	1.14	64	0.39
90	0.58	67	0.27
92	0.58	68	0.19
32	0.87		

(1)	(2)	(1)	(2)
70	0.19	60	0.02
75	0.10	57/1Peki	0.15
71/2	0.15	57/2	0.62
73	0.27	243	0.22
76	0.31	245	0.63
77	0.68	323	0.14
78	1.15	331	0.15
86	1.18	333	0.35
84	0.22	324	0.01
88	1.34	347	0.07
87	0.42	325	0.15
91	1.20	328	0.36
101	1.05	329	0.32
114	0.20	326	0.19
115	0.77	330	0.07
116	0.91	334	0.34
117	0.42	336	0.06
120	0.25	332/1	0.04
121	1.53	337	0.44
125	0.12	332/2	0.11
152/2	0.15	335	0.03
150/2	0.28	344	0.05
157	0.13	346	0.03
119/2	0.15	345	0.08
119/1	0.35	348	0.10
150/1	0.37	645	0.09
131	0.29	646	0.09
152/1	0.80	656	0.24
158	0.25	659	0.02
156	0.13	651/1	0.18
कुल रकबा . . .	<u>66.99</u>	666/1Men-1	0.07
		655/1	0.10
		651/2	0.19
		666/1Men-2	0.19
		657	0.20
		644	0.04
		660	0.12
		664	0.33
		661	0.16
		663	0.71
		662	0.53
		340	0.10
		341	0.18
		कुल रकबा . . .	<u>10.20</u>
सर्वे	रकबा		
नम्बर	(हेक्टर में)		
(1)	(2)		
43	0.10		
44	0.07		
48	0.25		
50	0.46		
53	0.27		
54	0.06		
55	0.29		
56/2	0.21		
56/1	0.22		

ग्राम—काली कोठडी		(1)	(2)
सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
40/2	0.25	147	0.05
95	0.31	148	0.68
43	0.07	149	0.75
100	0.20	153	0.46
44	0.04	91	0.36
64	2.50	150	0.87
65	1.96	154	0.33
66	0.25	155	0.18
68	0.22	134	0.10
69	0.78	151	0.65
73	0.56	160	0.37
70	1.11	152	0.35
80	0.21	156	0.35
72	0.20	157	0.22
77	0.22	170	0.42
81	4.45	234	0.42
83	0.25	88/1	0.28
85	0.09	158	0.01
266/2	0.16	159	0.45
269/4	0.24	217	0.04
87	0.03	126/4	0.47
88/2	0.10	250/1	0.15
90	0.38	250/2	0.16
191	0.12	164	0.46
92	0.05	190	0.07
93	0.10	221	0.13
96	0.10	200	0.35
280	0.70	268/1	0.35
97	0.10	203/1	0.21
98	0.10	285/3	0.62
99	0.02	203/2	0.22
274	0.70	342/1	1.07
101/2	0.08	285/2	0.62
250/3	0.15	203/3	0.22
251/1	0.36	285/1	0.89
101/1	0.09	342/2	1.06
251/2	0.36	210	0.18
123/4	2.00	237	0.13
123/2	0.50	223	0.18
123/3	0.30	224	0.12
123/5	0.40	228	0.24
123/6	0.50	229	0.28
146	1.95	255	0.21
		256	0.10
		232	0.24
		235/1	0.05
		238	0.13

(1)	(2)	(1)	(2)
ग्राम—भाटखेड़ी विरान		2/2	0.97
सर्वे	रकबा	15	0.20
नम्बर	(हेक्टर में)	3	0.11
(1)	(2)	10	0.18
87 Men-1, 87 Men-2	0.57	11	0.60
87 Men-3, 87 Men-4		13	1.00
कुल रकबा	. . 0.57	27/2	0.24
ग्राम—अरनिया मानगिर		42/2	0.63
सर्वे	रकबा	38	0.43
नम्बर	(हेक्टर में)	42/1	0.46
(1)	(2)	39	0.38
349	0.84	45	0.15
350	0.30	32/10	0.30
352	0.30	32/1	0.30
351	0.47	32/2	0.30
कुल रकबा	. . 1.91	32/3	0.30
ग्राम—रातड़िया		32/4	0.30
सर्वे	रकबा	32/5	0.30
नम्बर	(हेक्टर में)	32/6	0.30
(1)	(2)	32/7	0.30
236/5	0.50	32/8	0.30
237	0.10	32/9	0.30
238	0.20	कुल रकबा	. . 9.53
239	0.19	ग्राम—हमेरिया	
722	0.10	सर्वे	रकबा
723/1	0.10	नम्बर	(हेक्टर में)
723/2	0.10	(1)	(2)
725	0.55	125	0.014
726	1.87	128	0.107
727	0.25	139	0.098
729	2.43	कुल रकबा	. . 0.219
कुल रकबा	. . 6.39	ग्राम—बामनिया	
ग्राम—बामनिया		ग्राम—बामनिया	
सर्वे	रकबा	सर्वे	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)	नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)	(1)	(2)
1	0.06	480	0.131
2/1	0.82	479	0.046
44	0.30	478	0.032

(1)	(2)
477	0.112
476	0.098
474	0.014
473	0.070
506	0.191
464	0.051
512	0.009
463	0.121
511	0.215
581	0.145
582	0.088
583	0.037
585 Men-2	0.046
591	0.079
600	0.168
596	0.173

कुल रकबा . . . 1.826

ग्राम—पालसोड़ा

सर्वे	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
1856	0.116
1858	0.116
1862	0.046
1864	0.060
1865	0.139

कुल रकबा . . . 0.477

महायोग . . . 190.662

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

पन्ना, दिनांक 16 अप्रैल 2013

प्र. क्र. 034-अ-82 वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पन्ना
(ग) ग्राम—इटवांकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—162.489 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1649/1	0.575	निजी भूमि
1652	0.271	निजी भूमि
1655/1	0.216	निजी भूमि
1655/2	0.108	निजी भूमि
1656/1	0.028	निजी भूमि
1656/2	0.029	निजी भूमि
1657/1	0.415	निजी भूमि
1657/2	0.415	निजी भूमि
1660/1	0.275	निजी भूमि
1660/2	0.275	निजी भूमि
1660/3	0.275	निजी भूमि
1662/1	0.365	निजी भूमि
1662/2/1	0.365	निजी भूमि
1662/2/2	0.365	निजी भूमि
1662/3/1	0.361	निजी भूमि
1662/3/2	0.361	निजी भूमि
1671	0.069	निजी भूमि
1676	0.607	निजी भूमि
1679/1/1	0.069	निजी भूमि
1679/1/2	0.069	निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हमेरिया तालाब योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, नीमच में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकाससिंह नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1679/2/1	0.051	निजी भूमि	1754/1	3.394	निजी भूमि
1679/2/2	0.050	निजी भूमि	1754/2	3.798	निजी भूमि
1680	0.202	निजी भूमि	1755	0.947	निजी भूमि
1681	0.045	निजी भूमि	1757	0.510	निजी भूमि
1682	0.061	निजी भूमि	1760	0.206	निजी भूमि
1683	0.065	निजी भूमि	1762/1	0.309	निजी भूमि
1684	0.032	निजी भूमि	1762/2	0.309	निजी भूमि
1685	0.036	निजी भूमि	1762/3	0.310	निजी भूमि
1689	0.045	निजी भूमि	1765	2.185	निजी भूमि
1692	0.170	निजी भूमि	1766/1	0.631	निजी भूमि
1693	0.162	निजी भूमि	1766/2	0.632	निजी भूमि
1694	0.134	निजी भूमि	1767	0.938	निजी भूमि
1695	0.210	निजी भूमि	1768	0.283	निजी भूमि
1707/1	0.217	निजी भूमि	1769	0.251	निजी भूमि
1707/2	0.217	निजी भूमि	1772	0.283	निजी भूमि
1707/3	0.218	निजी भूमि	1801	0.332	निजी भूमि
1707/4	0.218	निजी भूमि	1803	0.036	निजी भूमि
1709	0.445	निजी भूमि	1804	1.230	निजी भूमि
1711	0.210	निजी भूमि	1805/1/1	0.303	निजी भूमि
1712	0.194	निजी भूमि	1805/1/2	0.303	निजी भूमि
1727	0.283	निजी भूमि	1805/2/1	0.402	निजी भूमि
1728/1	0.100	निजी भूमि	1805/2/2	0.203	निजी भूमि
1728/2	0.382	निजी भूमि	1805/3	0.226	निजी भूमि
1729	0.223	निजी भूमि	1806	0.615	निजी भूमि
1731/1	0.091	निजी भूमि	1807	0.502	निजी भूमि
1731/2	0.136	निजी भूमि	1808	0.713	निजी भूमि
1733	0.717	निजी भूमि	1809/1/1	0.367	निजी भूमि
1734/1	0.222	निजी भूमि	1809/1/2	0.368	निजी भूमि
1734/2	0.223	निजी भूमि	1809/1/3	0.368	निजी भूमि
1735	0.405	निजी भूमि	1809/1/4	0.368	निजी भूमि
1737	0.397	निजी भूमि	1809/2	1.200	निजी भूमि
1738	0.138	निजी भूमि	1810/1	0.501	निजी भूमि
1739/1	0.445	निजी भूमि	1810/2	0.502	निजी भूमि
1739/2	0.240	निजी भूमि	1811/1	0.526	निजी भूमि
1739/3/1	0.428	निजी भूमि	1811/2	0.526	निजी भूमि
1739/3/2	0.215	निजी भूमि	1812	0.498	निजी भूमि
1740	0.045	निजी भूमि	1813/1	0.825	निजी भूमि
1741	0.061	निजी भूमि	1813/2	0.328	निजी भूमि
1743/1	0.121	निजी भूमि	1814	0.526	निजी भूमि
1743/2	0.122	निजी भूमि	1815/1	0.115	निजी भूमि
1745	0.166	निजी भूमि	1815/2	0.347	निजी भूमि
1750	0.158	निजी भूमि	1816	0.526	निजी भूमि
1751	0.324	निजी भूमि	1817/1	0.136	निजी भूमि
1752	0.170	निजी भूमि	1817/2	0.136	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1817/3	0.136	निजी भूमि	1850/1	0.324	निजी भूमि
1817/4	0.136	निजी भूमि	1850/2	0.162	निजी भूमि
1817/5	0.136	निजी भूमि	1851	0.283	निजी भूमि
1817/6	0.271	निजी भूमि	1852	1.011	निजी भूमि
1818	0.498	निजी भूमि	1853	0.486	निजी भूमि
1819/1/1	0.135	निजी भूमि	1854	0.765	निजी भूमि
1819/1/2	0.270	निजी भूमि	1863/1	0.271	निजी भूमि
1819/2/1	0.254	निजी भूमि	1863/2	0.271	निजी भूमि
1819/2/2	0.255	निजी भूमि	1863/4	0.271	निजी भूमि
1820	0.640	निजी भूमि	1865	1.028	निजी भूमि
1821	0.466	निजी भूमि	1867	0.073	निजी भूमि
1822/1	0.267	निजी भूमि	1868	0.093	निजी भूमि
1822/2	0.267	निजी भूमि	1869	0.174	निजी भूमि
1823/1	0.166	निजी भूमि	1870/1/1	0.073	निजी भूमि
1823/2	0.166	निजी भूमि	1870/1/2	0.037	निजी भूमि
1824	0.793	निजी भूमि	1870/1/3	0.036	निजी भूमि
1825/1/1	0.084	निजी भूमि	1870/2	0.145	निजी भूमि
1825/1/2	0.230	निजी भूमि	1871/1	0.159	निजी भूमि
1825/2	0.157	निजी भूमि	1871/2	0.159	निजी भूमि
1825/3	0.314	निजी भूमि	1871/3	0.159	निजी भूमि
1826	0.462	निजी भूमि	1871/4	0.159	निजी भूमि
1827	0.571	निजी भूमि	1890	0.403	निजी भूमि
1828	1.497	निजी भूमि	1891	0.486	निजी भूमि
1829/1	1.689	निजी भूमि	1892/1	0.162	निजी भूमि
1829/2	1.690	निजी भूमि	1892/2	0.243	निजी भूमि
1831	0.450	निजी भूमि	1893	0.660	निजी भूमि
1835	0.016	निजी भूमि	1894	0.700	निजी भूमि
1836	0.235	निजी भूमि	1895/1/1	0.229	निजी भूमि
1837/1	1.073	निजी भूमि	1895/1/2	0.228	निजी भूमि
1837/2	2.023	निजी भूमि	1895/2	0.457	निजी भूमि
1837/3	2.023	निजी भूमि	1897	0.356	निजी भूमि
1838	0.304	निजी भूमि	1898/1	0.162	निजी भूमि
1839/1	0.077	निजी भूमि	1898/2	0.162	निजी भूमि
1839/2	0.077	निजी भूमि	1899	0.225	निजी भूमि
1840	0.069	निजी भूमि	1900	0.603	निजी भूमि
1841	0.619	निजी भूमि	1901	0.409	निजी भूमि
1842/1	0.285	निजी भूमि	1902	0.295	निजी भूमि
1842/2	0.286	निजी भूमि	1903	0.210	निजी भूमि
1843	0.372	निजी भूमि	1904	0.186	निजी भूमि
1845	0.210	निजी भूमि	1905/1	0.203	निजी भूमि
1846	0.368	निजी भूमि	1905/2	0.202	निजी भूमि
1847/1/1	0.369	निजी भूमि	1906	0.364	निजी भूमि
1847/1/2	0.369	निजी भूमि	1907/1	0.225	निजी भूमि
1847/2	0.739	निजी भूमि	1907/2	0.085	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1908	0.097	निजी भूमि	1661/3/1	0.231	निजी भूमि
1909	0.482	निजी भूमि	1661/3/2	0.231	निजी भूमि
1911	0.878	निजी भूमि	1670/2	0.809	निजी भूमि
1912/1	0.337	निजी भूमि	1677/1	0.530	निजी भूमि
1912/2	0.169	निजी भूमि	1677/2	0.530	निजी भूमि
1914/1	0.190	निजी भूमि	1708/1	0.369	निजी भूमि
1914/2	0.190	निजी भूमि	1708/2	0.368	निजी भूमि
1914/3	0.191	निजी भूमि	1710/1	0.222	निजी भूमि
1914/4	0.190	निजी भूमि	1710/2	0.223	निजी भूमि
1915	1.173	निजी भूमि	1726/1	0.445	निजी भूमि
1917/1/1	0.132	निजी भूमि	1726/2	0.461	निजी भूमि
1917/1/2	0.131	निजी भूमि	1730/1	0.530	निजी भूमि
1917/2/1	0.175	निजी भूमि	1730/2	0.281	निजी भूमि
1917/2/2	0.088	निजी भूमि	1732/1	0.753	निजी भूमि
1918	0.575	निजी भूमि	1732/2	0.752	निजी भूमि
1919	0.502	निजी भूमि	1736/1/1	0.209	निजी भूमि
1920	0.312	निजी भूमि	1736/1/2	0.210	निजी भूमि
1921	0.335	निजी भूमि	1742/1	0.101	निजी भूमि
1922/1	0.146	निजी भूमि	1742/2	0.101	निजी भूमि
1922/2	0.145	निजी भूमि	1746/1/1	0.362	निजी भूमि
1922/3	0.146	निजी भूमि	1746/1/2	0.181	निजी भूमि
1922/4	0.146	निजी भूमि	1746/2	0.182	निजी भूमि
1925	0.232	निजी भूमि	1748/1	0.162	निजी भूमि
1969	0.397	निजी भूमि	1748/2/1	0.081	निजी भूमि
1970/1	0.207	निजी भूमि	1748/2/2	0.081	निजी भूमि
1970/2	0.404	निजी भूमि	1749/1	0.164	निजी भूमि
1971/1	0.166	निजी भूमि	1749/2	0.164	निजी भूमि
1971/2	0.166	निजी भूमि	1753/1	0.206	निजी भूमि
1972	0.304	निजी भूमि	1753/2	0.207	निजी भूमि
1974	0.397	निजी भूमि	1802/1	3.371	निजी भूमि
1975	0.486	निजी भूमि	1802/2	3.267	निजी भूमि
1976	1.214	निजी भूमि	1802/3/2	2.023	निजी भूमि
1978/1	0.393	निजी भूमि	1802/3/3	2.023	निजी भूमि
1978/2	0.272	निजी भूमि	1802/3/4	2.023	निजी भूमि
1980	0.413	निजी भूमि	1802/3/5	2.023	निजी भूमि
1982	0.417	निजी भूमि	1802/3/6	0.408	निजी भूमि
1983	0.298	निजी भूमि	1830/1	1.000	निजी भूमि
1646/1	0.162	निजी भूमि	1830/2	0.500	निजी भूमि
1648/1/5	0.163	निजी भूमि	1830/3क/1	0.405	निजी भूमि
1650/1	0.247	निजी भूमि	1830/3क/2	0.406	निजी भूमि
1650/2	0.247	निजी भूमि	1830/3ख	0.812	निजी भूमि
1651/1/2	0.192	निजी भूमि	1830/4360/1	0.789	निजी भूमि
1651/2	0.290	निजी भूमि	1830/4360/2	0.197	निजी भूमि
1661/2	0.324	निजी भूमि	1832/1	0.222	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1832/2	0.223	निजी भूमि	1678/5/2	2.434	निजी भूमि
1833/1	0.148	निजी भूमि	1678/6/1	0.715	निजी भूमि
1833/2	0.147	निजी भूमि	1678/6/2	0.352	निजी भूमि
1837/4374	1.007	निजी भूमि	1686/1/1	0.132	निजी भूमि
1837/4376	0.486	निजी भूमि	1686/1/2	0.264	निजी भूमि
1848/1	0.162	निजी भूमि	1686/2/1	0.347	निजी भूमि
1848/2	0.162	निजी भूमि	1686/2/2	0.050	निजी भूमि
1849/1	0.156	निजी भूमि	1687	0.922	निजी भूमि
1849/2	0.156	निजी भूमि	1696	0.105	निजी भूमि
1866/1	0.544	निजी भूमि	1697	0.259	निजी भूमि
1866/2	0.273	निजी भूमि	1698	0.243	निजी भूमि
1896/1/1	0.179	निजी भूमि	1699	0.210	निजी भूमि
1896/1/2	0.357	निजी भूमि	1701	0.150	निजी भूमि
1913/1	0.239	निजी भूमि	1702	0.376	निजी भूमि
1913/2	0.239	निजी भूमि	1703	0.036	निजी भूमि
1916/1	0.341	निजी भूमि	1705	0.105	निजी भूमि
1916/2	0.682	निजी भूमि	1706	0.101	निजी भूमि
1966/1	0.268	निजी भूमि	1713	0.397	निजी भूमि
1967/1	0.170	निजी भूमि	1714	0.210	निजी भूमि
1967/2	0.170	निजी भूमि	1715	0.210	निजी भूमि
1968/1	0.172	निजी भूमि	1716	0.190	निजी भूमि
1968/2	0.172	निजी भूमि	1717/1	0.283	निजी भूमि
1973/1	0.170	निजी भूमि	1717/2	0.142	निजी भूमि
1973/2	0.170	निजी भूमि	1718	0.219	निजी भूमि
1787/1	0.098	निजी भूमि	1720/1	0.336	निजी भूमि
1787/2	0.098	निजी भूमि	1720/2	0.405	निजी भूमि
1661/1/1	0.488	निजी भूमि	1724	0.077	निजी भूमि
1661/1/2	0.244	निजी भूमि	1725	0.008	निजी भूमि
1672	1.617	निजी भूमि	1744	0.081	निजी भूमि
1673/1	1.600	निजी भूमि	1756	0.979	निजी भूमि
1673/2/1	0.801	निजी भूमि	1758	1.141	निजी भूमि
1673/2/2	0.800	निजी भूमि	1759	0.077	निजी भूमि
1673/3/1	0.405	निजी भूमि	1763	0.547	निजी भूमि
1673/3/2	0.404	निजी भूमि	1764	0.142	निजी भूमि
1674	0.030	निजी भूमि	1770	0.567	निजी भूमि
1675	0.652	निजी भूमि	1771/1	0.162	निजी भूमि
1678/1क	0.526	निजी भूमि	1771/2	0.162	निजी भूमि
1678/1ख	0.704	निजी भूमि	1800/1	0.959	निजी भूमि
1678/2	0.073	निजी भूमि	1800/2	0.958	निजी भूमि
1678/3/1	0.073	निजी भूमि	1844	0.227	निजी भूमि
1678/3/2	0.073	निजी भूमि	1736/2	0.418	निजी भूमि
1678/4/1ख	0.427	निजी भूमि	1747	0.312	निजी भूमि
1678/4/2	1.214	निजी भूमि	1963/1	0.143	निजी भूमि
1678/5/1	2.135	निजी भूमि	1984/4	0.020	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1989/1	0.159	निजी भूमि	3970	0.147	निजी भूमि
1989/2	0.075	निजी भूमि	3969	0.006	निजी भूमि
1991/1	0.064	निजी भूमि	3968	0.148	निजी भूमि
1991/2	0.129	निजी भूमि	3938/1	0.006	निजी भूमि
1992	0.044	निजी भूमि	3938/2	0.006	निजी भूमि
2039	0.023	निजी भूमि	3939/2	0.222	निजी भूमि
2038	0.111	निजी भूमि	3939/1	0.071	निजी भूमि
2033	0.320	निजी भूमि	3718	0.087	निजी भूमि
2034/1	0.078	निजी भूमि	3717/1	0.136	निजी भूमि
2034/2	0.054	निजी भूमि	3717/2	0.050	निजी भूमि
2072	0.077	निजी भूमि	4072/1	0.060	निजी भूमि
2101/1	0.120	निजी भूमि	4072/2	0.060	निजी भूमि
2095	0.098	निजी भूमि	4071	0.010	निजी भूमि
2093	0.128	निजी भूमि	4070/1	0.090	निजी भूमि
2092	0.022	निजी भूमि	4067	0.364	निजी भूमि
2091/2	0.137	निजी भूमि	4062/1	0.018	निजी भूमि
2091/1	0.114	निजी भूमि	4062/2	0.018	निजी भूमि
2130	0.022	निजी भूमि	4060	0.095	निजी भूमि
2132	0.045	निजी भूमि	4058	0.112	निजी भूमि
2131	0.065	निजी भूमि	4059/1	0.008	निजी भूमि
2156	0.238	निजी भूमि	4059/2	0.008	निजी भूमि
2159/3	0.092	निजी भूमि	4032	0.265	निजी भूमि
3709	0.057	निजी भूमि	4055	0.022	निजी भूमि
3716/3	0.019	निजी भूमि	4054	0.091	निजी भूमि
3745	0.076	निजी भूमि	4053	0.028	निजी भूमि
3746	0.019	निजी भूमि	4041	0.005	निजी भूमि
3766	0.123	निजी भूमि	4052/1	0.220	निजी भूमि
3769	0.027	निजी भूमि	4052/2	0.155	निजी भूमि
3768	0.090	निजी भूमि	2035/2	0.055	निजी भूमि
3830/2	0.104	निजी भूमि	2042	0.083	निजी भूमि
3830/1/1	0.008	निजी भूमि	2065	0.013	निजी भूमि
3826	0.054	निजी भूमि	2067	0.050	निजी भूमि
3827	0.033	निजी भूमि	2066	0.110	निजी भूमि
3830/1/2	0.055	निजी भूमि	2041	0.070	निजी भूमि
3828/1	0.049	निजी भूमि	2115	0.140	निजी भूमि
3828/2	0.030	निजी भूमि	3710	0.300	निजी भूमि
3832/1	0.099	निजी भूमि	3719	0.072	निजी भूमि
3834	0.063	निजी भूमि	3715	0.080	निजी भूमि
3836	0.093	निजी भूमि	3833	0.130	निजी भूमि
3838/2	0.012	निजी भूमि	3704	0.110	निजी भूमि
3839/1	0.025	निजी भूमि			
3839/2	0.024	निजी भूमि			
3972	0.085	निजी भूमि			
3840	0.015	निजी भूमि			

योग . . 162.489

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—डोभा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 अप्रैल 2013

क्र. 3140-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—परासिया
(ग) नगर/ग्राम—तीतरा, प. ह. नं. 12/12, ब. नं. 248 रा. नि. मंडल, परासिया.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.057 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
118/1	0.028
118/2	0.029

योग . . 0.057 हे.

एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर
आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—तीतरा डुंगरिया डुड्डी मार्ग में घटामाली पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, सिवनी, जिला सिवनी, म. प्र. के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 3141-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—परासिया
(ग) नगर/ग्राम—डुड्डी, प. ह. नं. 17/12, ब. नं. 268 रा. नि. मंडल, सिरगोरा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.125 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
237/4	0.125

योग . . 0.125 हे.

एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर
आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—तीतरा डुंगरिया डुड्डी मार्ग में घटामाली पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, सिवनी, जिला सिवनी, म. प्र. के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2013

क्र. एस. डब्ल्यू-3626-2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, 1974 का सरल क्रमांक 2 की धारा 2 खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2 क-19-2012-बी-3, दिनांक 18 जनवरी 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :—

एक-नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है.

दो-सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है :—

पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है (1)	ग्रामों एवं कालोनियां क्षेत्रों के नाम			पुलिस थाने का नाम/तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है. (3)
	नाम	बंदोबस्त नंबर	वार्ड नंबर	
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	शिवनगर कालोनी दीनदयाल एवं चेरीताल.	660	24,12	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	न्यू जगदम्बा कालोनी, अग्रसेन वार्ड	643	13	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	पुरानी जगदम्बा कालोनी	643	13	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	विकास नगर	643	13	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	पी. एन. टी. कालोनी	643	13	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	दीनदयाल चौक एवं कालोनी	643	13	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	कृषि उपज मण्डी मेन रोड से दाहिने तरफ.	660	24	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	अहिंसा चौक के पीछे की कालोनी	660, 642	13	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	विवेकानंद वार्ड एकता चौक की पीछे की कालोनी.	643	10	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	एकतानगर कालोनी	643	10	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	टू फेस रोड लाईन पीछे की कालोनी	643	10	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	41 नंबर स्कीम रोड की पीछे की कालोनी.	643	10	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	भू-अभिलेख कालोनी	643	10	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	समदडिया काम्पलेक्स विवेकानंद वार्ड	643	10	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	रामेश्वर कालोनी	660	10	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना लार्डगंज, जबलपुर	आदि प्लाजा	643	10	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना लार्डगंज, जबलपुर	मुस्कान प्लाजा	643	10	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना कोतवाली, जबलपुर	एस-भारत के पीछे का कालोनी	643	10	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना कोतवाली, जबलपुर	नर्मदा अस्पताल के पीछे की कालोनी	643	10	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	आधा विवेकानंद वार्ड	643	10	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	कचनारसिटी अग्रसेन वार्ड	642	13	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	28 क्वार्टर कालोनी	642	28	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	90 क्वार्टर कालोनी	642	13	थाना विजयनगर, जबलपुर

(1)	(2)	(3)
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	लमती 642	थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	मथुरा बिहार 642	13 थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	भविष्यनिधि कालोनी 642	13 थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	बड़ी उखरी विवेकानंद वार्ड 643	10 थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	सी. बी. आई. कालोनी अग्रसेन वार्ड 660	13 थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	घड़ी चौक 642	13 थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	एम. पी. शिक्षा बोर्ड के पीछे की कालोनी. 660	10 थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	एस.बी.आई. चौक के पीछे की कालोनी. 643	13 थाना विजयनगर, जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर	श्रम विभाग के पीछे का हिस्सा 643	13 थाना विजयनगर, जबलपुर

No. S. W.-3626-2013.—In exercise of the powers conferred by clause (s) Section 2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. F2 (K) 19-2012-B-3, dated 18th January 2013 in partial modification of the previous Notification affecting the local areas specified in the Table below the State Government, hereby with effect from date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette" :—

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column (1) of the table below the local areas specified in the column (2) there of and.

2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3) of the said table :—

Name of the Police Station (With tehsil and the District) from which excluded (1)	Name of village/Local places			Name of Police Station (with tehsil and the district from which included (3)
	Name	Ward No.	Settlement No.	
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	1. Shiv Nagar Colony Din Dayal or Cherital Ward.	24,12	660	Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	2. New Jagdamba Colony	13	643	Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	3. Purana, Jagdamba Colony	13	643	Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	4. Vikas Nagar	13	643	Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	5. PNT Colony	13	643	Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	6. Din Dayal Chowk	13	660	Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	7. Krishi Upaj Mandi	24	660, 642	Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.

(1)	(2)	(3)
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	8. Ahinsa Chowk	13 643 Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	9. Ekta Chowk Vivekanand Ward.	10 643 Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	10. Viveka Nagar Colony	10 643 Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	11. Phase II Road	10 643 Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	12. 41 Scheme Road	10 643 Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	13. Land Colony	10 643 Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	14. Samdadiya Complex Vivekanand Ward.	10 660 Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Kotwali, Jabalpur.	15. Rameshwaram Colony	10 643 Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Lordganj	16. Muskan Plaza	10 643 Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Lordganj	17. Adi Plaza	10 643 Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Kotwali, Jabalpur.	18. S. Bharat	10 643 Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Kotwali, Jabalpur.	19. Narmada Hospital	10 643 Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	20. Adha Vivekanand Ward	10 643 Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	21. Kachnar City Agarsen Ward.	13 642 Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	22. 28 Quatre	13 642 Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	23. 90 Quatre	13 642 Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	24. Lamti Mal	13 642 Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	25. Mathura Vihar	13	642	Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	26. Bhavishya Nidhi Colony	13	642	Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	27. Badi Ukri Vivekanand Ward.	10	643	Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	28. CBI Colony Agarsen ward	13	660	Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	29. Ghadi Chowk	13	642	Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	30. M. P. Shiksha Board	13	642	Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	31. S. B. I. Chowk	13	643	Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	32. Sham Vibhag ke Piche ka Hisa.	13	643	Police Station Vijay Nagar, Jabalpur.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

जबलपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2013

क्र. एस. डब्ल्यू-3627-2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, 1974 का सरल क्रमांक 2 की धारा 2 खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2 क-19-2012-बी-3, दिनांक 18 जनवरी 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुये राज्य शासन द्वारा “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक-नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है.

दो-सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है :-

सारणी

पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है (1)	ग्रामों एवं कालोनियां क्षेत्रों के नाम			पुलिस थाने का नाम/तहसील जिला सहित जिसमें से सम्मिलित किया गया है. (5)
	नाम (2)	बंदोबस्त नंबर (3)	वार्ड नंबर (4)	
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	भोलानगर	660	24	थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	कसोधन नगर	660	24	थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	ग्रीनसिटी	660	24	थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	शिवाजीनगर	660	24	थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	मदर टेरेसा	660	24	थाना माढोताल, जिला जबलपुर

(1)	(2)	(3)
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	स्टारसिटी	88 19 थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	चमननगर	88 19 थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	रामनगर	88 19 थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	औरिया	01 21 थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	सुरतलाई	419 21 थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	ठाकुरतलैया	394 21 थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	मंगेला	394 21 थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	पौड़ी	153 21 थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	नगना	723 21 थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	बहेरिया	45 21 थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	बेलखेरवा	44 21 थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	नटवारा	45 21 थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	सरखड़ी	418 21 थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	बनियाखेड़ा	153 21 थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	पिपरिया	153 21 थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	पड़वारकला	155 21 थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	पड़वारखुर्द	145 21 थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	खिरियाकला	568 21 थाना माढोताल, जिला जबलपुर
थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर से	रैयाखेड़ा	396 21 थाना माढोताल, जिला जबलपुर

No. S. W.-3627-2013.—In exercise of the powers conferred by clause (s) Section 2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. F2 (K) 19-2012-B-3, dated 18th January 2013 in partial modification of the previous Notification affecting the local areas specified in the Table below the State Government, hereby with effect from date of publication of this notification in the “Madhya Pradesh Gazette” :—

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column (1) of the Table below the local areas specified in the column (2) there of and.

2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3) of the said table :—

TABLE

Name of the Police Station (with tehsil and the District) from which excluded (1)	Name of village/Local Areas			Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included (3)
	Name	Ward No.	Settlement No.	
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	1. Bholanagar	24	660	Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	2. Kasodhan Nagar	24	660	Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	3. Greencity	24	660	Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	4. Shivajinagar	24	660	Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	5. Motherteresa	24	660	Police Station Madhotal, Jabalpur.

(1)	(2)			(3)
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	6. Vrindavannagar	24	401	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	7. Tagar	24	401	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	8. Rimjha	24	401	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	9. Kathonda	24	85	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	10. Prabhatnagar	24	85	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	11. Shankarnagar	24	88	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	12. Sharda Vihar Colony	24	88	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	13. Dixit Colony	24	660	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	14. Nai Basti, Madhotel	24	660	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	15. Purani Basti Madhotel	24	660	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	16. Shiv Dham Nagar	24	660	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	17. Sai Nagar	24	660	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	18. Sanchar Nagar	24	660	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	19. Panchmukhi Colony	24	660	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	20. Royal State Colony	24	660	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	21. Green Land Colony	24	85	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	22. Dada Nagar Prisar	24	401	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	23. Dhan Shree Colony	24	85	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	24. Hira Sweet Chaman Cold	13	660	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	25. ITI Training Institute	13	660	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	26. Akash Vihar	13	660	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	27. Rajiv Gandhi Nagar	13	660	Police Station Madhotel, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	28. Lamti	13	642	Police Station Madhotel, Jabalpur.

(1)	(2)	(3)
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	29. Sadhu Ram Farm	13 497 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	30. Raksha	13 397 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Bhedhaghat	31. Basha	13 326 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	32. Rangwa	19 404 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	33. Kachnari	19 83 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	34. NTPC Colony	19 497 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	35. Sukha	19 455 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Bhedhaghat	36. Lohari	19 455 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	37. Timri	19 455 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	38. Benikhera	19 310 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	39. Chihuta	19 36 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	40. Ujhroad	19 31 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	41. Agasoad	19 19 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	42. Soantalai	19 441 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	43. Deha	19 196 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	44. Kermeta	19 88 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	45. Sharda Nagar	19 88 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	46. Professor Colony	19 88 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	47. Vishkerma Colony	19 88 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	48. Bajrang Nagar	19 88 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	49. Shankar Nagar, Merghatai	19 88 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	50. Star City	19 88 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	51. Chaman Nagar	19 88 Police Station Madhotal, Jabalpur.

(1)	(2)	(3)
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	52. Ram Nagar	19 88 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	53. Auraiya	21 01 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	54. Surtalai	21 419 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	55. Thakur Talaiya	21 394 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	56. Mangela	21 394 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	57. Podi	21 153 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	58. Nangna	21 723 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	59. Behraiya	21 45 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	60. Belkherwa	21 44 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	61. Natwara	21 45 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	62. Sarkhadi	21 418 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	63. Baniya Khera	21 153 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	64. Pipariya	21 153 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	65. Padwar Kala	21 155 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	66. Padwar Khurd	21 145 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	67. Khiriya Kala	21 568 Police Station Madhotal, Jabalpur.
Police Station, Gohalpur, Jabalpur.	68. Raiya Khera	21 396 Police Station Madhotal, Jabalpur.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.